उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य हैं:–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	(1)	पदेन– कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो	(2)	पदेन– प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	(3)	पदेन– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(4)	पदेन– संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(5)	पदेन– संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(6)	पदेन– संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(7)	पदेन– संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	(8)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग।
	(9)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग।
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	(10)	डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर
	(11)	डॉ0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ
	(12)	डॉ0 एस0 एन0 शंखवार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0	(13)	पदेन
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	(14)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	(15)	पदेन
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	(16)	पदेन
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	(17)	पदेन
धारा 22–(9) सचिव–कार्य परिषद कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	(18)	पदेन– कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 पूर्वान्ह 10.00 बजे से कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

दिनांक 11.10.2025 को कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहेः—

(1) प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — अध्यक्ष

(2) डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रति—कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(3) डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया) — सदस्य

(4) डॉ0 राजेश कश्यप, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिमेटोलॉजी विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया) — सदस्य

(5) डॉ0 सी0पी0 पाल, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज (प्रतिनिधि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0) — सदस्य

(6) डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(7) श्रीमती बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(8) डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, संकायाध्यक्ष (पैरामेडिकल विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(9) डॉ0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(10) डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(11) डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(12) डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य

(13) श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा — सदस्य सचिव

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अधिनियम—2015 की धारा—14(4) में यह व्यवस्था है कि "वित्त अधिकारी को कार्य परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।" इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 में कुल 18 में से 13 सदस्य उपस्थित रहे एवं 5 सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति (उपस्थिति पत्रक संलग्न) होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष— कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त सदस्य सचिव—कार्य परिषद/कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष—कार्य परिषद की अनुमति से कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार—विमर्श उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:—

एजेन्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
एजेण्डा बिन्दु 13—1 **प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 05.08.2025 को कुलपति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में स्वागत प्रस्ताव।**	उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—4, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना नियुक्ति सं0 I/10188873/2025/71—4099/3/2021, दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन में प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 05.08.2025 को कुलपति के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	अवगत कराना है कि प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह KGMU, Lucknow में वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक प्रोफेसर, आर्थोपेडिक्स विभाग के पद पर व वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स विभाग के पद पर कार्यरत रहे हैं। Post Graduate Institute of Child Health, Noida में फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक निदेशक के पद पर तथा AIIMS Raipur & AIIMS Gorakhpur में कार्यकारी निदेशक के अतिरिक्त प्रभार एवं AIIMS, Bhopal में कार्यकारी निदेशक के रूप में वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक कार्यरत रहे हैं। प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर दिनांक 05.08.2025 से कार्यभार ग्रहण किया है। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय के स्वागत व अभिनंदन का प्रस्ताव है।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर दिनांक 05.08.2025 से कार्यभार ग्रहण करने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। डॉ0 रमाकांत यादव, प्रति–कुलपति द्वारा मा0 कुलपति महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। मा0 कुलपति महोदय द्वारा श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, इटावा के विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर दिनांक 19.03.2025 को कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में कार्य परिषद के सदस्यगणों को अवगत कराया गया तथा श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी द्वारा श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 13–2</u> **कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**	**<u>प्रस्तावः</u>** कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 का कार्यवृत्त कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 का कार्यवृत्त कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुए कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा बिन्दु 13–3</u> **कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**	**<u>प्रस्तावः</u>** कार्य परिषद बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 13–4</u> **विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों (समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ') को पदोन्नति प्रदान करने हेतु गठित स्टैंन्डर्ड विभागीय पदोन्नति समिति एवं सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अनुमन्य करने हेतु गठित स्कीनिंग समिति पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम सं0 742/79–वि–1–16–1 (क)– 7–2015 दिनांक 17.05.2016 की धारा 48 में निम्नवत् व्यवस्था है:– "विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधाएं संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होंगी" उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

शासनादेश सं0 1421/ 71–2–16–आर0एम0–18/2014 दिनांक 19 मई, 2016 में भी व्यवस्था की गयी है कि विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों जिनके पदनाम, पद की न्यूनतम अर्हता, भर्ती की विधि, कार्य एवं उत्तरदायित्व एसजीपीजीआई, लखनऊ के समकक्ष हैं, को शासनादेश निर्गत होने की तारीख से एसजीपीजीआई के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं अनुमन्य होंगी।

पृष्ठभूमिः उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की प्रथम विनियमावली–2011 की धारा–65 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु निम्नवत् पदोन्नति समिति गठित करने की व्यवस्था हैः–

1. समूह 'क' संकाय से भिन्न पदों के सम्बन्ध में अध्यक्ष ऐसी विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेगा जिसमें उस विषय के दो विशेषज्ञ और सम्बन्धित विभाग/अनुभाग का विभागाध्यक्ष सदस्य के रूप में और निदेशक सभापति के रूप में होगा।
2. समूह 'ख', 'ग' और 'घ' संकाय से भिन्न पदों के सम्बन्ध में निदेशक ऐसी विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करेगा जिसमें दो विषय विशेषज्ञ और सम्बन्धित विभाग/अनुभाग के विभागाध्यक्ष होंगे।
3. उपर्युक्त विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का एक–एक सदस्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त यहॉ यह भी अवगत कराना है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की विनियमावली–2011 की धारा–68 में व्यवस्था है कि "या तो किसी संवर्ग में या किसी समूह के एकमात्र पद के सम्बन्ध में वृद्धि रोक होने की स्थिति में, समय–समय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अनुसार लाभ दिया जाएगा।"

कृत कार्यवाही/नियम/निष्कर्ष/निर्णयः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं शासनादेश दिनांक 19.05.2016 में निहित उक्त व्यवस्था के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की प्रथम विनियमावली की धारा–65 में विहित व्यवस्था के आलोक में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय आदेश सं0 772/यूपीयूएमएस/अधि0–05 (325)/2022–23 दिनांक 27.05.2022 द्वारा निम्नवत् स्टैंन्डर्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया हैः–

1. प्रति–कुलपति –अध्यक्ष।
2. वित अधिकारी –सदस्य।
3. कुलसचिव –सदस्य।
4. चिकित्सा अधीक्षक –सदस्य।
5. प्रभारी अधिष्ठान –सदस्य।
6. अनुसूचित जाति नामिनी –सदस्य।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग नामिनी –सदस्य।
8. विशेषज्ञ मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्धारित किया जायेगा –सदस्य।

तथा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की प्रथम

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	विनियमावली–2011 की धारा–68 में विहित उक्त व्यवस्था के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्मिक जिन्हें पदोन्नति का अवसर नहीं है, को भारत सरकार के शासनादेश सं0 DOPT-1669022409144 Estt.(D) दिनांक 21 नवम्बर, 2022 में की गयी व्यवस्थानुसार एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नवत् प्रस्तावित समिति पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 3582/यूपीयूएमएस/अधि0/2022–23 दिनांक 21.11.2022 द्वारा स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है:– 1. प्रति–कुलपति –अध्यक्ष। 2. वित अधिकारी –सदस्य। 3. कुलसचिव –सदस्य। 4. चिकित्सा अधीक्षक –सदस्य। 5. कैटेगरी सदस्य (अनुसूचित जाति) –सदस्य। 6. कैटेगरी सदस्य (अन्य पिछड़ा वर्ग) –सदस्य। **प्रस्ताव का आधार:** उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शैक्षणिक कार्मिकों (समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ') को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार गठित स्टैंन्डर्ड विभागीय पदोन्नति समिति तथा एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। **प्रस्ताव:** अतः उपर्युक्त से अवगत होते हुए मा0 कार्य परिषद कृपया निम्नलिखित समितियों पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें:– 1. विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय आदेश सं0 772/यूपीयूएमएस/अधि0–05 (325)/2022–23 दिनांक 27.05.2022 द्वारा गठित स्टैंन्डर्ड विभागीय समिति। 2. एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने हेतु कार्यालय आदेश सं0 3582/यूपीयूएमएस/ अधि0/2022–23 दिनांक 21.11.2022 द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– **मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय आदेश सं0 772/यूपीयूएमएस/अधि0–05 (325)/2022–23 दिनांक 27.05.2022 द्वारा गठित स्टैंन्डर्ड विभागीय समिति तथा एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने हेतु कार्यालय आदेश सं0 3582/यूपीयूएमएस/अधि0/2022–23 दिनांक 21.11.2022 द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
<u>एजेण्डा बिन्दु 13–5</u> **उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल–2025 से जून–2025) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 5063(A)/71-2-2021-127/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2021 के द्वारा "उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021" जारी की गई है, जिसके भाग–तीन में बिंदु–च के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं:– **(च) उक्त नोडल समिति त्रैमासिक रूप से असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची राजकीय मेडिकल कालेज एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा संस्थान के मामले में क्रमशः कार्यकारिणी परिषद एवं शासी निकाय को उपलब्ध करायेगी।** उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	संशोधन) नियमावली, 2021 के उक्त प्राविधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल–2025 से जून–2025) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **परिभाषा:** अवगत कराना है कि "उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021" के भाग–एक बिंदु–3(ङ) के अन्तर्गत उल्लेख है कि "असाध्य रोग का तात्पर्य कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर एवं मौसमी संक्रामक बीमारियों [जैपनीज इन्सेफेलाइटिस (जे0ई0), एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0), डेंगू, स्वाईन फ्लू, कोविड–19, डिफ्थीरिया, टिटनेस] असाध्य रोगों से है।" **विवरण:** (1) वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल–2025 से जून–2025) में उपयोग की गई निधि (Fund Utilized) का विवरण निम्नवत् है:–

April 2025 to June 2025			
S.No	Disease Name	No. of Patient	Amount
1	Dialysis Patient	13	443225.36
2	Cancer Patient	12	267354.20
3	Heart Patient	18	1530721.46
	Total	43	2241301.02
	Round off Rs. 2241301.00		

(2) उक्त अवधि में असाध्य रोगों के अन्तर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची (गुर्दे, कैंसर व हृदय रोग) अवलोकनार्थ रक्षित है।

प्रस्ताव: उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल–2025 से जून–2025) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल–2025 से जून–2025) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 13–6	निर्णय	कृत कार्यवाही
मा0 कार्य परिषद की 11वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 11–35 पर दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कृत कार्यवाही उपरान्त श्री कुल भूषण अग्रवाल को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर की गयी पदोन्नति की सूचना मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 कार्य परिषद की 11वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 11–35 द्वारा श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर बिना अनुमति विदेश यात्रा सम्बन्धी आरोप सिद्ध होने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति देते हुए संचयी प्रभाव के साथ 02 वेतनवृद्धियाँ (स्थाई रूप से)	मा0 कार्य परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 2798/यूपीयूएमएस/ , अधि0–05(119) /2023–24 दिनांक 20-10-2023 द्वारा दीर्घ शास्ति देते हुए संचयी प्रभाव के साथ वर्ष 2024 एवं 2025 की 02 वार्षिक वेतनवृद्धियाँ (स्थाई रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित करते हुये श्री अग्रवाल के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर इन्हें पूर्ण रूप से बहाल किया गया ।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लेते हुए श्री के0बी0 अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हुए इन्हें पूर्ण बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया ।	
	श्री के0बी0 अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 03-04-2024 के क्रम में तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि **"श्री अग्रवाल की डी0पी0सी0 करा ली जाये किन्तु समिति की संस्तुति सीलबंद लिफाफे में रखी जाये जिसे कार्य परिषद द्वारा दिये गये दण्ड की अवधि (02 वर्ष) पूर्ण होने पर दिनांक 12-09-2025 के बाद खोला जाये तथा लिफाफा खोले जाने की तिथि से उन्हें प्रोन्नत किया जाये।"**	तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में डी0पी0सी0 की बैठक दिनांक 22-11-2024 को आहूत हुई तथा डी0पी0सी0 समिति द्वारा की गयी संस्तुति **"पदोन्नति कार्यवृत्त सील बन्द लिफाफे में रखा जाये, कार्य परिषद द्वारा दिये गये उक्त दण्ड की अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 12-09-2025 के बाद लिफाफा खोला जाये तथा इससे पूर्व यदि अन्य कोई विभागीय जांच/दण्डिक कार्यवाही प्रचलित न हो तो, लिफाफा खोले जाने की तिथि से उन्हें प्रोन्नत किये जाने की संस्तुति की गयी"** को बन्द लिफाफे में रखा गया। दण्डादेश की अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 12-09-2025 को बन्द लिफाफा खोले जाने की कार्यवाही करते हुए कार्यालय आदेश सं0 2674 यूपीयूएमएस/ अधि0–05 (119)/2025– 26 दिनांक 16-09-2025 द्वारा श्री कुल भूषण अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को पद लेवल–11, पे मैट्रिक्स रू0 67700–208700 से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद लेवल–12, पे मैट्रिक्स रू0 78800–209200 पर लिफाफा खोले जाने की तिथि दिनांक 16-09-2025 से प्रोन्नति प्रदान की गयी है।
	प्रस्तावः श्री कुल भूषण अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को पद लेवल–11, पे मैट्रिक्स रू0 67700–208700 से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद लेवल–12, पे मैट्रिक्स रू0 78800–209200 पर लिफाफा खोले जाने की तिथि दिनांक 16-09-2025 से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सूचना मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।	

कार्य परिषद का निर्णयः– श्री कुल भूषण अग्रवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को पद लेवल–11, पे मैट्रिक्स रू0 67700–208700 से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद लेवल–12, पे मैट्रिक्स रू0 78800–209200 पर लिफाफा खोले जाने की तिथि दिनांक 16-09-2025 से पदोन्नति प्रदान किये जाने की सूचना मा0 कार्य द्वारा अवलोकित की गई।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–7	निर्णय	कृत कार्यवाही
डॉ० रितु गुप्ता, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), ई0एन0टी0 के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–34 में लिये गये निर्णय के क्रम में कृत कार्यवाही से मा0 कार्यपरिषद को अवलोकित कराये जाने के सम्बन्ध में।	1. डॉ0 रितु गुप्ता, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), ई0एन0टी0 के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–34 में लिया गया निर्णय "डॉ0 रितु गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग पर बिना अनुमति विदेश यात्रा सम्बन्धी आरोप सिद्ध होने के कारण मा0 कार्यपरिषद द्वारा डॉ0 रितु गुप्ता को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 नियम–3 के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति देते संचयी प्रभाव के साथ 02 वेतनवृद्धियॉ (स्थाई रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया"	विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 3122, दिनांक 08.11.2023 द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:– "मा0 कार्यपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में डॉ0 रितु गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग की आगामी वर्षों क्रमशः 2024 एवं 2025 की 02 वेतनवृद्धियाँ (स्थाई रूप से) रोके जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। डॉ0 रितु गुप्ता, एसो0 प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग को आगामी वेतनवृद्धि वर्ष 2026 में देय होगी।"
	2. डॉ0 रितु गुप्ता, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), ई0एन0टी0 के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–34 में लिया गया निर्णय के क्रम में गठित एच0आर0 समिति दिनांक 10.10.2023 द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयी है:– "As per decision of Executive Council of the University the candidate has been punished so her promotion will be granted after 02 years." एवं शासनादेश सं0 4/2022/13(4)2021/का–1–2022, दिनांक 06.05.2022 के बिन्दु 03 के उपबिन्दु 3.3.1 में व्यवस्था है कि "संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि के रोके जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक को दण्डादेश पारित होने के बाद सम्पन्न होने वाले प्रथम तीन चयन वर्षों में अनुपयुक्त (Unfit)/अधिक्रमित (Supercede) किया जायेगा। परन्तु सम्बन्धित कार्मिक हेतु पारित दण्डादेश में यदि कोई नियत समयावधि अंकित हैं (यथा एक या अधिक वर्षों संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोका जाना) तो उतने चयन वर्षों में सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त घोषित	मा0 कार्यपरिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 3122/यूपीयूएमएस/अधि0–2 (व्य0 (185)/2023–24, दिनांक 08.11.2023 द्वारा डॉ0 रितु गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग को दीर्घ शास्ति देते संचयी प्रभाव के साथ वर्ष 2024–2025 की 02 वेतनवृद्धियॉ (स्थाई रूप से) रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया। तदक्रम में विश्वविद्यालय की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.10.2023 के कार्यवृत्त के Remarks esa To be promoted after 02 years के साथ–साथ "उपयुक्तता का आंकलन करते समय डी0पी0सी0 उन परिस्थितियों पर विचार करते समय यदि यह मानती है कि कर्मचारी पदोन्नति हेतु उपयुक्त है तो कर्मचारी की शास्ति की विद्यमानता की अवधि के दौरान उसे पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिये" कार्यवृत्त में डॉ0 रितु को कार्यपरिषद द्वारा दीर्घ शास्ति दिये जाने दृष्टिगत 02 वर्ष के पश्चात् पदोन्नत किया जायेगा" संस्तुति की गई है।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	किया जायेगा और उस कार्मिक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक दण्ड में उल्लिखित अवधि समाप्त न हो जाय"	APS (Assessment Promotion Scheme) के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में डॉ0 रितु गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग को पद लेवल 13ए1 पे मैट्रिक्स रू131400–204700/– से प्रोफेसर (जू0ग्रे0)/एडिशनल प्रोफेसर पद लेवल–13ए2 पे मैट्रिक्स रू 139600–211300/–पर लिफाफा खोले जाने की तिथि दिनांक 18.09.2025 से वैयक्तिक प्रोन्नति विषयक कार्यालय आदेश सं0 2806, दिनांक 20.09.2025 जारी कर दिया गया है।
	<u>प्रस्ताव</u>: डॉ0 रितु गुप्ता, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), ई0एन0टी0 के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–34 में लिये गये निर्णय के क्रम में उनके पदोन्नति विषयक कार्यालय आदेश सं0 2806, दिनांक 20.09.2025 से मा0 कार्यपरिषद अवलोकित होना चाहें।	

<u>कार्य परिषद का निर्णय</u>:– मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 रितु गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, ई0एन0टी0 विभाग को पद लेवल 13ए1 पे मैट्रिक्स रू131400–204700/– से प्रोफेसर (जू0ग्रे0)/एडिशनल प्रोफेसर पद लेवल–13ए2 पे मैट्रिक्स रू 139600–211300/– पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक कार्यालय आदेश सं0 2806 दिनांक 20.09.2025 अवलोकित किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 13–8</u> **आवेदक डॉ. धनंजय कुमार सिंह द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिनांक 23.08.2025 को प्रेषित शिकायती पत्र से मा0 कार्य परिषद् को अवलोकित कराये जाने के सम्बन्ध में।**	**<u>प्रस्तावना</u>:** आवेदक डॉ. धनंजय कुमार सिंह द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिनांक 23.08.2025 को प्रेषित शिकायती पत्र के द्वारा विज्ञापन संख्या Advt- No-37/UPUMS/Paramedical/Pharmacy/2024-25 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताएं होने का आरोप लगाया गया है। उक्त शिकायती पत्र पर मा. कुलपति महोदय द्वारा "Registrar – propose necessary action as per rule & update undersigned" के निर्देश अंकित किए गए हैं। **<u>पृष्ठभूमि</u>:** अवगत कराना है कि आवेदक डॉ. धनंजय कुमार सिंह द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिनांक 23.08.2025 को प्रेषित शिकायती पत्र के द्वारा विज्ञापन संख्या Advt- No-37/UPUMS/Paramedical/Pharmacy/2024-25 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताएं होने का आरोप लगाया गया है। डॉ. धनंजय कुमार सिंह के कथन के अनुसार उनका आवेदन स्क्रूटिनी में उपयुक्त पाया गया था तथापि दिनांक 08.04.2025 को जारी परिणाम में उन्हें Not Found Suitable घोषित कर दिया गया। आवेदक ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उक्त शिकायती पत्र पर मा. कुलपति महोदय द्वारा "Registrar – propose necessary action as per rule & update undersigned" के निर्देश अंकित किए गए हैं। आवेदक डॉ. धनंजय कुमार सिंह, एप्लीकेन्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिनांक 23.08.2025 को प्रेषित शिकायती पत्र कुलसचिव महोदय

(अभिषेक रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	द्वारा प्रभारी चयन प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया गया। उक्त के क्रम में प्रभारी चयन प्रकोष्ठ द्वारा टिप्पणी की गई कि "नियमानुसार गठित चयन समिति, जिसके अध्यक्ष मा० कुलपति हों, की संस्तुतियों पर जाँच हेतु सक्षम स्तर क्या होगा?" **प्रस्ताव:** आवेदक डॉ0 धनंजय कुमार सिंह द्वारा ई–मेल के माध्यम से दिनांक 23.08.2025 को प्रेषित शिकायती पत्र के द्वारा विज्ञापन संख्या Advt- No-37/UPUMS/Paramedical/Pharmacy/2024-25 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताएं होने का आरोप लगाया गया है। उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा–27(4) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही की गई, अतः चयन समिति के कार्यवाही पर विश्वविद्यालय स्तर पर चैलेंज किया जाना उचित नहीं है। मा0 कार्य परिषद उक्त प्रकरण को अवलोकित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रकरण अवलोकित किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 13–9 **मा० कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो/पत्रों को मा0 कार्यपरिषद द्वारा अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 05.08.2025 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेश निर्गत किये गये हैं जिन्हें प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमि:** अवगत कराना है कि मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 05.08.2025 को कार्यभार ग्रहण किया गया है। विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेश निर्गत किये गये हैं जो निम्नवत् हैं: –

क्रमांक	दिनांक	पत्र संख्या	शीर्षक	प्रकरण
1	07.08.2025	1858/**यूपीयूएमएस/सा.प्रशा.**(2027-CD)/2025-26	कार्यालय समय	कार्यालय समय 09:00 से 17:00 तथा भोजनावकाश 13:00 से 14:00 के पालन के संबंध में अवकाश कटौती और अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधान के विषय में ।
2	08.08.2025	**कु.का./2025-सीडी/कार्या.आदे./25-26/1892**	कुलपति से मिलने का समय	मा०कुलपति से मिलने हेतु एक दिन पूर्व 13:00 बजे तक नाम, पद, फोन और कारण व्हाट्सएप/ईमेल द्वारा भेजकर समय आवंटन प्राप्त करने के संबंध में प्रक्रिया।
3	12.08.2025	**कु.का./2025-सीडी/कार्या.आदे./25-26/1948**	कार्यवृत्त तैयारी	मा०कुलपति की अध्यक्षता में बैठकों के कार्यवृत्त दो कार्यदिवस में विभागीय लिपिक/आशुलिपिक द्वारा तैयार कर अनुमोदनार्थ भेजने के संबंध में प्रक्रिया और अभिलेखीकरण।
5	12.08.2025	1968/**यूपीयूएमएस/कु.का.(**2025-CD)/2025-26	सूचना–साझाकरण	विश्वविद्यालय की घटनाओं/फोटो/वीडियो को अनौपचारिक समूहों में प्रसारित न करने और ऐसी सामग्री औपचारिक माध्यम से सीधे कुलपति को भेजने के संबंध में प्रतिबंध और आचरण नियमावली के दायित्व
6	13.08.2025	1984/**यूपीयूएमएस/कु.का.(**2025-CD)/2025-26	विभिन्न मदों में हुई बचत राशि	विभिन्न मदों में हुई बचत राशि को विश्वविद्यालय तथा रोगी–हित में उपयोग हेतु समिति गठन के विषय में कार्य–परिधि और सात दिवस में सिफारिश प्रस्तुत करने की समय–सीमा के सम्बन्ध में .
7	14.08.2025	**कु.का./2025-सीडी/कार्या.आदे./24-25/2013**	समयबद्ध सूचना	कुलपति कार्यालय द्वारा मांगी गई समयबद्ध सूचनाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के संबंध में बाध्यता और विलंब की स्थिति में दंडात्मक परिणामों के विषय में

(अनिल रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

8	14.08.2025	**कु.का./2025-सीडी/कार्या.आदे./24-25/2027**	अवकाश स्वीकृति	समूह 'क' अधिकारियों के अवकाश को प्रति कुलपति द्वारा तथा प्रति कुलपति के अवकाश को कुलपति द्वारा स्वीकृत किए जाने के संबंध में पूर्व व्यवस्था में संशोधन
9	14.08.2025	2034/UPUMS/MMD/2025-26	क्रय प्रमाणन	सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा नियमसम्मत क्रय का प्रमाणन कर पत्रावली को सप्लाई–ऑर्डर/भुगतान हेतु अग्रसारित किए जाने के संबंध में प्रक्रिया
10	18.08.2025	2058/U.P.U.M.S./F&A/2091-CD/2025-26	पत्रावली प्रचलन–पथ	वित्तीय तथा प्रशासनिक उपांश वाली पत्रावलियों को पहले कुलसचिव के माध्यम से वित्त अधिकारी को भेजने के संबंध में श्रेणीवार प्रस्तुतिकरण–चैनल (CMSD/केंद्रीय भंडार, आउटसोर्स बिल, अभियांत्रिकी, MMD/अनुबंध, अन्य) स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में
11	18.08.2025	2041/UPUMS/F&A/2091-CD/25-26	पत्रावली प्रचलन–पथ	वित्त विभाग में कार्यरत वरिष्ट लेखाधिकारियो द्वारा पत्रावली परीक्षण के उपरांत श्री विपिन कुमार, मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से वित्त को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में
12	19.08.2025	2055/**कु.का./**2025-**सीडी/कार्या.आदे./**25-26	COVID व्यय जांच	AMS COVID 2021–22 अग्रिम/आधिक्य व्यय प्रकरण की जांच समिति बैठक में पूर्ण तथ्यों सहित प्रतिभाग करने के संबंध में दिनांक और अनुवर्ती कार्यवाही के विषय में
13	19.08.2025	2058/**कु.का./**2025-**सीडी/कार्या.आदे./**25-26	IRC/MRU विभाग द्वारा प्रस्तुति	IRC तथा MRU इकाइयों द्वारा 22.08.2025 को 10 स्लाइड में गतिविधियों/कार्ययोजना प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण, आमंत्रितों और अपेक्षित सामग्री के विषय में
14	19.08.2025	2070/**पार्किंग व्यवस्था/**2025-26	पार्किंग व्यवस्था	परिसर पार्किंग व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संबंध में समिति गठन, स्थल भ्रमण, चिन्हांकन और 10 दिवस में आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा के विषय में निर्देश दिए गए है।
15	19.08.2025	2044/**यूपीयूएमएस)एमएमडी/**2051-CD)/2025-26	अमृत फार्मेसी	HLL लाइफकेयर द्वारा AMRIT फार्मेसी काउंटर स्थापना प्रस्ताव की परीक्षा के संबंध में समिति गठन, मरीज–हित में किफायती उपलब्धता और सात दिवस में रिपोर्ट देने के विषय में।
16	19.08.2025	2045/**यूपीयूएमएस).का.कु/**2025-CD)/2025-26	RTI का जवाब देने के सम्बन्ध में	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तर समय–सीमा में भेजने के संबंध में अनुपालन और विलंब पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के विषय में निर्देश ।
17	19.08.2025	2047/**यूपीयूएमएस).का.कु/**2025-CD)/2025-26	Internal Resource Expenditure के सम्बन्ध में	Internal Resource Expenditure के सम्बन्ध में समिति के गठन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
18	26.08.2025	2220/**यूपीयूएमएस).का.कु/**2025 **सीडी/**(2025-26	निजी जांच केंद्र के कार्मिको द्वारा सैपल लिए जाने के विषय में	चिकित्सालय परिसर में निजी जांच केंद्रो द्वारा सैंपल संग्रहण रोकने के संबंध में निषेध और विश्वविद्यालय से जाँच उपलब्ध न होने पर HOD अनुमति से बाहर कराने के विषय में।
19	27.08.2025	2239/**यूपीयूएमएस-अधि/**1(1815)/2025-26	पदोन्नति स्क्रीनिंग	वैयक्तिक पदोन्नति हेतु अनुसंधान/अनुभव–पत्रों की स्क्रीनिंग के संबंध में संशोधित समिति का गठन, विविध प्रतिनिधित्व और सात दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के विषय में।
20	29.08.2025	2185/**यूपीयूएमएस).प्रशा.सा/**74)/2025-26	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति में CMO के स्थान पर पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रोफेसर को नामित करने के संबंध में आंशिक संशोधन दर्शाया गया है।
21	05.09.2025	2402/U.P.U.M.S./COREE/M.Pharm PG-2025(1827-CD)	फार्मेसी 2025 PG काउंसिलिंग	Pharm–2025 काउंसिलिंग बोर्ड गठन के संबंध में दिनांक/स्थान/समय और चीफ कोऑर्डिनेटर/कोऑर्डिनेटर/सदस्य सचिव आदि की नामांकन सूची।
22	09.09.2025	2495/**कु/.का.2025सीडी/.आदे.कार्या/**25-26	नॉन PG JR/SR	नॉन PG JR/SR भर्ती–प्रक्रिया में विज्ञापन/साक्षात्कार तथा नियुक्ति आदेश की जिम्मेदारियों के संबंध में भूमिका–विभाजन और पत्रावलियों के त्वरित हस्तांतरण का विनियमन ।
23	09.09.2025	2534/**यूपीयूएमएस).प्रशा.सा/**2024-CD)/2025-26	हॉस्पिटल चैनल	अस्पताल से संबंधित पत्रावलियो को चिकित्सा अधीक्षक से कुलसचिव को अग्रसारित करने के संबंध में प्रस्तुतिकरण–पथ में संशोधन ।
24	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2538	OT संचालन	इलेक्टिव और इमरजेंसी व्व के सुचारु संचालन के संबंध में एनेस्थीसिया फैकल्टी इंचार्ज नामांकन और समन्वय दायित्वों के विषय में ।
25	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2539	मेस संचालन	मेडिकल एवं पैरामेडिकल कॉलेज मेस के सुचारु संचालन के संबंध में नामित अधिकारियों की जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग व्यवस्था के विषय मे।
26	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2540	दिव्यांग–मैत्री परिसर	विश्वविद्यालय परिसर को दिव्यांग–मैत्री बनाने के संबंध में समिति गठन, नामित सदस्यों और कार्य–उत्तरदायित्व के विषय में रूपरेखा.
27	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2541	छात्रावास–मैत्री	मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज छात्रावासों को छात्र–मैत्री बनाने के संबंध में समिति गठन, DSW/चीफ वार्डन/छात्र प्रतिनिधि की भागीदारी और क्रियान्वयन पर बल
28	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2542	ट्रैफिक नियंत्रण	कैंपस में वाहन–आवागमन नियंत्रित करने के संबंध में नामित संकाय/सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियाँ और समन्वय तंत्र निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध मे

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

29	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2543	फायर सेफ्टी	फायर सुरक्षा अनुपालन के संबंध में टीम नामांकन, नियमित जाँच, कमी मिलने पर नोडल/फायर अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाई के विषय में
30	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2544	सुरक्षा देखरेख	विश्वविद्यालय सुरक्षा देखरेख के संबंध में दो फैकल्टी इंचार्ज नामित करने और परिसर–स्तरीय सुरक्षा समन्वय पर जिम्मेदारियाँ सौंपी जाने के सम्बन्ध में
31	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2545	CCTV देखरेख	परिसर में CCTV प्रणाली के सुचारु संचालन के संबंध में फैकल्टी इंचार्ज नामांकन और सतत निगरानी/रिपोर्टिंग के विषय में प्रावधान किए जाने के सम्बन्ध में
32	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2546	100–दिवसीय मिशन	100 डेले Projects Mission के कार्यान्वयन की निगरानी के संबंध में समिति गठन, अध्यक्ष/संयोजक/सदस्य की भूमिकाएँ और प्रगति–ट्रैकिंग के विषय में
33	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2547	AI CoE	क्लिनिकल प्रैक्टिस, अनुसंधान और मेडिकल शिक्षा में AI Centre of Excellence के संबंध में समिति गठन, वित्त/फैकल्टी/प्रशासनिक सहभागिता और संयोजक की भूमिका
34	10.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2548	डिजिटलाइजेशन	अस्पताल के मरीज रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन और भुगतान के डिजिटलीकरण के संबंध में समिति गठन और 15–दिन के अंतराल पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा
35	15.09.2025	2617/**यूपीयूएमएसकुलपति/ /कार्यालय**2025-26	विद्या परिषद	विद्या परिषद में सदस्य सचिव व्यवस्था न होने की स्थिति में संकायाध्यक्ष (चिकित्सा) को संयोजक नामित करने के संबंध में बैठकों के आयोजन और एजेंडा प्रस्तुति की जिम्मेदारी स्पष्ट किए जाने के सम्बन्ध में
36	16.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2675	मीडिया समन्वय	विश्वविद्यालय की कॉन्फ्रेंस/अनुसंधान/खेल/अस्पताल /आधिकारिक वक्तव्यों के संबंध में मीडिया से समन्वय हेतु प्रवक्ता–समूह नामित करने और आवश्यकता पड़ने पर रिपोर्टिंग व्यवस्था तय किए जाने के सम्बन्ध में
37	17.09.2025	2709/U.P.U.M.S./F&A/2091-CD/2025-26	दायित्व–विन्यास	सामग्री प्रबंधन/अनुबंध प्रकोष्ठ दायित्वों के पुनर्विन्यास के संबंध में Shri K.B. Agarwal को जिम्मेदारी हस्तगत कराने और संबंधित अधिकारियों/विभागों के अनुपालन के विषय में
38	18.09.2025	2758/U.P.U.M.S./F&A/2091-CD/2025-26	संशोधित प्रावधान	सामग्री प्रबंधन दायित्व Dr. Dheeraj Kumar Srivastava के पास यथावत रखने और अनुबंध प्रकोष्ठ दायित्व Shri K.B. Agarwal को सौंपने के संबंध में पूर्व आदेश 2709 को सीमित रूप से संशोधित किए जाने का उल्लेख है.
39	19.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2764	नियुक्ति पर्यवेक्षण	संकाय नियुक्ति–प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय कार्यों की देखरेख के संबंध में प्रति कुलपति को अधिकृत करने और चयन प्रकोष्ठ को अनुपालन हेतु सूचित करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में
40	20.09.2025	VCO/2025-CD/OO/25-26/2816	ट्रॉमा/इमरजेंसी	ट्रॉमा/इमरजेंसी/बर्न सेंटर समन्वय के संबंध में Faculty In-charge तथा सह–इंचार्ज नामित करने और यह दायित्व अन्य जिम्मेदारियों के अतिरिक्त बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक के निभाने का विनियमन किए जाने के सम्बन्ध में
41	22.09.2025	**कु/.का.**2025**सीडी /.आदे.कार्या/**25-26/2860	संकायाध्यक्ष समितियाँ	चिकित्सा/पैरामेडिकल/नर्सिंग/फार्मेसी/फिजियोथेरेपी संकायों हेतु संकायाध्यक्ष समितियों के गठन के संबंध में अध्यक्ष/संयोजक/सदस्यों की संरचना और संकाय–स्तरीय विमर्श/प्रस्ताव–स्वीकृति की प्रक्रिया दर्शाई गई है.
42	25.09.2025	**कु/.का.**2025**सीडी /.आदे.कार्या/**25-26/2897	समयपालन/अनुशासन	विभागों में ताला/अनुपस्थिति/लेक्चर न होने/रखरखाव शिकायत न दर्ज होने के अवलोकनों के संबंध में समय पर उपस्थिति, 25% सीमा से अधिक अवकाश न स्वीकृत करने और सिविल/इलेक्ट्रिकल अनुरक्षण समय से कराने की अनिवार्यताएँ

नियमः विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उक्त कार्यालय आदेशों को निर्गत किया जाना आवश्यक है।

प्रस्ताव का आधारः प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्गत किये गये कार्यालय आदेशों को एजेन्डा बिन्दु के रूप में मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त 42 कार्यालय आदेश अलग बुकलेट में प्रस्तुत हैं।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः मा० कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो/पत्रों से मा0 कार्य परिषद अवलोकित होना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा० कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशों/पत्रों को मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–10

विश्वविद्यालय में नव नियुक्त 05 नर्सिंग ऑफिसर को परिवीक्षा अवधि के दौरान फर्जी/जाली प्रपत्र पाये जाने पर उनकी सेवा समाप्ति के पश्चात् कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावना: विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु जारी विज्ञापन सं0 36/यूपीयूएमएस/सीबीटी/2023–24 दिनांक 30.01.2024 के अन्तर्गत कुल 535 (500 Fresh + 35 Backlog) पदों पर मै0 टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मुम्बई के माध्यम से (CBT) परीक्षा आयोजित की गयी। उक्त परीक्षा में सफल हुए कुल 535 अभ्यर्थियों में से कुल 403 अभ्यथी डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित हुए। डाकूमेंट वेरिफिकेशन उपरान्त कुल 388 अभ्यर्थी अर्ह पाये गये। मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से उक्त पदों के सापेक्ष चयनित कुल 388 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया गया। चयनित कुल 388 अभ्यर्थियों में से कुल 339 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत श्री सूरज कुमार द्वारा उपश्रेणी Dependent of Freedom Fighter (FF-UR) मेरिट के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर के पद दिनांक 02.09.2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु जारी विज्ञापन सं0 01/यूपीयूएमएस/सीबीटी/2023–24 दिनांक 18.05.2023 के अन्तर्गत कुल 600 पदों पर मै0 टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मुम्बई के माध्यम से (CBT) परीक्षा आयोजित की गयी। उक्त परीक्षा में सफल हुए कुल 600 अभ्यर्थियों में से कुल 504 अभ्यथी डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित हुए। डाकूमेंट वेरिफिकेशन उपरान्त कुल 498 अभ्यर्थी अर्ह पाये गये। मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से उक्त पदों के सापेक्ष चयनित कुल 498 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया गया। चयनित कुल 498 अभ्यर्थियों में से कुल 341 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत उपश्रेणी Dependent of Freedom Fighter (DFF-UR) मेरिट के आधार पर श्री अंकित कुमार तथा श्री हिमांशु (SC), सुश्री मीनाक्षी (SC) व श्री रवि कुमार (SC-PH) को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयन किया गया। विश्वविद्यालय में कार्मिकों की सेवा समाप्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित है, अतः प्रकरण कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के उक्त विज्ञापन के माध्यम से नव नियुक्त 05 नर्सिंग ऑफिसरों द्वारा नियुक्ति से सम्बन्धित आवेदन करने व विश्वविद्यालय में योगदान के समय फर्जी प्रपत्र अपलोड/उपलब्ध कराये जाने के पश्चात इनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त किये जाने के क्रम में अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यवाही की गयी जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा फर्जी/जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गयी। अतः परिवीक्षा अवधि के दौरान किये गये उक्त 05 नर्सिंग ऑफिसरों की सेवा समाप्ति के पश्चात् कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के सम्मुख रखने का निर्णय लिया गया।

कृत कार्यवाही: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त 05 कार्मिकों को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान की गयी, परन्तु परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्मिकों के शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने पर निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसरों के प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये गये, जिसके क्रम में निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिकों की सेवायें विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत समाप्त कर दी गयीं हैं, संबंधित विवरण

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

निम्नवत हैः—

क्र0 सं0	नाम, पदनाम	नियुक्ति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि	सेवा समाप्ति कार्यालय आदेश	सेवा समाप्ति का कारण
1	श्री अंकित कुमार, नर्सिंग ऑफिसर	15.12. 2023	19.03. 2025	सं0—4880 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1752—सीडी / 2024—25 दिनांक 19.03.2025	उपश्रेणी के अन्तर्गत Dependent of Freedom Fighter (DFF-UR) सम्बन्धी फर्जी प्रमाण पत्र पाये जाने के कारण
2	श्री सूरज कुमार, नर्सिंग ऑफिसर	02.09. 2024	02.08. 2025	सं0—1544 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(ई) / 716—सीडी / 2025—26 दिनांक 02.08.2025	उपश्रेणी के अन्तर्गत Dependent of Freedom Fighter (DFF) सम्बन्धी फर्जी प्रमाण पत्र पाये जाने के कारण
3	श्री हिमांशु, नर्सिंग ऑफिसर	08.12. 2023	12.07. 2025	सं0—1298 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1538—सीडी / 2025—26 दिनांक 12.07.2025	अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी / जाली पाये जाने के कारण
4	कु0 मीनाक्षी, नर्सिंग ऑफिसर	12.12. 2023	12.07. 2025	सं0—1299 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1681—सीडी / 2025—26 दिनांक 12.07.2025	अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी / जाली पाये जाने के कारण
5	श्री रवि कुमार, नर्सिंग ऑफिसर	11.12. 2023	04.08. 2025	सं0—1563 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1648—सीडी / 2025—26 दिनांक 04.08.2025	अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी / जाली पाये जाने के कारण

प्रस्तावः उक्त 05 नव नियुक्त नर्सिंग ऑफिसर को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के बिन्दु सं0 10 पर वर्णित कथन— "If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from the service and such other action as the competent authority may deem necessary will be taken against you" के क्रम में भ्रामक एवं असत्य सूचना अंकित / उपलब्ध कराये जाने के कारण परिवीक्षा अवधि के दौरान उनकी विश्वविद्यालय से नर्सिंग ऑफिसर के पद से सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश सं0 1544 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(ई) / 716—सीडी / 2025—26 दिनांक 02.08.2025 द्वारा श्री सूरज कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, कार्यालय आदेश सं0 4880 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1752—सीडी / 2024—25 दिनांक 19.03.2025 द्वारा श्री अंकित कुमार, नर्सिंग ऑफिसर, कार्यालय आदेश सं0 1298 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1538—सीडी / 2025—26 दिनांक 12.07.2025 द्वारा श्री हिमांशु, नर्सिंग ऑफिसर, कार्यालय आदेश सं0 1299 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1681—सीडी / 2025—26 दिनांक 12.07.2025 द्वारा सुश्री मीनाक्षी, नर्सिंग ऑफिसर व कार्यालय आदेश सं0 1563 / ई / यूपीयूएमएस / अधि0—6(डी) / 1648—सीडी / 2025—26 दिनांक 04.08.2025 द्वारा श्री रवि कुमार, नर्सिंग ऑफिसर की सेवायें कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत समाप्त कर दी गयी हैं, उक्त निर्णय पर किसी भी कार्मिक द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव का अपेक्षित अनुमोदनः मा0 कार्य परिषद उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः— विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं0 36 / यूपीयूएमएस / सीबीटी / 2023—24 दिनांक 30.01.2024 के अन्तर्गत नियुक्त उक्त 05 नर्सिंग ऑफिसर (श्री अंकित कुमार, श्री सूरज कुमार, श्री हिमांशु, कु0 मीनाक्षी एवं श्री रवि कुमार) के शैक्षणिक / अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने पर उनके प्रमाण पत्र फर्जी / जाली पाये जाने के क्रम में उन्हें निर्गत नियुक्ति पत्र के बिन्दु सं0 10 में उल्लिखित प्रतिबंध के अधीन सेवा समाप्त किये जाने हेतु की गई कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

(डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–11 **विश्वविद्यालय के 04 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** विगत वर्षों में विश्वविद्यालय के 04 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद में निहित है, अतः प्रकरण कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमि/नियमः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–22(1) (कार्य परिषद की शक्तियों और कर्तव्य) की उपधारा–5 में "विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना तथा उनकी अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना" की व्यवस्था है। उल्लेखनीय है कि कार्य परिषद की छठी बैठक दिनांक 26.09.2018 के एजेण्डा बिन्दु–10 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया था कि मृतक आश्रित प्रकरण में "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। **कृत कार्यवाही/निर्णयः** विश्वविद्यालय के 04 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्रावधानों के अनुसार कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः– 1. **स्व0 श्री दौलत राम, कुक कम अटेंडेंट ग्रेड–2** के आश्रित श्री विकास (पुत्र) द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री विकास के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इन्हें हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2, पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1) के पद पर कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जाये। निर्णय संबंधी नोटशीट की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत। 2. **स्व0 श्री राकेश कुमार, जूनियर स्टोर ऑफिसर** की आश्रित श्रीमती रेनू (पत्नी) द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्रीमती रेनू के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इन्हें जूनियर क्लर्क, पे–मैट्रिक्स रू0 21700–69100 (लेवल–3) के पद पर कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जाये। निर्णय संबंधी नोटशीट की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत। 3. **स्व0 डॉ0 विनीत चतुर्वेदी, प्रोफेसर (जू0ग्रेड)** की आश्रित श्रीमती रेनू चतुर्वेदी (पत्नी) द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्रीमती रेनू चतुर्वेदी के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इन्हें टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी), पे–मैट्रिक्स रू0 35400–112400 (लेवल–6) के पद पर कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जाये। निर्णय संबंधी नोटशीट की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत। 4. **स्व0 श्री सर्वेश कुमार उर्फ सर्वेश शाक्य, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–1** के आश्रित श्री सनी शाक्य (पुत्र) द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री सनी शाक्य के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इन्हें हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2, पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1) के पद पर कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी जाये। निर्णय संबंधी नोटशीट की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

उक्त के क्रम में 04 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को प्रदान की गई अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	मृतक कार्मिक का नाम, पदनाम, वेतनमान एवं योगदान तिथि	देहान्त की तिथि	मृतक कार्मिक के आश्रित का विवरण जिन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई	
			नाम एवं मृतक कार्मिक से संबंध	पदनाम एवं वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**स्व0 श्री दौलत राम,** कुक कम अटेंडेंट, पे–मैट्रिक्स रू0 19900–63200 (लेवल–2), योगदान तिथि 28.03.2008	25.09.2024	श्री विकास, (पुत्र)	हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2, पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1)
2.	**स्व0 राकेश कुमार,** जूनियर स्टोर ऑफिसर, पे–मैट्रिक्स रू0 35400–112400 (लेवल–6) योगदान तिथि 08.10.2007	27.11.2024	श्रीमती रेनू, (पत्नी)	जूनियर क्लर्क, पे–मैट्रिक्स रू0 21700–69100 (लेवल–3)
3.	**स्व0 डॉ0 विनीत चतुर्वेदी,** प्रोफेसर (जू0ग्रेड), पे–मैट्रिक्स रू0 139600–211300 (लेवल–13A), योगदान तिथि 04.03.2011	02.03.2025	श्रीमती रेनू चतुर्वेदी, (पत्नी)	टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी), पे–मैट्रिक्स रू0 35400–112400 (लेवल–6)
4.	**स्व0 श्री सर्वेश कुमार उर्फ सर्वेश शाक्य,** हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–1, पे–मैट्रिक्स रू0 19900–63200 (लेवल–2), योगदान तिथि 01.12.2008	15.04.2025	श्री सनी शाक्य, (पुत्र)	हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2, पे–मैट्रिक्स रू0 18000–56900 (लेवल–1)

प्रस्ताव: विश्वविद्यालय के उक्त 04 मृतक कार्मिकों के आश्रितों को "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उक्तवत् की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णय:– विश्वविद्यालय के 04 मृतक कार्मिकों यथा (1) स्व0 श्री दौलत राम, कुक कम अटेंडेंट के आश्रित श्री विकास (पुत्र) को हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2, (2) स्व0 राकेश कुमार, जूनियर स्टोर ऑफिसर की आश्रित श्रीमती रेनू (पत्नी) को जूनियर क्लर्क, (3) स्व0 डॉ0 विनीत चतुर्वेदी, प्रोफेसर (जू0ग्रेड) की आश्रित श्रीमती रेनू चतुर्वेदी (पत्नी) को टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं (4) स्व0 श्री सर्वेश कुमार उर्फ सर्वेश शाक्य, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–1 के आश्रित श्री सनी शाक्य (पुत्र) को हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड–2 के पद पर "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 13–12

विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।

प्रस्तावना: विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 मं एजेण्डा बिन्दु (10.9) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय की चयनसमिति द्वारा फैकल्टी संकाय के विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई, जिसे मा0 कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(अखिलेश रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

पृष्ठभूमिः वि0सं0 UPUMS/ACAD/41/2024-25 दिनांक 04.09.2024 (बैकलॉग), UPUMS/ ACAD/42/ 2024-25 cycle 1 & merge cycle 2&3 एवं विज्ञापन संख्या 37/पैरामेडिकल/फार्मेसी/2024–25 दिनांक 20.06.2024 द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त संकाय पदो के सापेक्ष आयोजित साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धि सीलबंद लिफाफे एजेण्डा बिन्दु 10–9 के क्रम में एच0आर0 समिति के अनुमोदनोपरान्त तथा पदोन्नति से संबंधी लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र निर्गत किये गये हैं, जिसका कार्यपरिषद से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाने के सम्बन्ध में।

नियमः विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–27 में विहित व्यवस्था "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिस पर एतद्पश्चात उपबंधित रीति से नियुक्त किये जायेंगे" के अन्तर्गत उक्त विज्ञापनों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में चयन की कार्यवाही की गई। चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों से संबन्धित कार्यवृत्त एजेण्डा बिंन्दु 10–9 के क्रम में एच0आर0 समिति के अनुमोदनो परान्त नियुक्ति पत्र निर्गत किये गये हैं जिसका कार्यपरिषद से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

UPUMS/ACAD/41/2024-25 Dated 04.09.2024 (Backlog) &UPUMS/ACAD/42/ 2024-25 cycle 1

S. No.	Departments	Posts	Name of Candidates	Category	Remarks
1.	Biochemistry	Associate Professor	Dr. Abhishek Sharma	UR	Selected
2.	General Surgery	Assistant Professor	Dr. Sameer Gupta	UR	Selected-1
		Assistant Professor	Dr. Sandeep Yadav	UR	Selected-2
3.	Obstetrics & Gynaecology	Assistant Professor	Dr. Shaheen Bano	UR	Selected
		Assistant Professor	Dr. Kamayni Yadav	UR	Waitlisted
4.	Oral & Maxillofacial Surgery (Faculty of Dental Sciences)	Assistant Professor	Dr. Abhigyan Manas	UR	Selected
		Assistant Professor	Dr. Vaibhav Anand	SC	Selected
5.	Orthopedics	Assistant Professor	Dr. Rishabh Agarwal	UR	Selected
6.	Paediatrics	Assistant Professor	Dr. Himanshu Gupta	UR	Selected
7.	ENT	Assistant Professor	Dr. Kanchan Chaudhary	SC	Selected
8.	Paediatrics Surgery	Associate Professor	Dr. Survesh Kumar	UR	Selected

List of selected candidates of Advt.No. UPUMS/ACAD/42/2024-25 Merged cycle 2 &3

S. No.	Departments	Posts	Name of candidates	Category	Remark of the selection Committee
1	Anesthesiology	Associate Professor	Shuchi Nigam	UR	Selected-1
		Associate Professor	Himanshu Prince Yadav	OBC	Selected-2
		Associate Professor	Raghvendra Singh	UR	Selected-3
		Assistant Professor	Prashasti Saxena	UR	Selected
2	Microbiology	Associate Professor	Nidhi Sharma	UR	Selected
3	PMR	Associate Professor	Vinay Kanaujia	OBC	Selected
4	Gastro Surgery	Assistant Professor	Hitesh Sarda	UR	Selected

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

5	General Surgery	Assistant Professor	Vivek Kumar Verma	UR	Selected-1
		Assistant Professor	Kush Mehrotra	UR	Selected-2
6	Pathology	Assistant Professor	Manish Kumar	UR	Selected-1
		Assistant Professor	Murad Ahmed	UR	Selected-2
		Assistant Professor	Jitendra Kumar Vimal	SC	Selected-3
		Assistant Professor	Kusum Yadav	OBC	Selected-4
7	Plastic Surgery & Burn Centre	Assistant Professor	Tanjum Kamboj	UR	Selected
8	Psychiatry	Assistant Professor	Dheerendra Kumar	SC	Selected
9	Urology	Assistant Professor	Praveen Singh	OBC	Selected

विज्ञापन सं0 37 / पैरामेडिकल / फार्मेसी / 2024–25 दिनांक 20.06.2024

S. No.	Departments	Posts	Name of Candidates	Category	Remarks
1	Radiological Imagine Technics	Associate Professor	None found suitable		
2	Medical laboratory Technics	Professor	Jitendra Prasad Mathuria	UR	Recommended for selection
			Brahm Kumar Tiwari	UR	Waitlist
3	Physiotherapy	Professor	None found suitable		
		Associate Professor	Gowri Shanker Potturi	UR	Recommended for selection
			Jaspreet Singh Vij	UR	Waitlist
4	Optometry	Professor	Kamal Pant	UR	Recommended for selection
			Gaurav Kumar	UR	Waitlist

S. No.	Departments	Posts	Name of Candidates	Category	Remarks
1	Medical Laboratory Technics	Assistant Professor	Nishee Mishra	UR	Selected UR
			Abhilasha Gupta	UR	Waitlisted UR
			Narendra Pratap Singh	SC	Selected SC
			Neha Rani	SC	Waitlisted SC
2	Optometry	Assistant Professor	Ragni Kumari	UR	Selected UR
			Gaurav Dubey	UR	Waitlisted UR
			Jagdish Singh	SC	Selected SC
			Ashutosh Kinkar	SC	Waitlisted SC

विज्ञापन सं0 37 / पैरामेडिकल / फार्मेसी / 2024–25 दिनांक 20.06.2024

S. NO	Departments	Post held	Category	Remark
1	Occupational Therapy	Demonstrator/Resident	SC UR	**Sealed Envelope**

चिकित्सा संकाय के कतिपय विभागों में प्रोफेसर जूनियर ग्रेड से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर जूनियर ग्रेड तथा असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पदधारकों को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

S. NO.	Departments	Name	Post held	Promotional post	Promotion will be given w.e.f	Remark
1	Anesthesiology	Dr. Urvashi Yadav	Professor (Jr. Gr.)	Professor	30.06.2024	Recommended for promotion
2	Orthopaedics	Dr. Dinesh Kumar	Professor (Jr. Gr.)	Professor	30.06.2024	
		Dr. Prashant Pratap Singh	Assistant Professor	Associate Professor	30.06.2024	
		Dr. Jasveer Singh	Associate Professor	Prof. (Jr. Gr.)	Review DPC as per decision of 12th Meeting of E.C. Recommended for promotion w.e.f. 01-07-2022	
3	Dermatology	Dr. Sweta S. Kumar	Associate Professor	Professor (Jr. Gr.)	30.06.2024	Recommended for promotion
4	Ophthalmology	Dr. Brijesh Singh	Associate Professor	Professor(Jr. Gr.)	30.06.2024	

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

5	Pathology	Dr. Geeta Maurya	Associate Professor	Professor (Jr. Gr.)	30.06.2024	
6	General Medicine	Dr. Shushil Kumar	Assistant Professor	Associate Professor	30.06.2024	
		Dr. Pankaj Kumar	Associate Professor	-------------	-------------	Not recommended for promotion
7	Anatomy	Dr. Vishal Ramesh Jsuja	Associate Professor	Professor (Jr. Gr.)	30.06.2024	Recommended for promotion
		Dr. Monika Srivastava	Associate Professor	Professor (Jr. Gr.)	30.06.2024	
		Dr. Mamta Rani	Assistant Professor	Associate Professor	30.06.2024	
		Dr. Nand Kishor Gupta	Assistant Professor	-------------	-------------	Not recommended for promotion
8	Pharmacology	Dr. Vinay Kumar Gupta	Assistant Professor	Associate Professor	30.06.2024	Recommended for promotion
9	Radiation Oncology	Dr. Atul Mishra	Assistant Professor	Associate Professor	30.06.2024	

<u>प्रस्ताव:</u> (1) विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/41/2024-25 Dated 04.09.2024 (Backlog), विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/42/2024-25 cycle 1, विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/42/2024-25 Merged cycle 2 &3 एवं विज्ञापन सं0 37/पैरामेडिकल/फार्मेसी/2024–25 दिनांक 20.06.2024 द्वारा विभिन्न विभागों के रिक्त पदो पर चयन के संबंध में चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धित सीलबंद लिफाफे विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 में एजेण्डा बिन्दु (10–9) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा फैकल्टी पदों के विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई, जिस पर मा0 कार्यपरिषद के कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

(2) उक्त के अतिरिक्त ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डेमोंस्ट्रेटर पद हेतु चयन संबंधित सीलबंद लिफाफा खोले जाने एवं परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया की जानी है।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> **(1) विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/41/2024-25 Dated 04.09.2024 (Backlog), विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/42/2024-25 cycle 1, विज्ञापन सं0 UPUMS/ACAD/42/2024-25 Merged cycle 2 &3 एवं विज्ञापन सं0 37/पैरामेडिकल/फार्मेसी/2024–25 दिनांक 20.06.2024 द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने की कार्यवाही व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही तथा चिकित्सा संकाय के चिकित्सा शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित प्रोन्नति समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन के संबंध में विश्वविद्यालय की 04 सदस्यीय एच0आर0 समिति द्वारा की गई कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

(2) विज्ञापन सं0 37/पैरामेडिकल/फार्मेसी/2024–25 दिनांक 20.06.2024 के अन्तर्गत ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डेमोंस्ट्रेटर पद हेतु चयन संबंधित सीलबंद लिफाफा खोला गया एवं परिणाम निम्नवत् घोषित किया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

S. No.	Departments	Posts	Name of Candidates	Category	Remarks
1	Occupational Thereapy	Demonstrator	Gunjan Kumar	UR	Selected
			Anuradha Gautam	SC	Selected
			Kajal	UR	Waitlisted

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–13

विश्वविद्यालय द्वारा गैरशैक्षणिक पदों पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–38/UPUMS/Recruitment Cell/2024-25 के सापेक्ष आयोजित सी0बी0टी0, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति की संस्तुतियों के क्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।

प्रस्तावना: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–38/UPUMS/Recruitment Cell/ 2024-25 के माध्यम से विभिन्न गैर–शैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

Junior Physiotherapist	**- 05 Posts (02 UR, 01 OBC, 02 SC)**
Junior Occupational Therapist	**- 04 Posts(02 UR, 01 OBC, 01 SC)**
Pharmacist Grade-2	**- 10 Posts (04 UR, 03 OBC, 02 SC, 01 EWS)**
Sr. Administrative Assistant	**– 30 Posts (12 UR, 09 OBC, 06 SC, 03 EWS)**
Stenographer	**– 30 Posts (12 UR, 09 OBC, 06 SC, 03 EWS)**
Jr. Medial Record Officer	**- 03 Posts (01 UR, 01 OBC, 01 SC)**

उक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 19.10.2024 को आयोजित कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया गया तथा परिणाम दिनांक 05.12.2024 को घोषित किया गया।

कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य दिनांक 26.12.2024 से 28.12.2024 तथा 09.01.2025 को पूर्ण किया गया।

Junior Physiotherapist -05 Posts (02 UR, 01 OBC, 02 SC)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	PULKIT MAHAJAN	ANIL KUMAR MAHAJAN	1	UR	Selected
2	P K ABHILIPSA	KRUPASINDHU SAHOO	2	UR	Selected
3	DIVYA SHARMA	SUNIL KUMAR SHARMA	8	OBC	Selected
4	GYAN SINGH	BENI PRASAD	19	SC	Selected
5	MANVEET KUMAR	RAGHUVIR SINGH	37	SC	Selected

Junior Occupational Therapist- 04 Posts(02 UR, 01 OBC, 01 SC)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	GUNJAN KUMAR	RAMSAGAR UPADHYAY	1	UR	Selected
2	MEGHA GOEL	SATBIR GOEL	2	UR	Selected

Pharmacist Grade-2 -10 Posts (04 UR, 03 OBC, 02 SC, 01 EWS)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	DILEEP KUMAR PAL	SHIV HARAKH PAL	1	UR	Selected
2	AJAY PAL	SHIV KUMAR PAL	2	UR	Selected
3	AAYUSH SINGH	VINOD SINGH	3	UR	Selected
4	AMAN KUMAR	AJIT SINGH	4	UR	Selected
5	NITESH YADAV	OM PRAKASH YADAV	5	OBC	Selected
6	HARSH PRATAP SINGH	KANHEYA LAL BHARTI	6	SC	Selected
7	PRATIBHA PAL	RAM NARESH PAL	7	OBC	Selected
8	VISHU PAL	AJEET SINGH	14	OBC	Selected
9	PRABHAT KUMAR	NEEL KUMAR	18	EWS	Selected
10	TARUNA SINGH	JITENDRA PAL SINGH	45	SC	Selected

Jr. Medial Record Officer

S. N.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
	All appeared candidate failed in Document Verification				

Sr. Administrative Assistant और Stenographer पदों हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्रमश: 91 और 94 अभ्यर्थियो को अर्ह पाया गया, जिन्हें दिनांक 13.01.2025 एवं 14.01.2025 को स्किल टेस्ट हेतु आमंत्रित किया गया। स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की सूची पताका–'घ' एवं पताका–'ङ' पर अवलोकनार्थ रक्षित है। स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरिट के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के सी0एम0एल0 रैंक आरक्षण रोस्टर के अनुसार तैयार किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची निम्नवत् हैः—

Sr. Administrative Assistant (UR)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	MANJEET SINGH RANA	RANBIR SINGH RANA	3	UR	Selected
2	PANKAJ SINGH	DAYANAND SINGH	4	UR	Selected
3	GAGAN PATHAK	LALMANI PATHAK	5	UR	Selected
4	AAKASH KUMAR SINGH	MANGLESH KUMAR SINGH	6	UR	Selected
5	DEEPAK VERMA	DAYA SHANKAR VERMA	7	UR	Selected
6	ABHISHEK YADAV	RAJENDRA SINGH YADAV	8	UR	Selected
7	HARSH VERMA	RAM BABU VERMA	9	UR	Selected
8	HARIOM SHARMA	PRAMOD KUMAR SHARMA	12	UR	Selected
9	LALIT KUMAR TRIPATHI	SATRUDRA PRAKASH TRIPATHI	13	UR	Selected
10	RISHIKESH KUMAR	SHIV KUMAR MAHTO	14	UR	Selected
11	SPRIHA MAURYA	RAM JEET MAURYA	49	UR-W	Selected
12	KANCHAN PATEL	AMRIT LAL	63	UR-W	Selected

Sr. Administrative Assistant (OBC)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	ABHINAY YADAV	RADHE SHYAM	16	OBC	Selected
2	SAMEER KUMAR YADAV	RAMSAJAN YADAV	21	OBC	Selected
3	PRASHANT VISHWAKARMA	DASHARATH PRASAD	22	OBC	Selected
4	AMIT KUMAR	RAM ASARE	23	OBC	Selected
5	DEEPAK SINGH KUSHAWAHA	SURENDRA NATH SINGH KUSHAWAHA	25	OBC	Selected
6	ANIRUDH PAL	SATYA NARAYAN PAL	26	OBC	Selected
7	DEEPAK KUMAR SAINI	SHANKAR PRASAD SAINI	27	OBC	Selected
8	ABHISHEK SONI	SANTOSH KUMAR SONI	31	OBC	Selected
9	SUSHMA KUMARI	RAM KISHAN	142	OBC-W	Selected

Sr. Administrative Assistant (SC)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	ANKIT SATSANGI	HARI BABU SATSANGI	28	SC	Selected
2	ROHIT SINGH	SURAJ PAL SINGH	51	SC	Selected
3	VIVEK KUMAR	VASUDEV	166	SC	Selected
4	KULDEEP	SHIV NARAYAN	186	SC	Selected
5	KIRAN KUMARI	GYAN SINGH VERMA	605	SC-W	Selected

Sr. Administrative Assistant (EWS)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	ABHISHEK KUMAR PANDEY	USHESH KUMAR PANDEY	17	EWS	Selected
2	SAMIR TIWARI	RAMESH TIWARI	37	EWS	Selected
3	SHARAD KUMAR	UMESH CHANDRA TRIVEDI	50	EWS	Selected

Stenographer (UR)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	KARTIK SHARMA	BAL KRISHAN SHARMA	1	UR	Selected
2	ADARSH CHATURVEDI	CHANDRA SHEKHAR	3	UR	Selected

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

3	MOHIT KUMAR	RAM AVTAR	7	UR	Selected
4	AISHWARYA GUPTA	KAMAL KUMAR GUPTA	17	UR	Selected
5	AMIT KUMAR YADAV	ARVIND KUMAR	19	UR	Selected
6	RUPAM KUMARI	RAJU	24	UR	Selected
7	CHANDNI	CHANDRA KISHOR	26	UR	Selected
8	GYANENDRA SINGH	YOGENDRA SINGH	27	UR	Selected
9	ANANT KUMAR YADAV	RAJENDRA KUMAR YADAV	32	UR	Selected
10	TEENA DHAKED	BRIJESH DHAKED	58	UR-W	Selected
11	NAINSI RAJPUT	BHAGWAT PRASAD	60	UR-W	Selected

Stenographer (OBC)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	DEVESH SOLANKI	UDAY SINGH SOLANKY	54	OBC	Selected
2	SHUBHAM VERMA	BAJRANG SINGH	85	OBC	Selected
3	PANKAJ KUMAR	BEERENDAR	90	OBC	Selected
4	KISHAN KUMAR PATEL	NARENDRA DEV VERMA	103	OBC	Selected
5	ABHISHEK MOURYA	RAMNAYAN MOURYA	106	OBC	Selected

Stenographer (SC)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
		None Found Suitable			

Stenographer (EWS)

Sl. No.	Name of Candidate	Father's Name	CML Rank	Selected Category	Final Remark
1	SAURABH SHARMA	RAKESH SHARMA	52	EWS	Selected
2	SUNNY KUMAR SINGH	SHAMBHU NATH SINGH	53	EWS	Selected
3	ASHWANI KUMAR GODWANI	SURESH KUMAR	78	EWS	Selected

प्रस्ताव: विज्ञापन संख्या–38/UPUMS/Recruitment Cell/ 2024-25 द्वारा विज्ञापित विभिन्न गैर–शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु दिनांक 19.10.2024 को आयोजित कम्प्यूटर बेस्ट टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 05.12.2024 को घोषित किया गया, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 26.12.2024 से 28.12.2024 तथा 09.01.2025 को पूर्ण किया गया। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर पदो के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 13.01.2025 एवं 14.01.2025 को लिया गया। तदोपरान्त विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 25.01.2025 के क्रम में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। कृपया मा0 कार्य परिषद उक्त चयन की कार्यवाही से अवगत होते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या–38/UPUMS/Recruitment Cell/2024-25 के माध्यम से गैरशैक्षणिक पदों (Junior Physiotherapist - 05 Posts, Junior Occupational Therapist - 04 Posts, Pharmacist Grade-2 - 10 Posts, Sr. Administrative Assistant – 30 Posts, Stenographer – 30 Posts, Jr. Medial Record Officer - 03 Posts) पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष आयोजित सी0बी0टी0, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों (Junior Physiotherapist - 05, Junior Occupational Therapist - 02, Pharmacist Grade-2 - 10, Sr. Administrative Assistant – 29, Stenographer – 19) को विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति की संस्तुतियों के क्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–14 **वि0सं0 UPUMS/ ACAD/42/2024-25 (Cycle 4) द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त संकाय पदों के सापेक्ष आयोजित साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन व पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 13वीं बैठक में विश्वविद्यालय की चयनसमिति द्वारा फैकल्टी संकाय के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही मा0 कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा जाना है। **पृष्ठभूमिः** वि0सं0 UPUMS/ ACAD /42/ 2024-25 cycle 4 द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त संकाय पदो के सापेक्ष आयोजित साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के चयन के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धि सीलबंद लिफाफे खोलकर तथा पदोन्नति से संबंधी लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने एवं कार्यपरिषद से अनुमोदन प्रदान किया जाने के सम्बन्ध में है। **नियमः** विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 की धारा–27 में विहित व्यवस्था "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिस पर एतद्पश्चात उपबंधित रीति से नियुक्त किये जायेंगे" के अन्तर्गत उक्त विज्ञापनों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में चयन की कार्यवाही किया जाना है।

Advt. No. UPUMS/ACAD /42/ 2024-25 Cycle 4

S.No.	DEPARTMENTS	POSTS	NAME OF CANDIDATES	Category
1	OBS & GYNAE	PROFESSOR	VAIBHAV KANTI	UR
2	OBS & GYNAE	PROFESSOR	PRAGATI DIVEDI	UR

S. No.	DEPARTMENTS	POSTS	NAME OF CANDIDATES	Category
1	ANAESTHESIOLOGY	ASSOCIATE PROFESSOR	DEEPIKA DONERIA	UR
2	PAEDIATRICS	ASSOCIATE PROFESSOR	DUSHYANT RASTOGI	UR
3	TRANSFUSION MEDICINE	ASSOCIATE PROFESSOR	ARVIND KUMAR SINGH	OBC

S.No.	DEPARTMENTS	POSTS	NAME OF CANDIDATES	Category
1	BIOCHEMISTRY	ASSISTANT PROFESSOR	SUMIT YADAV	OBC
2	BIOCHEMISTRY	ASSISTANT PROFESSOR	PRIYANKA GUPTA	UR
3	CARDIOLOGY	ASSISTANT PROFESSOR	VIJAY GAIROLA	UR
4	COMMUNITY MEDICINE	ASSISTANT PROFESSOR	PREM PRAKASH BHARTI	SC
5	MICROBIOLOGY	ASSISTANT PROFESSOR	PRANSHU PANDEY	UR
6	PAEDIATRICS	ASSISTANT PROFESSOR	DEEPAK SANKHWAR	SC
7	PATHOLOGY	ASSISTANT PROFESSOR	ANKITA SINGH	UR
8	PATHOLOGY	ASSISTANT PROFESSOR	RAVI PRATAP SINGH	UR
9	PSYCHIATRY	ASSISTANT PROFESSOR	MOHIT KUMAR SHAHI	UR

चिकित्सा संकाय के कतिपय विभागों में प्रोफेसर जूनियर ग्रेड से प्रोफेसर, (प्रोफेसर जूनियर ग्रेड पद पर 04 वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त) एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एसोसिएट प्रोफेसर पद पर 03 वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त) तथा असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर (असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर 03 वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त) पद पर पदोन्नति हेतु असेस्मेन्ट प्रोमोशन स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

सीलबन्द लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित किया जाना है।

S. No.	Departments	Name	Post held	Promotional post	Promotion can be given w.e.f
1	Obs. & Gynae	Dr Vaibhav Kanti	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2024
2	Microbiology	Dr. Dharmendra Prasad Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
3	Dentistry	Dr. Bipin Kumar Yadav	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
4	Dentistry	Dr. Rahul Mishra	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
5	Radiation Oncolgy	Dr. Kailash Kumar Mittal	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
6	General Surgery	Dr. Somendra Pal Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
7	Ophthalmology	Dr. Reena Sharma	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
8	General Medicine	Dr. Vidya Sagar Ram	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
9	General Medicine	Dr. Granth Kumar	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
10	Physiology	Dr. Anamika Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
11	C.V.T.S	Dr. Amit Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
12	Paediatrics	Dr. Dinesh Kumar	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
13	Pathology	Dr. Savita Agarwal	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
14	Pathology	Dr. Sanjeev Kumar Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
15	Pathology	Dr. Roopak Aggarwal	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025
16	Obs. & Gynae	Dr. Pragati Divedi	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2025
17	Anaesthesia	Dr. Amit Kumar Singh	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2024
18	Anaesthesia	Dr. Jay Brijesh Singh Yadav	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2025
19	Respiratory Medicine	Dr. Prashant Yadav	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2025
20	Forensic Medicine	Dr Vedant Kulshrestha	Asstt. Professor	Assoc. Prof.	01-07-2025
21	Plastic Surgery	Dr. Atul Saxena	Asstt. Professor	Assoc. Prof.	01-07-2025
22	Obs.& Gynae	Dr. Shalini Singh	Asstt. Professor	Assoc. Prof.	01-07-2025

प्रस्तावः वि0सं0 Advt. No. UPUMS/ACAD /42/ 2024-25 Cycle 4 द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त पदो पर चयन के संबंध में चयन समिति चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धित सीलबंद लिफाफे विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में विश्वविद्यालय की चयनसमिति द्वारा फैकल्टी संकाय के विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में चयन व पदोन्नति से सीलबंद लिफाफे खोलकर परिणाम घोषित करने व नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में मा0 कार्यपरिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– (1) वि0सं0 Advt. No. UPUMS/ACAD /42/ 2024-25 Cycle 4 द्वारा विज्ञापित विभिन्न विभागों के रिक्त पदो पर चयन के संबंध में चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धित सीलबंद लिफाफे मा0 कार्य परिषद के समक्ष खोलकर परिणाम निम्नवत् घोषित किये गये तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

S.No.	DEPARTMENTS	POSTS	NAME OF CANDIDATES	Category	Recommendation of the Selection Committee
1	OBS & GYNAE	PROFESSOR	VAIBHAV KANTI	UR	She preferred DPC over direct recruitment
2		PROFESSOR	PRAGATI DIVEDI	UR	Non Found Suitable for the post of Professor
3	ANAESTHESIOLOGY	ASSOCIATE PROFESSOR	DEEPIKA DONERIA	UR	Not Suitable for Selection
4	PAEDIATRICS	ASSOCIATE PROFESSOR	DUSHYANT RASTOGI	UR	Suitable for Selection
5		ASSISTANT PROFESSOR	DEEPAK SANKHWAR	SC	Suitable for Selection

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

6	TRANSFUSION MEDICINE	ASSOCIATE PROFESSOR	ARVIND KUMAR SINGH	OBC	Suitable for Selection
7	BIOCHEMISTRY	ASSISTANT PROFESSOR	SUMIT YADAV	OBC	Suitable for Selection on UR post
8		ASSISTANT PROFESSOR	PRIYANKA GUPTA	UR	Suitable for Selection
9	CARDIOLOGY	ASSISTANT PROFESSOR	VIJAY GAIROLA	UR	Suitable for Selection
10	COMMUNITY MEDICINE	ASSISTANT PROFESSOR	PREM PRAKASH BHARTI	SC	Suitable for Selection
11	MICROBIOLOGY	ASSISTANT PROFESSOR	PRANSHU PANDEY	UR	Suitable for Selection
12	PATHOLOGY	ASSISTANT PROFESSOR	RAVI PRATAP SINGH	UR	Suitable for Selection
13		ASSISTANT PROFESSOR	ANKITA SINGH	UR	Waitlisted
14	PSYCHIATRY	ASSISTANT PROFESSOR	MOHIT KUMAR SHAHI	UR	Suitable for Selection

U

(2) चिकित्सा संकाय के कतिपय विभागों में प्रोफेसर जूनियर ग्रेड से प्रोफेसर, (प्रोफेसर जूनियर ग्रेड पद पर 04 वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त) एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एसोसिएट प्रोफेसर पद पर 03 वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त) तथा असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर (असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर 03 वर्ष की नियमित सेवा उपरान्त) पद पर पदोन्नति हेतु असेस्मेन्ट प्रोमोशन स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति समिति की संस्तुतियों से संबंधित सीलबन्द लिफाफे मा0 कार्य परिषद के समक्ष खोलकर परिणाम निम्नवत् घोषित किये गये:–

S. No.	Department	Name	Post held	Promotional post	Promotion can be given w.e.f	Recommendation of Promotion Committee
1	Obs. & Gynae	Dr. Vaibhav Kanti	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2024	Suitable for Promotion
2	Obs. & Gynae	Dr. Pragati Divedi	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2025	Suitable for Promotion
3	Obs.& Gynae	Dr. Shalini Singh	Asstt. Professor	Assoc. Prof.	01-07-2025	Suitable for Promotion
4	Microbiology	Dr. Dharmendra Prasad Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
5	Dentistry	Dr. Bipin Kumar Yadav	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
6	Dentistry	Dr. Rahul Mishra	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
7	Radiation Oncolgy	Dr. Kailash Kumar Mittal	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
8	General Surgery	Dr. Somendra Pal Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
9	Ophthalmology	Dr. Reena Sharma	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
10	General Medicine	Dr. Vidya Sagar Ram	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
11	General Medicine	Dr. Granth Kumar	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
12	Physiology	Dr. Anamika Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
13	C.V.T.S	Dr. Amit Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
14	Paediatrics	Dr. Dinesh Kumar	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
15	Pathology	Dr. Savita Agarwal	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
16	Pathology	Dr. Sanjeev Kumar Singh	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
17	Pathology	Dr. Roopak Aggarwal	Professor (Jr.Gr.)	Professor	01-07-2025	Suitable for Promotion
18	Anaesthesia	Dr. Amit Kumar Singh	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2024	Suitable for Promotion
19	Anaesthesia	Dr. Jay Brijesh Singh Yadav	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2025	Suitable for Promotion
20	Respiratory Medicine	Dr. Prashant Yadav	Assoc. Professor	Professor (Jr.Gr.)	01-07-2025	Suitable for Promotion
21	Forensic Medicine	Dr Vedant Kulshrestha	Asstt. Professor	Assoc. Prof.	01-07-2025	Suitable for Promotion
22	Plastic Surgery	Dr. Atul Saxena	Asstt. Professor	Assoc. Prof.	01-07-2025	Suitable for Promotion

एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में प्रचलित ए0पी0एस0 (न्यू करियर प्रोग्रेशन स्कीम) के अन्तर्गत 30 जून को अर्हता की तिथि के आधार पर उक्तानुसार 01 जुलाई से वैयक्तिक पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अमिताभ रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–15 **पोस्टमार्टम कार्यो हेतु पारिश्रमिक के रूप में चिकित्सक एवं पोस्टमार्टम सहायकों को पोस्टमार्टम भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** विभागाध्यक्ष, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग द्वारा अपने पत्र के माध्यम से पोस्टमार्टम कार्य हेतु पारिश्रमिक के रूप में उ0प्र0 शासन द्वारा लागू दरें यथा चिकित्सकों को रू0 100/– प्रति पोस्टमार्टम एवं सहायक कार्मिकों को रू0 40/– प्रति पोस्टमार्टम पारिश्रमिक भत्ता अनुमन्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके दृष्टिगत उक्त प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के पोस्टमार्टम हाउस में दिनांक 17.09.2024 से शवों के पोस्टमार्टम का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसके दृष्टिगत पोस्टमार्टम हाउस में तैनात संकाय सदस्यों, रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से किया जा रहा है। विभागाध्यक्ष, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग द्वारा अपने पत्र के माध्यम से पोस्टमार्टम कार्य हेतु पारिश्रमिक के रूप में उ0प्र0 शासन द्वारा लागू दरें यथा चिकित्सकों को रू0 100/– प्रति मोस्टमार्टम एवं सहायक कार्मिकों को रू0 40/– प्रति पोस्टमार्टम पारिश्रमिक भत्ता अनुमन्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उनके द्वारा अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्था से सम्बन्धित शासनादेशों की प्रतियाँ संलग्न की गयी है। अवगत कराना है कि चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 5007/सेक–2–पांच– 13–7 (158)/2012 दिनांक 29.03.2013 के माध्यम से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को पोस्टमार्टम कार्य हेतु पारिश्रमिक के रूप में पोस्टमार्टम भत्ते हेतु दरों का निर्धारण किया गया है। **नियमः** अवगत कराना है कि चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 5007/सेक–2–पांच–13–7 (158)/2012 दिनांक 29.03.2013 के माध्यम से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को पोस्टमार्टम कार्य हेतु पारिश्रमिक के रूप में पोस्टमार्टम भत्ते हेतु दरों का निर्धारण किया गया है। **प्रस्ताव का आधारः** अवगत कराना है कि चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 5007/सेक– 2–पांच–13–7 (158)/2012 दिनांक 29.03.2013 के माध्यम से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को पोस्टमार्टम कार्य हेतु पारिश्रमिक के रूप में पोस्टमार्टम भत्ते हेतु दरों का निर्धारण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के नियम एवं सेवा शर्ते प्रभावी है किन्तु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ एवं डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ में पोस्टमार्टम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। के0जी0एम0यू0, लखनऊ में पोस्टमार्टम संबंधी कार्यो को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाता है जो कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात संकाय सदस्यों, रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं सहायक कार्मिकों को उक्त शासनादेश में इंगित व्यवस्था के अन्तर्गत पोस्टमार्टम भत्ते की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एजेन्डा बिन्दु के रूप में मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 5007/सेक–2–पांच– 13–7(158)/2012 दिनांक 29.03.2013 में इंगित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात संकाय सदस्यों, रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं सहायक कार्मिकों को पोस्टमार्टम भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 5007/सेक–2–पांच– 13–7(158)/2012 दिनांक 29.03.2013 में इंगित व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात संकाय सदस्यों, रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं सहायक कार्मिकों को पोस्टमार्टम भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 13–16

विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय के फैकल्टी को Academic Allowance रू0 22,500/– प्रतिमाह एवं Learning Resource Allowance (LRA) रू0 1,50,000/– प्रतिवर्ष चिकित्सा शिक्षकों की भाँति अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

पृष्ठभूमिः चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा जारी शासनादेश सं0 09/2019/1363/71–4–2019–12/2017 टी0सी0–।। दिनांक 30, सितम्बर, 2019 द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजीडेन्ट डाक्टर्स को संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के सादृश्य भत्ते प्रदान किया गया, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश सं0 2609/यूपीयूएमएस/अधि0–।।(180)/2019–20 दिनांक 27, नवम्बर, 2019 जारी किया गया।

शासनादेश व कार्यालय आदेश में संकाय सदस्यों हेतु तालिका के क्र0सं0–01 एवं क्र0 सं0–07 में निम्नवत् भत्ते अनुमन्य हैः–

क्र0 सं0	भत्ते का नाम	दर	अभ्युक्ति
01.	Academic Allowance (Research Pursuit Allowance)	Rs. 22,500/- p.m.	Earlier name as CRA (Clinical Research Allowance) at SGPGIMS. यह भत्ता भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।
02.	Learning Resource Allowance (Research Pursuit Allowance)	Rs. 1,50,000/- p.a.	As provided by AIIMS, New Delhi vide No. F-20-1/2018(A)-Estt.I, dated 14/01/2019

तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 895 दिनांक 20.06.2022 द्वारा पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय के फैकल्टी को हेतु अन्य अनुमन्य भत्तों के साथ Academic Allowance, Learning Resource Allowance (LRA) अनुमन्य आदेश जारी किया गया।

प्रस्ताव का आधारः Learning Resource Allowance एवं Academic Allowance के संबंध में Govt. of India, Ministry of Health and Family Welfare द्वारा जारी पत्रांक सं0 V-16020/28/2017-INI-I(Pt.) दिनांक 23, अगस्त, 2018 द्वारा AIIMS, New Delhi, PGIMER, Chandigarh, JIPMER, Puducherry के फैकल्टी को निर्धारित निम्नवत् पदनाम व वेतनमान को Revise करते हुये Academic Allowance रू0 22,500/– प्रतिमाह एवं Learning Resource Allowance (LRA) रू0 1,50,000/– प्रतिवर्ष अनुमन्य किया गया है, जिसमें व्यवस्था निम्नवत् हैः–

(i) The Pay in the case of Assistant Professor (AGP: Rs.8000) would be level12 is the Pay Matrix. After three years, Assistant

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

Professors will move to level 13 of the Pay Matrix.

(ii) The Pay in the case of Associate Professor (AGP:Rs.9000) would be level 13A-1+ in the Pay Matrix.

(iii) The Pay in the case of Additional Professor (AGP:Rs.9500) would be level13-A2+ in the Pay Matrix.

(iv) The Pay in the case of Professor (AGP:Rs.10500) would be level 14-A in the Pay Matrix. The Pay of 40% Professors in the HAG would be level 15 in the Pay Matrix.

(v) The Pay in the case of Director (Rs.80000 fixed) would be level 17 in the Pay Matrix.

उक्त पत्र के कम में AIIMS, Bhopal, Bhubaneswar, Patna, Jodhpur, Raipur, Rishikesh एवं Raebareli में भी लागू किया गया। चूँकि एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के नियमावली में यह व्यवस्था है कि उन्हें AIIMS के समान वेतनमान एवं भत्ते अनुमन्य है, के तत्कम में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को जो उक्त पदनाम, वेतनमान के समान हैं फैकल्टी को उक्त भत्ता अनुमन्य किया गया है।

विश्वविद्यालय के अधिनियम–2015 की धारा–48 में उल्लिखित है कि **"विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्ते, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी।"**

उक्त के दृष्टिगत् विश्वविद्यालय के ऐसे चिकित्सा संकाय सदस्य को जो एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के अनुसार पदनाम, वेतनमान में कार्यरत हैं उन्हें एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के अनुसार निर्धारित दरों पर Academic Allowance प्रतिमाह एवं Learning Resource Allowance (LRA) प्रतिवर्ष पूर्व से ही अनुमन्य है।

भारत सरकार के शासनादेश के कम में विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल संकाय एवं फार्मेसी संकाय में निम्नवत् ग्रेड वेतन अनुमन्य है:–

Govt. of India, Ministry of Health and Family Welfare No. V-16020/28/2017-INI-I(Pt.) Dt.23-08-2018	Existing G.P. in Faculty of Nursing/Para Medical Sciences/Pharmacy, UPUMS
The Pay in the case of Assistant Professor (AGP: Rs.8000) would be level12 is the Pay Matrix. After three years, Assistant Professors will move to level 13 of the Pay Matrix	Assistant Professor : GP Rs. 6600/- (Level-11) (Nursing/Paramedical) Assistant Professor: GP Rs. 6000/- (Level-10) Academic (Pharmacy)
The Pay in the case of Associate Professor (AGP: Rs.9000) would be level 13A-1+ in the Pay Matrix.	Associate Professor : GP Rs. 7600/- (Level-12) (Nursing/Paramedical/Pharmacy)
The Pay in the case of Additional Professor (AGP: Rs.9500) would be level13-A2+ in the Pay Matrix.	NIL
The Pay in the case of Professor (AGP:Rs.10500) would be level 14-A in the	Professor GP Rs. 8900/- (Level-13A) (Nursing/Paramedical/Pharmacy)

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	Pay Matrix. The Pay of 40% Professors in the HAG would be level 15 in the Pay Matrix.	
	The Pay in the case of Director (Rs.80000 fixed) would be level 17 in the Pay Matrix.	NIL

भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक सं0 V-16020/28/2017-INI-I(Pt.) दिनांक 23, अगस्त, 2018 पत्र के अनुसार इस विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फार्मेसी संकाय के Assistant Professor : GP Rs. 6600/-, Level-11, (Nursing/Paramedical), Assistant Professor : GP Rs. 6000/-, Level-10 Academic (Pharmacy), Associate Professor : GP Rs. 7600/- (Level-12), Professor GP Rs. 8900/- (Level-13A) अनुमन्य ग्रेड वेतन की परिधि में नहीं आते हैं। कार्यालय आदेश सं0 895 दिनांक 20.06. 2022 द्वारा पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय के फैकल्टी को हेतु अन्य अनुमन्य भत्तों के साथ Academic Allowance- Rs. 22,500/- p.m., Learning Resource Allowance (LRA)- Rs. 1,50,000/- p.a. अनुमन्य आदेश जारी किया गया।

<u>प्रस्ताव</u>: भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक सं0 V-16020/28/2017-INI-I(Pt.) दिनांक 23, अगस्त, 2018 में निर्धारित Assistant Professor (AGP:Rs.8000) Level-12, Associate Professor (AGP:Rs.9000) Level-13A-1 Professor (AGP:Rs.10500) would be level 14-A वेतनमान व ग्रेड वेतन से विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय के Assistant Professor, Associate Professor, Professor के वेतनमान निम्न है व उसके समतुल्य नहीं है।

अतः विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय के Assistant Professor, Associate Professor, Professor को Academic Allowance (Research Pursuit Allowance) Rs. 22,500/- per month एवं Learning Resource Allowance (Research Pursuit Allowance) Rs. 1,50,000/- per annum भत्ते तत्काल अवरूद्ध करते हुए नीतिगत विषय होने के कारण प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद् अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक सं0 V-16020/28/2017-INI-I(Pt.) दिनांक 23, अगस्त, 2018 में संकाय सदस्यों हेतु निर्धारित वेतनमान व ग्रेड वेतन विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों के वेतनमान निम्न होने व उसके समतुल्य न होने के कारण विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय के Assistant Professor, Associate Professor, Professor को Academic Allowance Rs. 22,500/- per month एवं Learning Resource Allowance Rs. 1,50,000/- per annum भत्ते तत्काल अवरूद्ध करने की कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सहमति प्रदान करते हुए नीतिगत विषय होने के कारण प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 13–17</u> कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के एजेण्डा बिन्दु 12–21 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कुल 104 गैर–शैक्षणिक कार्मिकों के एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि	<u>प्रस्तावना</u>: विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान) में वर्ष 2016 से पूर्व गैर शैक्षणिक कार्मिकों को राज्य सरकार के अनुसार सेवा लाभ अनुमन्य होने के कारण एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0आर0 में Satisfactory ग्रेडिंग होने पर ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू थी। वर्ष 2016 में संस्थान के विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के उपरान्त गैर शैक्षणिक कार्मिकों के सेवा लाभ

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

परिवर्तित/संशोधित किये जाने के उपरान्त कतिपय कार्मिकों द्वारा प्रकरण में पुनर्विचार करने तथा कार्यालय आदेश सं0 5265 दिनांक 16.03.2023 व कार्यालय आदेश सं0 5285 दिनांक 17.03.2023 को निरस्त/संशोधित किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर वर्ष 2016 से पूर्व के प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने तथा वर्ष 2016-17 व उसके पश्चात् की ए0सी0आर0 में अंकित बेंचमार्क ग्रेडिंग Average को एम0ए0सी0पी0 के लिये मान्य करने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अनुसार अनुमन्य किये गये जिसके फलस्वरूप एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था लागू है। एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु नियमानुसार ए0सी0आर0 में ग्रेडिंग बेंचमार्क Very Good होना आवश्यक है। उक्त व्यवस्था के आलोक में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को वर्ष 2016 से पूर्व Satisfactory ग्रेडिंग को मानते हुए पूर्व में एम0ए0सी0पी0 अनुमन्य की गयी। **पृष्ठभूमि:** मा0 कार्य परिषद द्वारा दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के एजेण्डा बिन्दु 10-12 में लिये गये निर्णय बिन्दु-(ख) "भारत सरकार में लागू शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा पूर्व में यदि शासनादेश के विपरीत कोई कार्यवाही हुई उसको भी दूर किया जाये।" के अनुपालन में ए0सी0आर0 में वर्ष 2016 से पूर्व प्राप्त Satisfactory ग्रेडिंग के आधार पर कुल 104 गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को अनुमन्य की गयी एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि को संशोधित/परिवर्तित किये जाने के क्रम में उक्त कार्मिकों द्वारा एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि को संशोधित/परिवर्तित व रिकवरी न किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर विचार किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि- "कार्य परिषद द्वारा दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 के एजेण्डा बिन्दु 10-12 के अन्तर्गत लिया गया निर्णय नियमसंगत है तथा उक्त निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता नही है।" **कृत कार्यवाही/नियम/निष्कर्ष/निर्णय:** मा0 कार्य परिषद के उक्त निर्णय के अनुपालन में का0आ0सं0 5265/5285 दिनांक 16.03.2023/1703.2023 द्वारा कुल 104 कार्मिकों की एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता की तिथि संशोधित/परिवर्तित किये जाने के उपरान्त किये गये वेतन निर्धारण के क्रम में वित्त एवं लेखा शाखा द्वारा रिकवरी की जा रही है। **प्रस्ताव:** उक्त प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष पूर्व में दो बार प्रस्तुत किया जा चुका है, कार्य परिषद के निर्णय के क्रम में वर्तमान में वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा सम्बंधित कार्मिकों के वेतन से वसूली की जा रही है। अतः मा0 कार्य परिषद उक्त कार्मिकों के अनुरोध पर पुनर्विचार करने अथवा प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु निर्णय लेना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय:- उक्त प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष पूर्व में दो बार प्रस्तुत किया जा चुका है, कार्य परिषद के निर्णय के क्रम में वर्तमान में वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा सम्बंधित कार्मिकों के वेतन से वसूली की जा रही है। उक्त कार्मिकों के अनुरोध पर पुनर्विचार करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु 13-18 विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत 01 मुख्य सुरक्षा अधिकारी पद के सृजन पर स्वीकृति हेतु।	**प्रस्तावना-** विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग में वर्तमान में 03 सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद सृजित है जो कि वर्तमान में भरे हुए हैं। विश्वविद्यालय के वृहद क्षेत्रफल की दृष्टि से 01 मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो कि प्रशिक्षण, पूछताछ और जांच के कार्य, संपर्कों का प्रबंधन और अग्निशमन आदि बचाव कार्यों जैसी आपातकालीन स्थिति को संभालना, कानूनी कार्यवाही आदि कार्यो में निपुण हो, मुख्य सुरक्षा अधिकारी का 01 पद सृजित किया जाना आपेक्षित है। **पृष्ठभूमि-** विश्वविद्यालय में स्थापना वर्ष 2005 से सुरक्षा व्यवस्था सेवा

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>अनुबन्ध के आधार पर बाह्य सेवा प्रदाता फर्म मे0 उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, कानपुर से ली जा रही है फर्म के सुपरवाइज़र (सहायक सुरक्षा अधिकारी) द्वारा अनुबन्ध में पूर्व निर्धारित पॉइण्टस (स्थानों) पर पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्डो की तैनाती एवं निगरानी की जाती है। विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के विस्तार के दृष्टिगत गत वर्ष 03 सहायक सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति पद सृजन उपरान्त की गई है जो कि विश्वविद्यालय में क्षेत्र विभाजन के आधार पर न केवल बाह्य सेवा प्रदाता फर्म द्वारा तैनात गार्डो की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सजगता बल्कि विश्वविद्यालय की दिन–प्रतिदिन की छोटी से बड़ी घटनाओं पर नजर रखते हैं। विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था विस्तार के दृष्टिगत, पूछताछ और जांच के कार्य, संपर्कों का प्रबंधन और अग्निशमन आदि बचाव कार्यों जैसी आपातकालीन स्थिति को संभालना, कानूनी कार्यवाही आदि कार्यो के निष्पादन में मुख्य सुरक्षा अधिकारी का 01 पद सृजित किया जाना आपेक्षित है।

<u>नियम / निर्णय / कृत कार्यवाही</u>– विश्वविद्यालय परिसर के वृहद क्षेत्रफल की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रसार के दृष्टिगत 01 मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद का सृजन किया जाना है।

<u>प्रस्ताव का आधार</u>: विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के प्रसार के दृष्टिगत मुख्य सुरक्षा अधिकारी के 01 पद के सृजन हेतु मुख्य सुरक्षा अधिकारी का पद एम्स, दिल्ली एवं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में पहले से सृजित है, उक्त पद हेतु अनिवार्य योग्यता का विवरण पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

<u>प्रस्ताव</u>: विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्य सुरक्षा अधिकारी का 01 पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत मुख्य सुरक्षा अधिकारी का 01 पद सृजित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 13–19</u>
विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी का पद सृजित किये जाने के संबंध में।</td>
<td><u>प्रस्तावना</u>: अवगत कराना है कि शासन के महानिदेशक उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा के पत्र सं0 एफएस656–2022 (Part-2) दिनाक 29.11.2024 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी इटावा के पत्र सं0 03 / एफएस–24 (Fire Safety Act Appointment) दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद का सृजन किया जाना है जिसका प्रस्ताव शासन को विश्वविद्यालय के पत्र 1301 / यूपीयूएमएस / मेन्टी (1736–सीडी) / 2025–26 दिनांक 12.07.2025 के माध्यम से प्रेषित है।

<u>पृष्ठभूमि एवं कृत कार्यवाही</u>: विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित फायर फाइटिंग एवं अलार्म सिस्टमके संचालन एवं देख–रेख हेतु विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी वेण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/– में सृजन किये जाने की आवश्यकता है। शासन के महानिदेश उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा के पत्र स०. एफएस656–2022 (Part-2) दिनांक 29.11.2024 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इटावा के पत्र स०.03/एफएस–24(Fire Safety Act Appointment) दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद का सृजन किया जाना है। विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी का सृजन किये जाने पर मा० कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। **प्रस्ताव**: विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थापित फायर फाइटिंग एवं अलार्म सिस्टम के संचालन एवं देख–रेख के कार्य कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी का सृजन किये जाने की आवश्यकता है। शासन के महानिदेशक उ०प्र० अग्निशमन एवं आपात सेवा के पत्र स०एफएस656–2022 (Part-2) दिनांक 29.11.2024 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इटावा के पत्र स०. 03/एफएस–24 (Fire Safety Act Appointment) दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद वेतन बेण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/– में सृजन किया जाना है। विश्वविद्यालय में अग्नि सुरक्षा अधिकारी का 01 पद सृजित किये जाने प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने हेतु मा० कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय:– महानिदेशक उ०प्र० अग्निशमन एवं आपात सेवा के पत्र स०एफएस656–2022 (Part-2) दिनांक 29.11.2024 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इटावा के पत्र स०.03/एफएस–24 (Fire Safety Act Appointment) दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में 01 पद अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद वेतन बेण्ड 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/– में सृजित किये जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने हेतु मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 13–20</u> **विश्वविद्यालय के वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस और पैरामेडिकल कैम्पस के गेस्ट हाउस में वाह्य परीक्षकों के ठहरने के लिए कमरों की कमी की समस्या के समाधान हेतु सैफई स्थित होटल के साथ एम0ओ0यू0 किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावना**: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस और पैरामेडिकल कैम्पस के गेस्ट हाउस में वाह्य परीक्षकों के लिए सीमित संख्या में कमरों की उपलब्धता रहती है, जिससे उन्हें विश्वविद्यालय में ठहराने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इस समस्या के कारण कई बार परीक्षाओं की तिथियाँ भी बढ़ानी पड़ती हैं, जो शैक्षणिक कैलेंडर को प्रभावित करता है। इस समस्या के निवारण हेतु सैफई स्थित SIGNATURE होटल के साथ एम0ओ0यू0 किये जाने का प्रस्ताव है, जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमि**: अवगत कराना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में वाह्य परीक्षकों को ठहरने के लिए निम्नलिखित स्थान हैं:– 1. वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस, जहाँ 4 कमरे उपलब्ध हैं। 2. पैरामेडिकल कैम्पस गेस्ट हाउस, जहाँ 6 कमरे उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर मात्र 10 कमरे उपलब्ध हैं, जो अक्सर वाह्य परीक्षकों की संख्या के सापेक्ष अपर्याप्त होते हैं। इस कमी के कारण विश्वविद्यालय को प्रायः परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली में विलंब और अव्यवस्था होती है। **निर्णय**: विश्वविद्यालय द्वारा सैफई स्थित SIGNATURE होटल के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत होटल द्वारा विश्वविद्यालय के वाह्य परीक्षकों के लिए एक निश्चित संख्या में कमरे आरक्षित करते हुए कमरों की उपलब्धता बनाये रखी जायेगी। **उद्देश्य**: वाह्य परीक्षकों के ठहरने की उचित व्यवस्था हेतु होटल के साथ एम0ओ0यू0 करने के उद्देश्य निम्नवत् हैं:–

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	• **परीक्षाओं का सुचारु संचालनः** कमरों की कमी के कारण परीक्षाओं में होने वाले विलंब की समस्या का समाधान हो सकेगा और परीक्षाएं निर्धारित समय पर पूरी हो सकेंगी। • **लागत–प्रभावी समाधानः** विश्वविद्यालय को नया गेस्ट हाउस बनाने की तुलना में यह लागत–प्रभावी और त्वरित समाधान हो सकेगा। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस और पैरामेडिकल कैम्पस के गेस्ट हाउस में वाह्य परीक्षकों के लिए सीमित संख्या में कमरों की उपलब्धता के कारण वाह्य परीक्षकों को विश्वविद्यालय में ठहराने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ाने और परीक्षाओं में होने वाले विलंब की समस्या के लागत–प्रभावी समाधान हेतु सैफई स्थित SIGNATURE होटल के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) करने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– **विश्वविद्यालय के वी0वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस और पैरामेडिकल कैम्पस के गेस्ट हाउस में वाह्य परीक्षकों के लिए सीमित संख्या में कमरों की उपलब्धता के कारण वाह्य परीक्षकों को विश्वविद्यालय में ठहराने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा परीक्षाओं की तिथियां आगे बढ़ाने और परीक्षाओं में होने वाले विलंब की समस्या के लागत–प्रभावी समाधान हेतु सैफई स्थित SIGNATURE होटल के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) करने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
एजेण्डा बिन्दु 13–21 **विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों, रेजीडेंट्स व कर्मचारियों हेतु मदर डेयरी/पराग/अमूल कियोस्क/आउटलेट की स्थापना के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के छात्रों, रेजीडेंट्स एवं कर्मचारियों के लिये उच्च गुणवत्ता, ताज़ा एवं किफायती दुग्ध उत्पाद एवं अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में मदर डेयरी/पराग/अमूल कियोस्क/आउटलेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मदर डेयरी/पराग/अमूल से लाइसेंस एग्रीमेंट संपादित किये जाने की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः** अवगत कराना है कि वरिष्ठ प्रबंधक, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा0 लि0, नोएडा द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में मदर डेयरी कियोस्क/आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव में अवगत कराया गया है कि मदर डेयरी, 1974 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के अधीन स्थापित एक संस्था है, जो दुग्ध एवं दुग्धजन्य उत्पाद, फल–सब्ज़ियाँ, तेल एवं अन्य खाद्य उत्पादों की उपलब्धता में अग्रणी है। **निर्णयः** विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों, रेजीडेंट्स एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु मदर डेयरी/पराग/अमूल कियोस्क/आउटलेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना अपेक्षित है। **औचित्यः** • विश्वविद्यालय के छात्रों, रेजीडेंट्स एवं कर्मचारियों को ताज़े एवं गुणवत्तायुक्त दुग्ध एवं खाद्य उत्पाद उपलब्ध होंगे। • छात्रों एवं कर्मचारियों को परिसर में ही सुविधा मिलने से समय एवं ऊर्जा की बचत होगी। **लाइसेंस एग्रीमेंटः** विश्वविद्यालय एवं मदर डेयरी/पराग/अमूल के मध्य एक लाइसेंस एग्रीमेंट किया जायेगा, जिसमें संचालन की शर्तें, राजस्व/लाइसेंस शुल्क एवं अन्य प्राविधान स्पष्ट रूप से अंकित होंगे।

(अभिलाष रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	प्रस्ताव: विश्वविद्यालय के छात्रों, रेजीडेंट्स एवं कर्मचारियों के लिये उच्च गुणवत्ता, ताज़ा एवं किफायती दुग्ध उत्पाद एवं अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में मदर डेयरी/पराग/अमूल कियोस्क/आउटलेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लाइसेंस एग्रीमेंट संपादित किये जाने की स्वीकृति मा० कार्य परिषद प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय:– **विश्वविद्यालय के छात्रों, रेजीडेंट्स एवं कर्मचारियों के लिये उच्च गुणवत्ता, ताज़ा एवं किफायती दुग्ध उत्पाद एवं अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में मदर डेयरी/पराग/अमूल कियोस्क/आउटलेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में लाइसेंस एग्रीमेंट संपादित किये जाने की स्वीकृति मा० कार्य परिषद द्वारा प्रदान की गई।**	
एजेण्डा बिन्दु 13–22 **विश्वविद्यालय में स्थापित अस्पतालों के सुचारू संचालन एवं नये इंफ्रास्ट्रक्चर में चिकित्सीय सेवाएँ प्रारम्भ किये जाने हेतु हॉस्पिटल बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित अस्पताल संचालित हैं:– • 1050 बेडेड हॉस्पिटल। • 150 बेडेड इमरजेंसी, ट्रॉमा एवं बर्न सेन्टर। • 500 बेडेड सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें ओ0पी0डी0 संचालित है तथा आई0पी0डी0 का संचालन शीघ्र प्रारम्भ होना है। • 300 बेडेड आब्स्टेट्रिक्स एवं गायनी हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। विश्वविद्यालय के उपर्युक्त अस्पतालों के सुचारू संचालन तथा नव निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर में चिकित्सीय सेवाएँ प्रारम्भ करने की दृष्टि से एक 'हॉस्पिटल बोर्ड' के गठन की आवश्यकता है, जिससे अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों का समुचित उपयोग एवं रोगी–कल्याण सम्बन्धी निर्णय प्रभावी ढंग से लिये जा सकें। उक्त के दृष्टिगत हॉस्पिटल बोर्ड के गठन का प्रस्ताव मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **हॉस्पिटल बोर्ड की प्रस्तावित संरचना:** 1. प्रति–कुलपति – अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधीक्षक – संयोजक 3. समस्त विभागाध्यक्ष (क्लीनिकल विभाग) – सदस्य 4. समस्त उप–चिकित्सा अधीक्षक – सदस्य 5. वित्त अधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि – सदस्य 6. संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबंधन) – सदस्य 7. मुख्य नर्सिंग अधिकारी – सदस्य 8. चीफ फार्मासिस्ट (चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित) – सदस्य 9. एम0एस0एस0ओ0 (चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नामित) – सदस्य **प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय में स्थापित अस्पतालों के सुचारू संचालन तथा नव निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर में चिकित्सीय सेवाएँ प्रारम्भ करने तथा अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों का समुचित उपयोग एवं रोगी–कल्याण सम्बन्धी निर्णय प्रभावी ढंग से लिये जाने हेतु उपर्युक्त प्रस्तावित संरचना के अनुसार 'हॉस्पिटल बोर्ड' के गठन हेतु मा० कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णय:– **विश्वविद्यालय में स्थापित अस्पतालों के सुचारू संचालन तथा नव निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर में चिकित्सीय सेवाएँ प्रारम्भ करने तथा अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों का समुचित उपयोग एवं रोगी–कल्याण सम्बन्धी निर्णय प्रभावी ढंग से लिये जाने हेतु प्रस्तावित संरचना के अनुसार 'हॉस्पिटल बोर्ड' के गठन हेतु मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**	

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–23 **उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा परिसर में अमृत फार्मेसी एवं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (PMBJK) स्थापित किये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि HLL Lifecare Limited (भारत सरकार का उपक्रम एवं Mini Ratna CPSE, Ministry of Health & Family Welfare) द्वारा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा परिसर में अमृत फार्मेसी स्थापित करने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। योजना भारत सरकार के MoHFW की Flagship Scheme है। न्यूनतम दर पर आवश्यक जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं औषधियों की उपलब्धता बढाने हेतु अमृत फार्मेसी के साथ–साथ परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र(PMBJK) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसके अन्तर्गत आवश्यक जेनेरिक दवाएँ न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं। **पृष्ठभूमि:** अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2015 व 2016 के DO Letters एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा के पत्र संख्या 48771–217–243/2017) दिनांक 20.09.2017 के माध्यम से सभी सरकारी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अमृत फार्मेसी स्थापित करने की संस्तुति की थी। देशभर में वर्तमान में 275+ अमृत फार्मेसी संचालित हैं, जिनमें 5200 से अधिक Life Saving Medicines, Stents Implants व Disposable 60% तक छूट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के BHU, AIIMS Gorakhpur, AIIMS Raebareli, KGMU Lucknow, GIMS-Greater Noida, PGICH Noida, SRN Prayagraj, BRD Gorakhpur, GSVM Kanpur, MLB Jhansi, LLRM Meerut, SNMC Agra, Ambedkar Nagar, Bahraich, Mirzapur आदि संस्थानों में 23 से भी ज्यादा अमृत फार्मेसी पहले से कार्यरत हैं। अमृत फार्मेसी का संचालन Self & sustainable model पर होता है और यह गरीब मरीजों को प्रत्यक्ष लाभ देता है। HLL Lifecare Limited ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा में भी OPD/IPD Block के पास स्थान आवंटित करने का अनुरोध किया है। HLL Lifecare Limited द्वारा अमृत फार्मेसी काउंटर की स्थापना के सम्बन्ध में एम०ओ०यू० भी उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने नवम्बर 2008 में की थी। इस योजना के तहत जन औषधि केन्द्र खोले जाते हैं, जहाँ लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। 11 जून 2025 तक पूरे देश में 16,000 से ज्यादा जन औषधि केन्द्र चल रहे हैं। इस योजना के तहत 2047 प्रकार की दवाइयाँ और लगभग 300 सर्जिकल सामान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया की है, जिसे पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा, पीएसयू ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। **नियम:** **अमृत फार्मेसी** ➢ अमृत फार्मेसी का संचालन HLL Lifecare Limited द्वारा किया जाएगा। ➢ माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय में आहूत बैठक दिनांक 17.09.2025 में माननीय कुलपति महोदय एवं समिति के सदस्यों द्वारा अमृत फार्मेसी को खोलने हेतु कैफेटेरिया, गेट न.3 के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	बगल में सुपर स्पेशियलिटी के फेज –2 में या कोविड हॉस्पिटल के बायें स्थान पर अमृत फार्मेसी खोने पर सहमति व्यक्त की गयी है। ➢ Furnishing व आवश्यक कार्य का खर्च HLL स्वयं उठाएगा, ➢ Quality Medicines सुनिश्चित करने हेतु HLL के प्रमुख फार्मा कंपनियों से Rate Contracts हैं। **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र** ➢ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र (PMBJK) की स्थापना के लिए न्यूनतम 120 वर्गफुट का स्थान आवश्यक होता है। ➢ नये जन औषधि केन्द्र की स्वीकृति देते समय विभिन्न जिलों में दो केन्द्रों के बीच न्यूनतम 1.0 किलोमीटर की दूरी सुनिश्चित की जाती है। ➢ तथापि, जिला अस्पतालों तथा 100 या उससे अधिक बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के आसपास 500 मीटर की परिधि में इस दूरी की शर्त लागू नहीं होगी। **प्रस्ताव का आधारः** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा में अमृत फार्मेसी एवं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र स्थापित होने से रोगियों को 5200 से अधिक Life Saving Medicines, Stents Implants, Disposable आदि किफायती दर पर उपलब्ध होंगे। यह पहल राष्ट्रीय कार्यक्रम AMRIT एवं PMBJK से जुड़कर संस्थान की रोगी देखभाल सेवा को और सुदृढ़ करेगी, जिससे मरीजों के Out of Pocket व्यय में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 20.09.2017 के पत्र संख्या 48771–217–243/2017 एवं भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह स्थापना होगी। मेसर्स एच0एल0एल0 लाइफकेयर लिमिटेड से एम0ओ0यू0 प्राप्त हो गया जो एजेंडा बिंदु के साथ संलग्न है इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा परिसर में अमृत फार्मेसी स्थापित किये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय के कार्यालय में आहूत बैठक दिनांक 17.09.2025 में माननीय कुलपति महोदय एवं समिति के सदस्यों द्वारा अमृत फार्मेसी को खोलने हेतु स्थान निर्धारित करने पर विचार विमर्श किया गया जिसमेः– (क) कैफेटेरिया, गेट न.3 के बगल में या कोविड हॉस्पिटल के बायें स्थान पर अमृत फार्मेसी खोने पर सहमति व्यक्त की गयी है। (ख) सुपर स्पेशियलिटी के फेज –2 में अमृत फार्मेसी की शाखा खोलने पर सहमति व्यक्त की गयी है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा परिसर में अमृत फार्मेसी एवं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने, आवश्यक स्थान विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध कराने तथा एम०ओ०यू० में उल्लेखित शर्तो के अधीन उक्त व्यवस्था प्रारंभ किये जाने हेतु मा० कार्य परिषद् अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय परिसर में अमृत फार्मेसी एवं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त व्यवस्था प्रारंभ किये जाने हेतु मा० कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–24 **डॉ0 जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), आर्थोपेडिक्स विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2025 एवं दिनांक 20.02.2025 द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के क्रम में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति विषयक कार्यवृत्त की संस्तुति पर मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की तिथि से पदोन्नति प्रदान कराने के सम्बन्ध में विचार किये जाने हेतु।**	**प्रस्तावना**:– डॉ0 जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), आर्थोपेडिक्स विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2025 एवं दिनांक 20.02.2025 द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के क्रम में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति विषयक कार्यवृत्त की संस्तुति पर मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की तिथि से पदोन्नति प्रदान कराने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु सन्दर्भित प्रकरण को आगामी कार्य परिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रस्ताव है। **पृष्ठभूमि**:– अवगत कराना है कि डॉ0 जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), आर्थोपेडिक्स विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति विषयक कार्यवृत्त दिनांक 28.03.2018 पर आर्थोपेडिक्स विभाग के पी0जी0 पाठ्यक्रम हेतु एम0सी0आई0 द्वारा Compliance Verification Inspection के दृष्टिगत बाईसर्कुलेशन कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसे तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 26.06.2018 को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 929, दिनांक 02.07.2018 द्वारा डॉ0 जसवीर सिंह को असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। डॉ0 जसवीर सिंह द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर के पदोन्नति के फलस्वरूप दिनांक 03.07.2018 को कार्यभार ग्रहण किया गया, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 96, दिनांक 23.07.2018 द्वारा दिनांक 03.07.2018 को योगदान आख्या स्वीकार की गयी तथा मा0 कार्यपरिषद की बारहवीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 12–13 में डॉ0 जसवीर सिंह की प्रोफेसर (जू0ग्रे0)/अपर प्रोफेसर के पद पदोन्नति के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय "डॉ0 जसवीर सिंह द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 14.11.2023 के क्रम में मा0 कार्यपरिषद द्वारा Review DPC आयोजित कराये जाने के निर्देश दिये गये" पर विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 3225, दिनांक 27.12.2024 द्वारा न्यू कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अन्तर्गत गठित प्रोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 04.12.2024 एवं उनपर एच0आर0 कमेटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में डॉ0 जसवीर सिंह को एसोसिएट प्रोफेसर के पद से प्रोफेसर (जू0ग्रे0)/अपर प्रोफेसर के पद पर दिनांक 01.07.2022 से वैयक्तिक प्रोदन्नति प्रदान की गयी है। **नियम**:– विश्वविद्यालय में वर्तमान में APS (ASSESSMENT PROMOTION SCHEME) लागू है, जिसमें प्रावधान है कि 30 जून तक अर्ह चिकित्सा संकाय सदस्यों को APS (ASSESSMENT PROMOTION SCHEME) के अन्तर्गत 01 जुलाई से पदोन्नति का लाभ दिया जाता है। चूँकि डॉ0 जसवीर सिंह दिनांक 01.07.2018 से पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु अर्ह थे। अतः डॉ0 जसवीर सिंह को एसोसिएट प्रोफेसर के पद एवं वेतनमान का लाभ 01 जुलाई, 2018 से दिये जाने का प्रस्ताव है। **प्रस्ताव का आधार**: डॉ0 जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), आर्थोपेडिक्स विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2025 एवं दिनांक 20.02.2025 द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के क्रम में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति विषयक कार्यवृत्त की संस्तुति पर मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में विहित व्यवस्था के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिं...
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>अन्तर्गत 30 जून, 2018 से पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु अर्ह होने के कारण इन्हें 01 जुलाई, 2018 से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति एवं वेतनमान अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव है।

<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः</u> डॉ0 जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), आर्थोपेडिक्स विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2025 एवं दिनांक 20.02.2025 द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के क्रम में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति विषयक कार्यवृत्त की संस्तुति पर मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत 30 जून, 2018 से पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु अर्ह होने के कारण इन्हें 01 जुलाई, 2018 से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति एवं वेतनमान अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव पर मा0 कार्यपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> डॉ0 जसवीर सिंह, प्रोफेसर (जू0ग्रे0), आर्थोपेडिक्स विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2025 एवं दिनांक 20.02.2025 द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के क्रम में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति विषयक कार्यवृत्त की संस्तुति पर मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत 30 जून, 2018 से पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु अर्ह होने के कारण इन्हें 01 जुलाई, 2018 से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति एवं वेतनमान अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 13–25</u>
विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेश) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स, नई दिल्ली की दरों पर दैनिक भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।</td><td><u>प्रस्तावनाः</u> अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेन्स (विदेश) में प्रतिभाग करने के संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं0 No. Q/FD/695/03/2000 दिनांक 25.09.2023 एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 No.F.9-411/ 2018(D.A./P/F)-Estt.I,दिनांक 22.12.2023 में विभिन्न देशों में प्रतिभाग करने के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेश) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स नई दिल्ली के दरों पर दैनिक भत्ता को अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव है।

<u>पृष्ठभूमिः</u> अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करने के संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं0 No. Q/FD/695/03/2000 दिनांक 25.09.2023 एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 No.F.9-411/ 2018(D.A./P/F)-Estt.I, दिनांक 22.12.2023में विभिन्न देशों में प्रतिभाग करने के संबंध में संलग्नानुसार दैनिक भत्ता निर्धारित किया गया है।

<u>नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः</u> विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 17.05.2016 की धारा 48 में व्यवस्थ है कि "विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी।"

<u>प्रस्ताव का आधारः</u> उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में भी उपरोक्तानुसार निर्धारित दैनिक भत्ता को लागू किये जाने का प्रस्ताव है।</td></tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>प्रस्तावः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेन्स (विदेश) में प्रतिभाग करने के संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं0 No. Q/FD/695/03/2000 दिनांक 25.09.2023 एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 No.F.9-411/ 2018(D.A./P/F)-Estt.I, दिनांक 22.12.2023 में विभिन्न देशों में प्रतिभाग करने के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेश) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स नई दिल्ली के दरों पर दैनिक भत्ता को अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">कार्य परिषद का निर्णयः– अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेन्स (विदेश) में प्रतिभाग करने के संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं0 No. Q/FD/695/03/2000 दिनांक 25.09.2023 एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 No.F.9-411/ 2018(D.A./P/F)-Estt.I, दिनांक 22.12.2023 में विभिन्न देशों में प्रतिभाग करने के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेश) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स नई दिल्ली के दरों पर दैनिक भत्ता अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>एजेण्डा बिन्दु 13–26
विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं की शार्ट अटेण्डेंस के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।</td>
<td>प्रस्तावनाः विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आकस्मिक अवकाश पर जाने, चिकित्सीय अवकाश पर होने, पारिवारिक समस्याओं एवं अन्य कारणों से उनकी उपस्थिति निर्धारित मानकों से कम हो जाती है। शॉर्ट अटेंडेंस से शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः आवश्यक है कि इस विषय में स्पष्ट, एकरूप एवं प्रभावी नीति निर्धारित की जाए।

पृष्ठभूमिः विभिन्न संकायों एवं विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं की शॉर्ट अटेंडेंस से सम्बन्धित एक मानक नीति विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार की जाए, जिससे पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित हो सके।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः शॉर्ट अटेंडेंस के कारण छात्र/छात्राओं के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विशेष अनुमति हेतु प्रक्रिया स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव का आधारः शैक्षणिक अनुशासन, गुणवत्ता संवर्द्धन एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित काउन्सिल के नियम लागू होंगे। शॉर्ट अटेंडेंस के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था लागू किए जाने का प्रस्ताव है–
1. Remedial Classes/Assignment कराते हुए उसके आधार पर कुल उपस्थिति की गणना किया जाना प्रस्तावित है।
2. यदि छात्र/छात्राएं संकायाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से वर्कशॉप/कान्फ्रेंन्स/इंटर कॉलेज फेस्टिवल व इंस्टीट्यूशनल फेस्टीवल में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें उपस्थित माना जा सकता है और इस आधार पर उपस्थिति में छूट प्रदान की जा सकती है।
3. चिकित्सकीय कारणों या अन्य यथोचित कारणों की स्थिति में, चिकित्सीय अवकाश की अवधि को घटाते हुए मात्र एक विषय</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह छूट केवल माननीय कुलपति महोदय के स्तर से ही अनुमोदित की जाएगी।
उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णय</u>:— उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 13—27</u>
विश्वविद्यालय में Proctorial Board की स्थापना के सम्बन्ध में।</td><td><u>प्रस्तावना</u>: विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय, पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय, फार्मेसी संकाय एवं दन्त संकाय के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहिष्णुता, छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करने आदि हेतु विश्वविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड की आवश्यकता है।
<u>पृष्ठभूमि</u>: विश्वविद्यालय परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, मध्यस्थता, सुलह और परामर्श के माध्यम से छात्रों का सुधार और पुनर्वास करने, विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहिष्णुता, छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करना, छात्रों को परिसर और उसके आसपास किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकना आदि कार्यों हेतु विश्वविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड की आवश्यकता है।
<u>प्रस्ताव</u>: विश्वविद्यालय में निम्नानुसार प्राक्टोरियल बोर्ड प्रस्तावित है—
Proctor - 01
Associate Proctor - 02
Assistant Proctor - 05
Member of Board - from different faculties and administration
उक्त बोर्ड के गठन के पश्चात बोर्ड द्वारा एस0ओ0पी0 तैयार की जायेगी तथा एस0ओ0पी0 के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी। उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णय</u>:— विश्वविद्यालय परिसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने, मध्यस्थता, सुलह और परामर्श के माध्यम से छात्रों का सुधार और पुनर्वास करने, विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहिष्णुता, छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करने, छात्रों को परिसर और उसके आसपास किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने आदि कार्यों हेतु विश्वविद्यालय में प्राक्टोरियल बोर्ड के गठन हेतु उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td><u>एजेण्डा बिन्दु 13—28</u>
विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में नयी जाँचों/प्रोसीजर हेतु निर्धारित की गई दरों पर अनुमोदन के संबंध में।</td><td><u>प्रस्तावना</u>: कार्यालय आदेश सं0 498/एम0एस0/यू0पी0यू0एम0एस0/2022—23 दिनांक 10 अगस्त, 2022 के माध्यम से चिकित्सालय में प्रारम्भ की जाने वाली नयी जाँचों/प्रोसीजर की दरों को निर्धारित किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया है। जिसके द्वारा चिकित्सालय में प्रारम्भ होने वाली नयी जाँचों/प्रोसीजर की दरों का बिना किसी लाभ व हानि के आधार पर निर्धारण किया जाता है। समिति द्वारा निर्धारित की गयी जाँचों की दरों को मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त मरीजों हेतु निर्धारित दरों पर जाँचें प्रारम्भ की जाती हैं।
<u>पृष्ठभूमि</u>: कार्यालय आदेश सं0 498/एम0एस0/यू0पी0यू0एम0एस0/2022—23 दिनांक 10 अगस्त, 2022 के माध्यम से गठित समिति का</td></tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>उद्देश्य यह है कि मरीजों की जाँचें न्यूनतम दरों पर अन्य चिकित्सालयों (एस0जी0पी0जी0आई, के0जीएम0यू0, आर0एम0एल0) की भाँति बिना किसी लाभ व हानि के लगभग समतुल्य दरों पर हो सकें।

<u>नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय</u>: कार्यालय आदेश सं0 498/एम0एस0/यू0पी0यू0एम0एस0/2022–23 दिनांक 10 अगस्त, 2022 के माध्यम से गठित समिति द्वारा प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित होती है जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली नयी जाँचों की दरें निर्धारित किये जाने हेतु अन्य चिकित्सालयों (के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ) की दरें, आर0सी0 की दरें अथवा रीएजेन्टस के आधार पर बिना किसी लाभ व हानि के निर्धारित की जाती हैं। उक्त समिति द्वारा नयी जांचों/प्रोसीजर की दरें निर्धारित की गयी, जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>प्रस्ताव</u>: विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में नयी जाँचों/प्रोसीजर हेतु समिति द्वारा निर्धारित की गई दरों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णय</u>:– उक्त प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 13–29</u>
चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में आने वाले मरीजों को उच्चस्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रबंधकीय कार्य के दृष्टिगत आपातकालीन विभाग में समस्त चिकित्सा संकाय, डेन्टल संकाय, पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय तथा फार्मेसी सकायों के सदस्यों (प्रोफेसर स्तर के विभागाध्यक्षों को छोड़कर) की आपाकालीन विभाग के Control room में रोस्टर तैयार कर ड्यूटी निर्धारित किये जाने के संबंध में।</td>
<td><u>प्रस्तावना</u>: चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में आने वाले मरीजों को उच्चस्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रबंधकीय कार्य के दृष्टिगत आपातकालीन विभाग में समस्त चिकित्सा संकाय, डेन्टल संकाय, पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय तथा फार्मेसी सकायों के सदस्यों (प्रोफेसर स्तर के विभागाध्यक्षों को छोड़कर) की आपाकालीन विभाग के Control Room में रोस्टर तैयार कर ड्यूटी करने के दृष्टिगत प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। एस0ओ0पी0 संलग्न है।

<u>प्रस्ताव</u>: चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में आने वाले मरीजों को उच्चस्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रबंधकीय कार्य के दृष्टिगत आपातकालीन विभाग में समस्त चिकित्सा संकाय, डेन्टल संकाय, पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय तथा फार्मेसी सकायों के सदस्यों (प्रोफेसर स्तर के विभागाध्यक्षों को छोड़कर) की आपाकालीन विभाग के Control Room में ड्यूटी हेतु प्रकरण को मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है तथा अन्य अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव है।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णय</u>:– चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में आने वाले मरीजों को उच्चस्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रबंधकीय कार्य के दृष्टिगत आपातकालीन विभाग में समस्त चिकित्सा संकाय, डेन्टल संकाय, पैरामेडिकल संकाय, नर्सिंग संकाय तथा फार्मेसी सकायों के सदस्यों (प्रोफेसर स्तर के विभागाध्यक्षों को छोड़कर) की आपाकालीन विभाग के Control Room में रोस्टर तैयार कर ड्यूटी निर्धारित किये जाने के संबंध में एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में अन्य अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–30 **वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.09.2025 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।**	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.09.2025 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत हैं:– **4.1 वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।** **वित्त समिति का निर्णय:–** समिति द्वारा वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक: 21–08–2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। **4.2 वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** **वित्त समिति का निर्णय:–** वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक: 21–08–2024 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या से वित्त समिति अवगत हुई। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जो कार्य अभी अपूर्ण है, उन्हें 06 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये। **4.3 विश्वविद्यालय के तुलन–पत्र (Balance Sheet) अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।** **वित्त समिति का निर्णय:–** वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2023–24 के तुलन–पत्र (Balance Sheet) पर अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि तुलन–पत्र का किसी अन्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट (थर्ड पार्टी) से इसकी सम्प्रीक्षा करा ली जाये। **4.4 विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से प्राप्त अनुदान एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय तथा मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज की आय एवम् उससे किये गये व्यय तथा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट की प्राप्तियों एवं व्यय को अवलोकित करते हुए अनुमोदित करने तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु बजट प्राविधान को अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।** **वित्त समिति का निर्णय:–** वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन से प्राप्त अनुदान एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय तथा मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल कालेज की आय एवम् उससे किये गये व्यय तथा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट की प्राप्तियों एवं व्यय को अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु बजट प्राविधान से समिति अवगत हुई। **4.5 विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये गये कार्यो पर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।** **वित्त समिति का निर्णय:–** वित्त समिति द्वारा एजेण्डा बिन्दु–4.5 की तालिका–1 एवं 2 में वर्णित कार्यो/ सामग्रियों के क्रय पर कुल धनराशि रू0 1267.32 लाख (रू0 1100.59 लाख + 166.73 लाख) के व्यय पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा तालिका–1 के क्रमांक–27 पर

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	06 नग लिफ्ट जिसको 11 माह में पूर्ण किया जाना है, को छोड़कर शेष सभी कार्य अगले 06 माह में पूर्ण करा लिये जायें। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि वित्त समिति की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये गये अपरिहार्य कार्यो के सम्बन्ध में वित्त समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायें।
	4.6 **विश्वविद्यालय की आय/बचत से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में।**
	<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>— वित्त समिति द्वारा उपरोक्त तालिका में वर्णित क्रमांक–01 से 06 पर वर्णित कार्यो पर कुल 06 कार्यो पर धनराशि रू0 1647.76 लाख के कार्यो को विश्वविद्यालय की आय/बचत से किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। क्रमांक–7 पर वर्णित कार्य के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा इस शर्त के साथ सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी कि उक्त कार्य शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान से कराया जाये अथवा शासन से बजट की माँग करते हुए पूर्ण कराया जाये।
	4.7 **उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में In Vitro Fertilization (IVF)/ ART and Genetic Centre केन्द्र की स्थापना एवं विकास के सम्बन्ध में।**
	<u>Decision of Finance Committee</u>:- Finance Committee has approved Budget allocation of Rs. 495.00 Lakhs from saving/income of University for establishment and development of IVF/ ART and Genetic Centre at UPUMS, Saifai.
	4.8 **विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज, चिकित्सालय तथा पैरामेडिकल इंस्टीटयूट परिसर में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यो/सेवाओं के अनुरक्षण एवं संचालन के अनुमोदन कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>— वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज, चिकित्सालय एवं पैरामेडिकल परिसर में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु एजेण्डा बिन्दु–4.8 की तालिका–1 में वर्णित 04 अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो तथा तालिका–2 में वर्णित 15 अनुरक्षण/सेवाओं सम्बन्धी कार्यो के संचालन पर अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्त समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त अनुरक्षण कार्यो/सेवाओं हेतु यूजर से फीड बैक प्राप्त किये जाने हेतु एस0ओ0पी0 तैयार करते हुए लागू की जाये।
	4.9 **विश्वविद्यालय द्वारा Committee for Online Recruitment and Entrance Exam (COREE) के द्वारा सम्पादित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं/प्रवेश प्रक्रियाओं हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की मानदेय दरों (प्रत्येक प्रवेश/भर्ती परीक्षा अनुसार), की संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 (अप्रैल–2025 से) से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**
	<u>वित्त समिति का निर्णयः</u>— वित्त समिति द्वारा Committee for Online Recruitment and Entrance Exam (COREE) के माध्यम से सम्पादित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं/प्रवेश प्रक्रियाओं हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की मानदेय दरों (प्रत्येक प्रवेश/भर्ती परीक्षा अनुसार), की संशोधित दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 (अप्रैल–2025 से) से लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श करते हुए तालिका–2 के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

क्रमांक–5 की संशोधित दरें रू0 40,000.00 के स्थान पर रू0 50,000.00 तथा क्रमांक–6 एवं 7 की संशोधित दरें रू0 20,000.00 एवं 15,000.00 के स्थान पर रू0 25,000.00 किये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए संशोधित दरों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

4.10	**मा0 कार्य परिषद् की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 के कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु 12–14 (ANNEXURE-I) में निर्णय के क्रम में F.R.&S.R.-PART-III-Leave Rules में उल्लिखित नियमों के अधीन छुट्टी वेतन (Leave Salary) के रूल 56 व 60 के अन्तर्गत सेवा बन्धपत्र, अण्डरटेकिंग लिये जाने के उपरान्त अध्ययन अवकाश स्वीकृत के अन्तर्गत 02 वर्ष का वेतन दिये जाने पर वित्त उपाशय के संबंध में।**

वित्त समिति का निर्णयः– वित्त समिति के सदस्यों द्वारा मा0 कार्य परिषद की 12वीं बैठक दिनांकः 26–11–2024 में अध्ययन अवकाश के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया तथा यह सुझाव दिया गया कि अध्ययन अवकाश सम्बन्धी प्रकरण नीतिगत है, इसे विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः मा0 कार्य परिषद को पुनः प्रकरण पर तद्नसार कार्यवाही हेतु पुनर्विचार के लिये संदर्भित कर दिया जाय।

4.11	**अन्य बिन्दु – मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।** **एजेण्डा बिन्दु 4.11(1) विश्वविद्यालय में आने वाले वाह्य परीक्षकों के यात्रा भत्ता को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ उ0प्र0 में अनुमन्य दरों के समान दरें लागू किये जाने के सम्बन्ध में।** **एजेण्डा बिन्दु 4.11(2) विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों से होने वाली बचत को विश्वविद्यालय एवं रोगी हित में व्यय किये जाने के सम्बन्ध में गाईडलाईन्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।**

वित्त समिति का निर्णय :–

एजेण्डा बिन्दु 4.11 (1)

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न परीक्षाओं हेतु आने वाले वाह्य परीक्षकों का यात्रा भत्ता किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के आदेश संख्याः 1440/Exam/General दिनांकः 02–12–2024 में दी गयी दरों के अनुसार अनुमन्य किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी तथा उक्त का अनुमोदन कार्य परिषद से भी प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

एजेण्डा बिन्दु 4.11 (2)

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों में होने वाली बचत को विश्वविद्यालय एवं रोगी हित में व्यय किये जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक रूप से इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की गयी कि उक्त के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा एस0ओ0पी0 तैयार कर कार्य परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

प्रस्तावः वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.09.2025 में एजेण्डा बिंदु–4.1 से 4.11 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.09.2025 में एजेण्डा बिंदु–4.1 से 4.11 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–31

विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

प्रस्तावना: अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में प्रस्तुत किये गये एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत हैं:–

एजेण्डा बिंदु 7–(1)	**विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

निर्णय:– विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद के सदस्यों से विचार विमर्श किया गया तथा डा0 सन्दीप कुमार, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया था डा0 पी0के0 जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्यूनिटी मेडिसिन द्वारा अनुमोदन हेतु सहमति व्यक्त की गयी। इस प्रकार विद्या परिषद द्वार छठी बैठक के कार्यावृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिंदु 7–(2)	**विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

निर्णय:– विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई तथा एजेण्डा की अनुपालन आख्या के विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गये–

- एजेण्डा बिन्दु 6–(3.1)– जोकि रेडिएशन आंकोलाजी विभाग में मेडिकल फिजिक्स रेजिडेन्ट (एम.पी.आर.) रखे जाने से सम्बन्धित था, के विषय में विभागाध्यक्ष रेजिडएशन आंकोलाजी विभाग द्वारा दिये गये सुझावों से सम्बन्धित विस्तृत चर्चा के पश्चात एजेण्डा को विद्या परिषद द्वारा drop किये जाने का निर्णय लिया गया।
- एजेण्डा बिन्दु 6–(3.2), 6–(3.3) से सम्बन्धित अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।
- एजेण्डा बिन्दु 6–(3.4)– जोकि पी0डी0सी0सी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से सम्बन्धित था, के विषय में यह पाया गया कि यह एजेण्डा एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप नहीं था। इसलिए इसे स्थगित किये जाने का निर्णय विद्या परिषद द्वारा लिया गया।
- एजेण्डा बिन्दु 6–(4.1), 6–(4.2), 6–(4.3), 6–(4.4), 6–(4.5), 6–(4.6), 6–(4.7), 6–(4.8), 6–(5.1), 6–(5.2), 6–(5.3), 6–(5.4), 6–(5.5), 6–(6.1), 6–(6.2), 6–(6.3), 6–(6.4), 6–(6.5), 6–(7.1), 6–(7.2), 6–(7.3), 6–(7.4), एवं 6–(7.5)– से सम्बन्धित अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।
- एजेण्डा बिन्दु 6–(7.6)– जोकि मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम से सम्बन्धित था, के विषय में विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम को विधिवत रूप से लागू किया जाये। सभी संकायाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तव में यह प्रोग्राम सही से चल रहा है। इस सम्बन्ध में नियमित बैठक सम्पन्न होंगी एवं बैठक/कार्यावाही का डाटा कलेक्ट किया जायेगा तथा डाटा का एनालिसिस डीन के स्तर से किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम विधिवत रूप से संचालित हो रहा है।
- एजेण्डा बिन्दु 6–(7.7) से सम्बन्धित अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।
- एजेण्डा बिन्दु 6–(8) जोकि विश्वविद्यालय में रिसर्च से सम्बन्धित था, के विषय में विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि यह एजेण्डा

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

नियमानुकूल नहीं है। इसलिए विद्या परिषद इस एजेण्डा को drop किये जाने का निर्णय लिया गया।

मा० कुलपति महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में अनुपालन आख्या के विषय में जिन बिन्दुओं में विवरण के उल्लेख की आवश्यकता हो, को छोड़कर अन्य में अनुपालन हुआ अथवा नहीं का ही उल्लेख किया जाये, जिससे समय की बचत हो सके।

एजेण्डा बिन्दु	**चिकित्सा संकाय**
7–(3.1)	**विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष करायी जाने वाली CME में से अधिकतम दो CME कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के स्तर से वित्तीय सहयोग स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा यह निर्देश दिये गये कि यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों पर लागू होगा। विद्या परिषद द्वारा इस शर्त के साथ उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया कि CME में कोई Sponsorship एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संकाय सदस्य को उपलब्ध कराना होगा।

7–(3.2)	**विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेष) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स, नई दिल्ली की दरों पर दैनिक भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में**

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त को मा० कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ही लागू किया जायेगा तथा उक्त के विषय में समय–समय पर होने वाले संशोधन भी प्रभावी होते रहेंगे।

7–(3.3)	**चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित यू०जी०, पी०जी० एवं सुपरस्पेशियालिटी पाठ्यकमों की परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु External/ Internal परीक्षकों के पैनल का अनुमोदन।**

निर्णयः– यू०जी०, पी०जी० एवं सुपर स्पेशियालिटी पाठ्यक्रमों हेतु External Examiners/ Internal Examiners के परीक्षकों के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि प्राईवेट कालेज के बाह्य परीक्षकों को परीक्षा हेतु प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। किसी एक सरकारी कालेज से अधिकतम एक तथा उच्च सरकारी संस्थानो से दो बाह्य परीक्षक ही परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। पी०जी० परीक्षाओं हेतु प्रदेश से बाहर के कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के बाह्य परीक्षकों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। विद्या परिषद द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्तानुसार परीक्षकों के पैनल को यदि आवश्यकता हो, तो अपडेट करते हुए लागू किया जाये।

7–(3.4)	**To Establish Molecular Lab in Transfusion Medicine Department of UPUMS for blood safety**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य माईक्रोबायोलाजी विभाग में किया जायेगा तथा उक्त कार्य का माईक्रोबायोलाजी एवं ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा संयुक्त रूप पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

7–(3.5)	**Proposal for Starting Fellow of National Board (FNB) in Arthroplasty in the Department of Orthopaedics and Starting Fellow of National Board (FNB) in other departments**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा उक्त को अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया जाये, जिसमें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (जोकि नोडल अधिकारी होंगे) एवं चिकित्सा अधीक्षक होंगे। यह कमेटी प्रस्ताव को परीक्षण कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी सम्बन्धित विभाग में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने/सीटों की वृद्धि हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरण पूर्ण हैं अथवा नहीं। उक्त के पश्चात डीन कमेटी के माध्यम से मा० कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर पाठ्यक्रम प्रारम्भ/सीटों में वृद्धि की जा सकेगी। जहाँ तक **Fellow of National Board (FNB)** का प्रश्न है, तो विभागाध्यक्ष उक्त के विषय निर्धारित गाईडलाईन्स का अध्ययन करते हुए प्रस्ताव तैयार करेंगे तथा सब–कमेटी एवं डीन कमेटी के माध्यम से मा० कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य को पूर्ण करेंगे।

7–(3.6)	**विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत पी०जी० (एम०डी० / एम०एस० / डी०एन०बी०) सीटों की वृद्धि हेतु आवेदन किए जाने के संबंध में**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि विभागवार सीटों का परीक्षण सब कमेटी से करा लिया जाये। सब कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही की जाये।

एजेण्डा बिन्दु	रिसर्च सेल
7–(4.1)	**Modification in the SOP of Research Cell of the University**

निर्णयः– एस०ओ०पी० पर विस्तृत चर्चा के पश्चात विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(4.2)	**Creation of a Separate Post of Officiating Dean (Research) / Associate Dean (Research) / Sub Dean (Research) in the University**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि रिसर्च सेल के कार्यों हेतु एक Officiating Dean (Research) एवं एक Associate Dean (Research) का पद होगा। जिसे विद्या परिषद की बैठक के कार्यवृत्त पर मा० कार्य परिषद के अनुमोदन के पश्चात ही लागू किया जायेगा।

7–(4.3)	**Mandatory Submission of Publications in Hard Copy Arising From Research Work / Projects/Theses Conducted By University Faculty and Students in the Research Cell.**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विभिन्न निर्देशों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि समस्त विभागाध्यक्ष Publications Arising From Research Work / Projects/Theses Conducted By University Faculty and Students के विषय में निम्नानुसार सुनिश्चित करेंगे कि –

- ए०सी०आर० के साथ समस्त प्रपत्र संलग्न किये जायें।
- समस्त प्रपत्रों को रिसर्च सेल को अग्रसारित किया जाये।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध विभाग/संकाय सदस्य के पेज पर रिसर्च से सम्बन्धित समस्त विवरण प्रपत्र/अभिलेख नियमित रूप से अपडेट किये जायें।

7–(4.4)	**To obtain approval for the guidelines framed for starting a research showcase with one oration at the University.**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देशित किया गया कि उक्त को रिसर्च सेल द्वारा को–आर्डिनेट किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु	परीक्षा विभाग
7–(5.1)	**विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर विभिन्न पाठ्यक्रमों के कोर्स कोड के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(5.2)	**विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अधिकतर विषयों के प्रश्न पत्रो में पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हो गया है। इसलिए परीक्षा में समस्त छात्र–छात्राओं को पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हेतु अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाओं को देने का प्राविधान किया जा रहा है साथ ही अन्य संकायों में भी, यदि इस तरह के प्रश्न पत्र है तो उनमें भी प्रत्येक पार्ट की अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाएं दिये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(5.3)	**विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों की थिसिस मूल्यांकन के लिए सॉफ्ट (पीडीएफ– पासवर्ड प्रोटेक्टेड) कॉपी के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(5.4)	**विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा सम्बन्धी प्रि एवं पोस्ट कार्य को समर्थ पोर्टल के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(5.5)	**विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम कोड के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु	पैरामेडिकल विज्ञान संकाय
7–(6.1)	**विश्वविद्यालय में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं के संशोधन के संबंध में।**

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त को डीन कमेटी के माध्यम से कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाये तभी इस विषय को लागू किया जाये।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ०) अजय सिं
कुलपति

7—(6.2)	**Implementation of the New Curriculum**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7—(6.3)	**पैरामेडिकल परास्नातक पाठ्यक्रमों के कैरीओवर विषयों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में।**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7—(6.4)	**पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षक पैनल गठन**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7—(3.3) में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिन्दु	नर्सिंग संकाय
7—(7.1)	**Adoption of Revised Curriculum Structure, Assessment Pattern, and Academic Regulations for B.Sc. Nursing prescribed by Indian Nursing Curriculum**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7—(7.2)	**Approval of Internal and External Examiner for BSc Nursing Programme**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7—(3.3) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिन्दु	फार्मेसी संकाय
7—(8.1)	**Approval of External examiners for theory, Practical and Project Examination for UG and PG Programs**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7—(3.3) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	
7—(8.2)	**Corrections (Revisions) in M. Pharm. (Pharmaceutics), M. Pharm. (Pharmaceutical Chemistry), M. Pharm. (Pharmacology), M. Pharm. (Pharmacognosy). Syllabus**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करते हुए कार्य परिषद की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु	दन्त विज्ञान संकाय
7—(9.1)	**दन्त विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णयः— उक्त एजेण्डा विद्या परिषद का न होने के कारण विद्या परिषद द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।	
7—(9.2)	**दन्त विज्ञान संकाय के रिक्त पदों के चयन/पदोन्नति बोर्ड हेतु बाह्य विषय—विशेषज्ञ नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिं
कुलपति

	7–(9.3)	**दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलाजी विभाग के परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों का पैनल के गठन को स्वीकृति हेतु।**
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7–(3.3) में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	
	7–(9.4)	**दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग हेतु दो असिस्टेप्ट प्रोफेसर एवं दो वरिष्ठ रेजिडेंट (एस0आर0) पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु।**
	निर्णयः– यह पद मानकीकरण में नहीं हैं। अतः उक्त एजेण्डा को विद्या परिषद द्वारा drop किये जाने का निर्णय लिया गया।	
	7–(9.5)	**दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग में DCI के मास्टर ऑफ डेन्टल सर्जरी पाठ्यक्रम 2017 के नियम और विनियम के कार्यान्वयन हेतु।**
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी।	
	एजेण्डा बिन्दु	**अन्य बिंदु**
	7–(10.1)	**विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के चयन से संबंधित प्रारूपों पर अनुमोदन के संबंध में।**
	निर्णयः– उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूपों को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	7–(10.2)	**विश्वविद्यालय के ब्रॉड स्पेषिएलिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की पुनरीक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	7–(10.3)	**विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किये जाने एवं सम्मानित महानुभावों को "मानद उपाधि" प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	7–(10.4)	**विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किये जाने एवं एक ओरेशन (Oration) अवार्ड शुरू किये जाने सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	7–(10.5)	**विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं की शार्ट अटेण्डेंस के सम्बन्ध में नीति निर्धारण**
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा चिकित्सीय अवकाश की अवधि को घटाते हुए मात्र एक विषय में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	7–(10.6)	**Inclusion of Indian Knowledge Systems (IKS) in Course Curriculum Across University Faculties.**
	निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	7–(10.7)	**विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं परीक्षा विभाग हेतु एसोसिएट डीन/सब डीन नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा एसोसिएट डीन पदनाम का अनुमोदन दिया गया।

7—(10.8)	**विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में संचालित पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी एवं Remedial Mathematics(RMT106T) विषयों के अध्यापन की आवश्यकता के दृष्टिगत यह कार्य अतिथि शिक्षकों से कराए जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु	टेबल एजेण्डा
7—(11.1)	**पैरामेडिकल संकाय में संचालित स्नातक प्रोग्राम्स की इंटर्नशिप नीति के संशोधन के सम्बन्ध में।**

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7—(11.2)	**विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के विभिन्न विभागों में नॉन—बाण्डेड सीनियर रेजिडेन्ट के पदों पर सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड—फोलोशिप (Linked Fellowship) प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा उक्त को अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये गये कि—

- सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड—फोलोशिप अधिकतम छः माह की होगी।
- सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड—फोलोशिप हेतु सर्टिफिकेट निर्गत किया जायेगा।
- उक्त की सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
- चयनित सीनियर रेजिडेन्ट को सीनियर रेजिडेन्ट के दौरान ही सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड—फोलोशिप की जायेगी।
- उक्त से सम्बन्धित विवरण/गाईडलाईन्स विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किया जायेगा तथा सब—कमेटी, डीन कमेटी के माध्यम से विद्या परिषद एवं कार्य परिषद से अनुमोदित कराया जायेगा।

7—(11.3)	**विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष समिति (Dean Committee) गठित किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक डीन कमेटी में अन्य किसी भी संकाय के संकायाध्यक्ष आमंत्रित सदस्य होंगे तथा किसी बाह्य सदस्य को कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त शामिल किया जा सकेगा।

7—(11.4)	**विश्वविद्यालय में ट्यूमर बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में।**

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7—(11.5)	**विश्वविद्यालय में प्रवेशित होने वाले समस्त छात्र/छात्राओं को प्रवेश प्रकिया के दौरान Dos & Don'ts से अवगत कराने हेतु विवरण तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्तावः विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–32 **विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों से होने वाली बचत को विश्वविद्यालय एवं रोगी हित में व्यय किये जाने के संबंध में तैयार की गई गाइडलाइन्स पर अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि कार्यालय आदेश सं0 1984 / यूपीयूएमएस / कु0का0(2025– सीडी) / 2025–26 दिनाँक 13 अगस्त 2025 द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों से होने वाली बचत को विश्वविद्यालय एवं रोगी हित में किये जाने के सम्बन्ध में गाईडलाईन्स तैयार किये जाने हेतु समिति गठित की गई थी। उक्त समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को सम्पन्न हुई, जिसमें तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुमोदन हेतु मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2025 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। **पृष्ठभूमिः** 1. एम.बी.बी.एस के छात्रों से प्राप्त शुल्क की धनराशि का संजय गांधी आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान की भांति अकादमिक कार्यों पर गवर्निंग बाडी की 8 वीं बैठक दिनांक 15-03-2007 को व्यय किये जाने की अनुमति दी गई। 2. इसी प्रकार संस्थान के मल्टी स्पेशिलिटी चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रोगी पंजीकरण शुल्क शैय्या शुल्क एवं अन्य शुल्कों से प्राप्त धनराशि का प्रकीर्ण विकास कार्यों के लिए उपयोग किए जाने का निर्णय गवर्निंग बाडी की 11 वीं बैठक दिनांक 10-01-2008 को लिया गया। 3. उल्लेखनीय है कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के चिकित्सालय में आने वाले मरीजों से Nominal दर से यूजर चार्जेज (जैसे– इन्वेस्टिगेशन शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क, ओ.पी.डी. शुल्क, ओ.टी. शुल्क) तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले MBBS/MS/MD/MDS/MCH तथा पैरा, फार्मेसी एवं नर्सिंग संकाय के छात्रों से शुल्क एवं विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क, टेंडर फीस आदि अन्य स्रोतों से धनराशियां प्राप्त होती हैं, जिसे विश्वविद्यालय के खाता संख्या 728110200000006 व खाता संख्या 728110200000005 में संरक्षित किया जाता है। जिसे संस्थान की गवर्निंग बाडी की उपरोक्त बैठक व अनुमोदन के अनुसार विविध एवं विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है, जिसका अनुमोदन वित्त समिति के माध्यम से कार्य परिषद से कराया जाता है। **मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure):** 1. विविध कार्य का आशय ऐसे कार्यों से है जो विश्वविद्यालय के लिए तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर अपरिहार्य रूप से कराये जाने हैं और जिस पर शासन स्तर से धनराशि का कोई प्रावधान नहीं हुआ है। 2. इसमें ऐसे कार्य भी शामिल होंगे जिसमें लघु निर्माण अथवा अनुरक्षण से भी सम्बन्धित कार्य होगें, जिसे तात्कालिक आधार पर अथवा नियमित आधार पर कराया जाना आवश्यक है। 3. ऐसे कार्य जो शासनादेश संख्याः 43 / 2025 / I / 893576 / 2025 / 71–1099(099) / 44 / 2024, दिनांकः 28–02–2025 में रोगी कल्याण हेतु विहित है, के सम्बन्ध में विस्तृत विमर्श के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय
कुलपति

	उपरान्त निर्मित एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्य कराया जायेगा, जिसके लिये शासन से किसी धनराशि का प्राविधान नहीं है। 4. जनहित में स्वास्थ से सम्बन्धित सामाजिक कार्य जैसे आस–पास के गाँवों में मेडिकल कैम्प लगाना, भोजन आदि की व्यवस्था करना, औषधि की व्यवस्था करना, अलाव जलाना इत्यादि। 5. विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विविध प्रकार के सांस्कृतिक (खेल–कूद आदि), राष्ट्रीय पर्व, आवश्यक शिक्षण–प्रशिक्षण या जागरूकता अभियान, अनुसंधान सबंधी कार्य, नवीन तकनीकों पर रिसर्च व विकास यथा यू0जी0 एवं पी0जी0 छात्रों के लिये इन्ट्राम्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट, मेघावी छात्रों के लिये कान्फ्रेंस में प्रतिभाग हेतु वित्तीय सहायता और कार्मिको एवं छात्रों द्वारा कार्यो में उत्कृष्ठ योगदान दिये जाने हेतु पारिश्रमिक, वेलनेस सेंटर की स्थापना, हेल्थ प्रमोशन के क्षेत्र में, अकेडमिक एक्टिविटिज, अति निर्धन रोगियों हेतु, छात्र–छात्राओं के खेल–कूद मैदान के विकास कार्य, आकस्मात् स्थिति में क्रय किये जाने वाले उपकरण, लेक्चर के लिए शिक्षण हित में विदेशों से स्पीकर का प्रबंध करने पर होने वाले व्यय, दीक्षांत समारोह पर होने वाले व्यय, मेडिको गार्डन से सम्बन्धित कार्य व अन्य कार्य जो आवश्यक श्रेणी के हों। 6- भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं (जननी सुरक्षा, पं0 दीन दयाल उपाध्याय, एन0एच0एम0 आदि) जिसमें धनराशि का आवंटन बिलम्ब से प्राप्त होता है और किए गए कार्यों पर भुगतान किया जाना आवश्यक है तो ऐसे भुगतान को विश्वविद्यालय की आय/बचतों से प्राप्त किया जाएगा और यदि भविष्य में योजना के सापेक्ष सरकार से धनराशि/बजट प्राप्त होता है तो प्राप्त धनराशि को विश्वविद्यालय की आय/बचत में समायोजित कर लिया जाएगा। 7. गैर–वेतन में शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष आधिक्य व्यय होने की दशा में विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक मदों में व्यय विश्वविद्यालय की आय/बचत से किया जाएगा और यथासम्भव धनराशि प्राप्ति उपरान्त समायोजित भी किया जायेगा। उपरोक्त कार्य हेतु संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता का विस्तृत औचित्य तैयार किया जाएगा, जिसे यथा आवश्यक कुलपति महोदय को अवलोकित कराया जाएगा। तदुपरान्त ऐसे कार्य जो निर्माण तथा अनुरक्षण से संबंधित हैं और रू0 10 लाख से अधिक हैं, को नोडल अधिकारी द्वारा निम्न समिति के माध्यम से कुलसचिव, वित्त अधिकारी के माध्यम से कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:– 1- अधिशासी अभियंता 2- चिकित्सा अधीक्षक 3- सम्बंधित सहायक अभियंता 4- वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (यथावश्यक) 5- वरिष्ठ लेखाधिकारी (S)

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

ऐसे कार्य जो अनुरक्षण एवं निर्माण से संबंधित नहीं है और रू0 5 लाख से अधिक है को निम्न समिति के माध्यम से चिकित्सा अधीक्षक/संबंधित डीन, कुलसचिव, वित्त अधिकारी के माध्यम से कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. विभागाध्यक्ष
2. चिकित्सा अधीक्षक अथवा संकायाध्यक्ष (यथावश्यक)
3. वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (यथावश्यक)
4. वरिष्ठतम लेखाधिकारी (R)

प्रस्तावः कार्यालय आदेश सं0 1984/यूपीयूएमएस/कु0का0(2025—सीडी)/2025—26 दिनाँक 13 अगस्त 2025 के माध्यम से गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों से होने वाली बचत को विश्वविद्यालय एवं रोगी हित में किये जाने के सम्बन्ध में तैयार की गई गाइडलाइन्स/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः— कार्यालय आदेश सं0 1984/यूपीयूएमएस/कु0का0(2025—सीडी)/2025—26 दिनाँक 13 अगस्त 2025 के माध्यम से गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों से होने वाली बचत को विश्वविद्यालय एवं रोगी हित में किये जाने के सम्बन्ध में तैयार की गई गाइडलाइन्स/मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 13—33

विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशलिटी विभागों/रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत संकाय सदस्यों को पूर्व की भांति "Rural Super Speciality Teaching Allowance" अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थित है, शासन की मंशा के अनुरूप गरीब जनमानस को निःशुल्क अथवा कम शुल्क पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सुपरस्पेशलिटी विभाग भी सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 500 बेडेड सुपरस्पेशलिटी अस्पताल मा0 मुख्यमंत्री जी के कर—कमलों द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2024 को लोकार्पण उपरांत दिनांक 02.01.2025 से ओ0पी0डी0 प्रारम्भ की जा चुकी है, वर्तमान में कुल 10 सुपरस्पेशलिटी विभागों की ओ0पी0डी0 संचालित है। विश्वविद्यालय द्वारा इन सुपरस्पेशलिटी विभागों में संकाय सदस्यों के पदों को भरने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और विगत वर्षों में उक्त पदों पर संकाय सदस्य नियुक्त भी हुए हैं, किन्तु प्रायः यह देखा गया है कि नियुक्त किये गये चिकित्सा शिक्षक बेहतर पैकेज मिलने अथवा बड़े शहरों में नियुक्ति मिलने पर विश्वविद्यालय से पलायन कर जाते हैं।

रेडियोलॉजी विभाग में चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु समय—समय पर विज्ञापन जारी किये गये है किन्तु विगत कई वर्षों से कोई भी चिकित्सा शिक्षक रेडियोलॉजी विभाग में नियुक्त नहीं हो सके हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत् हैं:—

- विश्वविद्यालय मुख्यालय में स्थित नहीं है।
- मार्केट, स्कूल, सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
- बुनियादी ज़रूरतों के लिए सैफई से इटावा जाना पड़ता है।
- पूर्व में सुपर स्पेशलिटी विभागों के संकाय सदस्यों को अनुमन्य Rural Super Speciality Teaching Allowance के निरस्त होने के बाद से संकाय सदस्य पलायन कर गए हैं।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

- संकाय सदस्यों की कमी के कारण विश्वविद्यालय मरीजों को उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और परिणामस्वरूप स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी प्रभावित हो रहा है।
- कुछ विभाग बिना संकाय सदस्यों के चल रहे हैं।
- इन कारणों से संकाय सदस्यों को मौजूदा भत्तों के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

अतः नवीन नियुक्ति के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों एवं एम0डी0–रेडियोलॉजी डिग्रीधारक चिकित्सकों को आकर्षित करने एवं पूर्व से नियुक्त सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों को उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें अतिरिक्त वेतन/भत्ते, जैसा कि पूर्व में विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशयलिटी विभागों में कार्यरत संकाय सदस्यों और रेडियोलॉजी विभाग के चिकित्सा शिक्षकों को "Rural Super Speciality Teaching Allowance" अनुमन्य किया जा रहा था, पुनः अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

पृष्ठभूमिः अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 1420/71–2–16–एस–6/2016 दिनांक 24 जून, 2016 के द्वारा विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशयलिटी विभाग के फैकल्टी डी0एम0/एम0सी0एच0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने एवं रेडियोलॉजी विभाग हेतु चिकित्सा शिक्षकों को निर्धारित वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त प्रोफेसर को रू0 1,00,000/–, एसो0 प्रोफेसर को रू0 75,000/– तथा असि0 प्रोफेसर को रू0 50,000/– "Rural Super Speciality Teaching Allowance" निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किया गया थाः–

1. उक्त भत्ता उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 (दिनांक 05.06.2016 के पूर्व उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा) द्वारा निर्धारित चयन समिति की संस्तुति एवं कुलपति की सहमति के आधार पर प्रत्येक पद धारक हेतु कुलाधिपति/मुख्य मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त प्रथम 4 वर्ष हेतु अनुमन्य कराया जायेगा।
2. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (दिनांक 05.06.2016 के पूर्व उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन विभागों के चिकित्सा शिक्षकों को उक्त भत्ता संस्तुत किया जा रहा है, उन विभागों में एम0सी0आई0 द्वारा मानकों के अनुसार निर्धारित उपकरण/अन्य स्थापना उपलब्ध हैं।
3. डी0एम0/एम0सी0एच0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रथम बैच से प्रवेश के समय ही बान्ड भराने की कार्यवाही की जाय ताकि पासआउट होने के बाद वे कम से कम 02 वर्ष तक विश्वविद्यालय में रह कर सेवा कर सकें।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश सं0 639/71–4–2021–एस–06/ 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2021 के द्वारा "Rural Super Speciality Teaching Allowance" निरस्त कर दिया गया था।

निर्णयः अवगत कराना है कि नवीन नियुक्ति के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों एवं एम0डी0–रेडियोलॉजी

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	डिग्रीधारक चिकित्सकों को आकर्षित करने एवं पूर्व से नियुक्त सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों को उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें अतिरिक्त वेतन/भत्ते, जैसा कि पूर्व में विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशयलिटी विभागों में कार्यरत संकाय सदस्यों और रेडियोलॉजी विभाग के चिकित्सा शिक्षकों को "Rural Super Speciality Teaching Allowance" अनुमन्य किया जा रहा था, पुनः अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय मा0 कुलपति द्वारा लिया गया है। **भत्ता प्रदान करने की विधिः** "Rural Super Speciality Teaching Allowance" हेतु शासन से अनुमति मिलने के उपरांत विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशयलिटी विभागों एवं रेडियोलॉजी विभाग में संकाय सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयनित उम्मीदवारों को चयन समिति और मा0 कुलपति की संस्तुति के उपरांत मा0 कुलाधिपति महोदय/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त तथा इन विभागों में पूर्व से कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की योग्यता एवं कार्यक्षमता आदि का समुचित मूल्यांकन के उपरांत "Rural Super Speciality Teaching Allowance" अनुमन्य किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन वार्षिक किया जायेगा जिसमें निर्धारित पैरामीटर जैसे उनके द्वारा की गई सर्जरी, अध्यापन कार्य, रिसर्च पेपर आदि कितने किये गये, इसका मूल्यांकन मा0 कुलपति द्वारा किया जायेगा तथा जिन चिकित्सा शिक्षकों का मूल्यांकन एवं कार्यशैली संतोषजनक नहीं पायी जायेगी उनके "Rural Super Speciality Teaching Allowance" को अवरूद्ध करने की कार्यवाही की जायेगी, जिससे कि अतिरिक्त भत्ता पात्र चिकित्सा शिक्षकों को ही अनुमन्य हों, सुनिश्चित किया जा सके। **प्रस्तावः** नवीन नियुक्ति के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों एवं एम0डी0–रेडियोलॉजी डिग्रीधारक चिकित्सकों को आकर्षित करने एवं पूर्व से नियुक्त सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों को उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें अतिरिक्त वेतन/भत्ते, जैसा कि पूर्व में विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशयलिटी विभागों में कार्यरत संकाय सदस्यों और रेडियोलॉजी विभाग के चिकित्सा शिक्षकों को "Rural Super Speciality Teaching Allowance" (प्रोफेसर को रु0 1,00,000/–, एसो0 प्रोफेसर को रू0 75,000/– तथा असि0 प्रोफेसर को रु0 50,000/–) अनुमन्य किया जा रहा था, पुनः अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय में नवीन नियुक्ति के अन्तर्गत सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों एवं एम0डी0–रेडियोलॉजी डिग्रीधारक चिकित्सकों को आकर्षित करने एवं पूर्व से नियुक्त सुपरस्पेशलिटी डिग्रीधारक चिकित्सकों को उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहन के रूप में उन्हें अतिरिक्त वेतन/भत्ते, जैसा कि पूर्व में विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशयलिटी विभागों में कार्यरत संकाय सदस्यों और रेडियोलॉजी विभाग के चिकित्सा शिक्षकों को "Rural Super Speciality Teaching Allowance" (प्रोफेसर को रु0 1,00,000/–, एसो0 प्रोफेसर को रू0 75,000/– तथा असि0 प्रोफेसर को रु0 50,000/–) अनुमन्य किया जा रहा था, पुनः अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–34

Establishment of AI and Innovation Cell at the University.

Background & Rationale: The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Big Data Analytics, and Digital Health technologies is transforming healthcare, education, and research globally. Medical universities across India and abroad are increasingly adopting AI-driven innovations to enhance clinical decision-making, medical education, hospital management, and research output.

UPUMS, being a premier state medical university, must proactively establish a dedicated **AI and Innovation Cell** to integrate these technologies into academic, research, and healthcare delivery systems. This will not only strengthen the university's academic and research profile but also improve patient care and administrative efficiency.

Objectives of the AI and Innovation Cell:

1. **Academic Integration**
    - Develop AI-based modules and training programs for medical, paramedical, and nursing students.
    - Introduce certificate/diploma/credit-based courses in AI in healthcare.
2. **Clinical Application**
    - Support AI-driven solutions for diagnostics, imaging, pathology, telemedicine, and predictive analytics for patient care.
    - Collaborate with hospital departments to develop clinical decision-support systems.
3. **Research & Innovation**
    - Facilitate interdisciplinary research in AI applications for healthcare.
    - Establish collaborations with IITs, NITs, IIITs, and AI-focused startups.
    - Create a repository of medical data (with due ethical clearances) for AI model development.
4. **Innovation & Startups**
    - Nurture student and faculty-led healthcare startups through incubation support.
    - Partner with government agencies (ICMR, DBT, DST, MeitY) for funded projects.
5. **Administrative Efficiency**
    - Implement AI tools in hospital management (patient flow, billing, resource optimization).
    - Develop AI-enabled dashboards for decision-making in university administration.

Proposed Structure:

- **Chairperson:** Vice Chancellor, UPUMS
- **Faculty I/c and Co-Faculty I/c:** A senior faculty member with interest/expertise in AI/health informatics to be nominated as Faculty I/c and an additional faculty member with relevant interest to be nominated as Co-Faculty I/c.
- **Core Team:** Faculty representatives from Medicine, Surgery, Radiology, Pathology, Community Medicine, Computer Science/IT, and Hospital Administration
- **Collaborators:** External experts from reputed

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिं
कुलपति

institutes/industry partners

Initial Requirements:

2. **Infrastructure:**
   - Dedicated office space with high-speed internet and computing facilities.
   - AI lab with high-performance computing (HPC) resources, GPUs, and licensed AI software.
3. **Human Resources:**
   - Recruitment/engagement of data scientists, bioinformaticians, and software developers.
   - Training workshops for faculty and students.
4. **Budgetary Provision (initial phase):**
   - Estimated □50–100 lakhs (can be implemented in phases).
   - Explore funding from state government, national research agencies, CSR initiatives, and industry partnerships.

Justification:

- Will position UPUMS as a **leader in digital health and AI-driven research** in Uttar Pradesh and India.
- Enhance **student employability** by equipping them with modern digital health skills.
- Enable **cutting-edge clinical research** and attract extramural funding.
- Improve **quality and efficiency of patient care** in the university hospital.
- Aligns with Government of India's focus on **Digital India, National Digital Health Mission (NDHM), and AI in Healthcare initiatives**.

Proposal: The Executive Committee may kindly approve the establishment of an **AI and Innovation Cell** at UPUMS, Saifai, with in existing infrastructure, manpower, and budgetary allocation to start with no additional financial liability, and authorize the University administration to initiate collaborations with reputed national and international institutions and industries for the same.

कार्य परिषद का निर्णयः– **The Executive Council has approved the establishment of AI and Innovation Cell at the University with in existing infrastructure, manpower, and budgetary allocation with no additional financial liability. The Executive Council has also authorized the University administration to initiate collaborations with reputed national and international institutions and industries for the same.**

एजेण्डा बिन्दु 13–35

Proposal for Creation of the Officiating Dean (Research) and Officiating Associate Dean (Research) Positions within the University.

Preface: The purpose of this agenda is to propose the formal approval of the position of Officiating Dean (Research) for the University and five Officiating Associate Dean (Research) positions for each Faculty. This role is envisioned as a critical step in enhancing the University's research capabilities and establishing a more robust and effective research ecosystem. The Officiating Dean (Research) will be a senior faculty member of this University, who will be responsible for driving the University's research strategy, promoting innovation, and ensuring research excellence across all faculties. The Officiating Associate Deans will support this effort by focusing on research excellence within their respective faculties.

Background: Over the past, our University has made significant strides in academic and clinical excellence. However, our research output and funding, while growing, have not kept pace with our institutional aspirations. Currently, the responsibility for research is

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

fragmented, with various departments and individuals managing different aspects. This lack of a centralized, strategic leader has led to lack of a cohesive institutional research identity. A dedicated Officiating Dean of Research is essential to consolidate these efforts and provide the focused leadership required to elevate our research profile to the next level. The Officiating Associate Deans will ensure this leadership extends directly to each of our five faculties, creating a more integrated and effective system.

Objectives: The primary objectives for introducing the Officiating Dean (Research) and Officiating Associate Dean (Research) positions are:

- **To provide strategic leadership:** Develop and implement a comprehensive research strategy that aligns with the University's mission and vision.
- **To enhance research productivity:** Increase the volume and quality of research output, including publications, patents, and grant applications.
- **To secure funding:** Aggressively pursue external research grants and funding from national/international agencies.
- **To foster a research culture:** Create an environment that encourages and supports faculty members and students in their research endeavors.
- **To ensure compliance and ethics:** Establish and enforce robust policies and procedures for research integrity, ethics, and compliance with all regulatory requirements.

Justification: The Officiating Dean (Research) and Officiating Associate Dean (Research) positions, to be filled among the senior faculty members of the University, is justified by the clear need to consolidate, professionalize, and strategically manage the University's research activities. The selected individual has an in-depth understanding of the University's unique culture, challenges, and opportunities. This role will provide a single point of accountability and leadership, enabling the University to:

- **Improve ranking:** Boost the University's standing in national and global rankings, which increasingly prioritize research metrics.
- **Attract talent:** Recruit and retain top-tier faculty and researchers who seek an institution with a strong research focus and dedicated leadership.
- **Enhance reputation:** Strengthen the University's reputation as a leader in innovation and scientific inquiry, in line with the vision of the Uttar Pradesh government.

Selection Process: The Officiating Dean (Research) will be selected from among the HOD and Professor of the University and Officiating Associate Dean (Research) will be selected from among all Professor/Additional Professor of the University other than HOD. The selection will be based on the recommendations of Search-cum-Selection Committee which will be constituted by the Vice-Chancellor. The Search-cum-Selection Committee will be responsible for inviting applications, shortlisting candidates based on a review of their research track record, administrative experience, and vision for the University's research future, and finally conducting interviews. The committee's recommendations will be presented to the Vice Chancellor for final approval.

Proposal: For driving the University's research strategy, promoting innovation, and ensuring research excellence across all faculties of

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

372
प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
the University, it is proposed that the Executive Council approve the position of Officiating Dean (Research) for the University and five Officiating Associate Dean (Research) positions for each Faculty, to be filled as per selection process mentioned above. It is also proposed to approve that the Vice Chancellor will form a Search-cum-Selection Committee to identify the most suitable candidates to fill these positions.

<u>Expected Approval:</u> The Executive Council may like to approve the above proposal.
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> The Executive Committee has approved the position of Officiating Dean (Research) for the University and five Officiating Associate Dean (Research) positions for each Faculty, to be filled as per selection process mentioned above. The Executive Council has authorised the Vice Chancellor to form a Search-cum-Selection Committee to identify the most suitable candidates to fill these positions.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<u>एजेण्डा बिन्दु 13–36</u>

Proposal for approval of the Officiating Associate Dean position within each five faculties of the University.
</td>
<td>
<u>Preface:</u> This proposal is presented to the Executive Council to introduce five Officiating Associate Dean positions. These roles are proposed to work in close association with the existing five faculty Deans to enhance the university's academic, research, and administrative functions.

<u>Objective:</u> The objective is to provide dedicated support to the faculty Deans and ensure a cohesive, university-wide approach to governance.

<u>Requirement:</u> While the UPUMS Act provides for distinct Deans for each of the five faculties, the university's growth has created a need for additional, dedicated administrative support at the senior level, to be nominated as Officiating Associate Dean as under:
1. Officiating Associate Dean (Medicine)
2. Officiating Associate Dean (Dental Sciences)
3. Officiating Associate Dean (Paramedical Sciences)
4. Officiating Associate Dean (Nursing)
5. Officiating Associate Dean (Pharmacy)

<u>Justification:</u> The current structure, with a single Dean for each faculty, is becoming strained by the increasing demands of academic administration, curriculum development, research oversight, and examination management.

<u>Roles and Responsibilities</u>: The five Officiating Associate Deans will work in close coordination with their respective faculty Deans, assisting them in all academic and administrative matters. Their specific duties may include:
• Curriculum Development: Assisting in the design and revision of academic programs.
• Examination Management: Overseeing the internal conduct of examinations and evaluation processes.
• Research Administration: Supporting the faculty Dean in managing research projects and ethical clearances.
• Student and Faculty Affairs: Serving as a point of contact for academic grievances and faculty development programs.

<u>Selection Process:</u> To ensure these roles are filled by individuals who align with the university's strategic vision, the selection process will be by nomination. The Vice Chancellor will nominate these individuals from among the senior faculty members of the respective faculties. The nomination will be based on academic excellence, administrative experience, and proven leadership qualities among the Professor other than HOD and Additional Professor of the University.
</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	Proposal: For providing dedicated support to the faculty Deans and ensure a cohesive, university-wide approach to governance, it is proposed that the Executive Council approve the Officiating Associate Dean position within each five faculties of the University. **Expected Approval:** The Executive Council may like to approve the above proposal.
कार्य परिषद का निर्णयः– **The Executive Council has approved the Officiating Associate Dean position within each five faculties of the University, to be filled as per selection process mentioned above.**	
एजेण्डा बिन्दु 13–37 **श्री नरसिंह यादव, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) वर्तमान में सहायक अभियन्ता (विद्युत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने अथवा न किये जाने का निर्णय लिए जाने हेतु प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः** श्री नरसिंह यादव, बतौर कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) वर्तमान में सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा किये गये तथा कराये जा रहे कार्यो में की गयी अनियमितता एवं Hierarchy का पालन न किये जाने, दिनांक 12.06.2025 को वाट्सअप ग्रुप पर कार्यालय की पत्रावलियों की नोटशीट को प्रसारित करते हुए कार्यालय की गोपनीयता को भंग करने एवं अपने से उच्चाधिकारियों की टिप्पणी पर ग्रुप में कमेन्ट करने के सम्बन्ध में। **पृष्ठभूमिः** श्री नरसिंह यादव, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) वर्तमान में सहायक अभियन्ता (विद्युत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने अथवा न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। **कृत कार्यवाही / नियम / निष्कर्ष / निर्णयः** अवगत कराना है कि श्री नरसिंह यादव, बतौर कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) वर्तमान में सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा किये गये तथा कराये जा रहे कार्यो में की गयी अनियमितता एवं Hierarchy का पालन न किये जाने, दिनांक 12.06.2025 को वाट्सअप ग्रुप पर कार्यालय की पत्रावलियों की नोटशीट को प्रसारित करते हुए कार्यालय की गोपनीयता को भंग करने एवं अपने से उच्चाधिकारियों की टिप्पणी पर ग्रुप में कमेन्ट करने संबंधी प्रकरणों की जाँच हेतु कार्यालय आदेश सं0 979 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से जाँच समिति की गठन किया गया था। श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के उपरोक्त समस्त प्रकरणों का अध्ययन करने पर वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः – (1) जाँच संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने तक पत्र सं0 1475 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) को तत्काल प्रभाव से अनुबंध एवं निविदा संबंधी कार्यो से विरत् रखे जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया था। उक्त के कम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र सं0 181 दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को आदेश निर्गत किये गये। (2) पत्र सं0 1479 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) को निर्देश दिये गये थे कि वे अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक 24.06.2025 को संबंधित पत्रावलियों का अवलोकित कर ले। तदोपरान्त 03 दिवसों के अन्दर अपना पक्ष लिखित रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(3) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा किये गये अनुरोध के कम में पत्र सं0 1482 दिनांक 24.06.2025 के माध्यम से दिनांक 25.06.2025 को पत्रावलियों का अवलोकन करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। (4) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री उपदेश जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संबंधित पत्रावलियाँ उपलब्ध करायी गयी जिसमें से शिफ्टिंग सब स्टेशन के स्क्रैप से संबंधित पत्रावली अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण बिन्दु सं0 6 का जवाब साक्ष्यों सहित देने में दिक्कत हो रही है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पत्रावली वित्त विभाग में है। श्री उपदेश जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वित्त विभाग से उक्त पत्रावली को शीघ्र ही उपलब्ध कराने हेतु आश्वासन दिये गये है जो कि अभी अप्राप्त है। अतः दो दिवसों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाये। श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा किये गये अनुरोध के कम में उन्हें दो दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। (5) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.06.2025 के माध्यम से अनुरोध किया गया कि शिफ्टिंग सब स्टेशन के स्क्रैप से संबंधित पत्रावली तद्दिनांक तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। उक्त पत्रावली के संबंध में उनकी वार्ता दिनांक 27.06.2025 को वित्त एवं लेखा विभाग में कार्यरत श्री दिनेश जी से हुई थी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पत्रावली सम्प्रेक्षा दल (आडिटर) के पास है जो कि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी। दिनांक 28.06.2025 को पुनः हुई वार्ता के कम में अवगत कराया गया कि पत्रावली का पता किया जा रहा है। उक्त पत्रावली सोमवार तक उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 में सोलर वाटर हीटिंग से संबंधित मांगे गये साक्ष्य जैसे – कार्य आदेश की प्रतियाँ, भुगतान के बिल बाउचर्स एवं सर्विस रिपोर्ट आदि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से मांगा गया है जो कि उनके द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दिये जायेगें। अतः दिनांक 03.07.2025 तक की अवधि विस्तारित कर दी जाये। (6) श्री उपदेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.06.2025 जिसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा अग्रसारित किया गया है, के माध्यम से अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, जाँच समिति के पत्र दिनांक 1482 दिनांक 24.06.2025 के अनुपालन में जाँच संबंधी समस्त पत्रावलियाँ एवं पत्रावलियों में रक्षित अभिलेखों की प्रतियाँ श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) को उपलब्ध करा दी गयी है। (7) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से अनुरोध किया गया कि संबंधित पत्रावली एवं अभिलेख उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	कराये गये हैं। अतः उनके द्वारा आर0टी0आई0 के अन्तर्गत उक्त सूचनाओं का मांगा गया है जिस हेतु 15 दिनों का अतिरिक्त समय बढ़ाया जाये। (8) उक्त के क्रम में पत्र सं0 55 दिनांक 07.07.2025 के माध्यम से श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) को अवगत कराया गया कि आपको समस्त पत्रावलियाँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जा चुके है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 03.07.2025 पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः दिनांक समस्त साक्ष्यों सहित दिनांक 09.07.2025 को समिति के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। (9) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा पुनः दिनांक 08.07.2025 को पत्र प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया कि 15 दिवसों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाये। श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए उन्हें पत्र सं0 57 दिनांक 09.07.2025 के माध्यम से 12.07.2025 को समिति के समक्ष समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। (10) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.07.2025 के माध्यम से पुनः समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया गया। (11) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं0 60 दिनांक 12.07.2025 के माध्यम से दिनांक 15.07.2025 तक का समय प्रदान करते हुए दिनांक 16.07.2025 को समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये। (12) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) अपने पत्र दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से पुनः समयावधि विस्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु उनके अनुरोध को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। (13) दिनांक 16.07.2025 को श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए। समिति द्वारा श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु साक्ष्य एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु कहा गया किन्तु श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा जाँच समिति को सहयोग प्रदान न करते हुए अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गयी। **उक्त से स्पष्ट होता है कि श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) द्वारा समिति को साक्ष्य के रूप में अभिलेख उपलब्ध न कराते हुए बार–बार समयावधि को विस्तारित करने के संबंध में पत्र प्रेषित करते हुए समिति को गुमराह किया जा रहा है जिसके कारण जाँच संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब हुआ। साथ ही समिति द्वारा श्री नरसिंह यादव से पूछे गये प्रश्नों का उनके द्वारा घुमाफिराकर अपना जवाब दिया गया। उक्त से श्री नरसिंह यादव की उपरोक्त समस्त प्रकरणों संलिप्तता प्रतीत होती है।**

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं समस्त पत्रावलियों का अवलोकन करने के उपरान्त पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समिति निम्न निष्कर्षो के साथ अपनी आख्या प्रस्तुत कर रही है:–

क्र सं0	प्रकरण	निष्कर्ष
1	विश्वविद्यालय के चिकित्सालय भवनों में स्थापित सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के अनुरक्षण कार्यो में वर्ष 2022–23 में अनुरक्षण कार्य न कराये जाने के बावजूद भुगतान का प्रस्ताव करते हुए संस्तुति की गयी तथा कार्यदायी संस्था को भुगतान कराया गया है।	श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) उक्त प्रकरण में मांगे गये साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध कराने से समिति का इंकार कर दिया गया है। साथ ही पत्रावलियों में भी उक्त से संबंधित कोई भी साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं है। **अतः उक्त प्रकरण में श्री नरसिंह यादव की संलिप्तता प्रतीत होती है।**
2	पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय में बिना तकनीकी परीक्षण एवं मूल्यांकन किये (R22 Gas) 32 वाटर कूलर सिस्टम स्थापित कराते हुए आप द्वारा भुगतान की कार्यवाही की गयी और कार्यदायी संस्था को अधिक धनराशि का भुगतान कराया गया। कार्यदायी संस्था से अधिक भुगतान की गयी धनराशि को आप द्वारा स्वीकार भी किया गया है। उक्त प्रकरण में भी आप द्वारा Hierarchy का पालन न करते हुए अपने विभागाध्यक्ष से कार्मिक आचरण के विरूद्ध पत्राचार किया गया।	श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) उक्त प्रकरण में मांगे गये साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध कराने से समिति का इंकार कर दिया गया है। पत्रावलियों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि श्री नरसिंह यादव द्वारा पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय में बिना तकनीकी परीक्षण एवं मूल्यांकन किये (R22 Gas) 32 वाटर कूलर सिस्टम स्थापित कराते हुए भुगतान की कार्यवाही की गयी और कार्यदायी संस्था को अधिक धनराशि का भुगतान कराया गया। **अतः उक्त प्रकरण में श्री नरसिंह यादव की संलिप्तता प्रतीत होती है।**
3	विश्वविद्यालय के चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज के अति आवश्यक/ महत्वपूर्ण कार्यो के अन्तर्गत कार्य आदेश सं0 316 दिनांक 02.05.2022 धनराशि रू0 93.44 लाख के सापेक्ष अग्निशमन कार्यो को पूर्ण न कराना तथा वर्ष 2022 से तद्दिनांक तक मेडिकल कालेज की फायर अनापत्ति प्राप्त न करना तथा भवनों को असुरक्षित रखने का कृत्य घोर लापरवाही का द्योतक है।	श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) उक्त प्रकरण में मांगे गये साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध कराने से समिति का इंकार कर दिया गया है। पत्रावलियों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि श्री नरसिंह यादव द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज के अति आवश्यक/ महत्वपूर्ण कार्यो के अन्तर्गत कार्य आदेश सं0 316 दिनांक 02.05.2022 धनराशि रू0 93.44 लाख के सापेक्ष अग्निशमन कार्यो को पूर्ण नहीं कराया गया तथा वर्ष 2022 से तद्दिनांक तक मेडिकल कालेज की फायर अनापत्ति प्राप्त न करना तथा भवनों को असुरक्षित रखने का असुरक्षित रखने का घोर कृत्य किया गया है। **अतः श्री नरसिंह यादव उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से संलिप्त हैं।**
4	विश्वविद्यालय के अग्निशमन	श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		अनुरक्षण कार्यो के अन्तर्गत विभिन्न भवनों यथा 300 बेडेड नर्सेज हास्टल, मल्टीस्टोरी टाइप–2, टाइप–4, एस0आर0 रेजीडेन्ट, जे0आर0 हास्टल, न्यू कैम्पस, पी0जी हास्टल, मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय परिसर रैन बसेरा (टी0बी0 वार्ड भवन) इत्यादि के अनुरक्षण कार्यो को कार्यदायी संस्था से जारी अनुरक्षण वर्ष में नहीं कराये जबकि कार्यदायी संस्था को उक्त के भुगतान का प्रस्ताव करते हुए उनके भुगतान की संस्तुति की गयी।	(विद्युत) उक्त प्रकरण में मांगे गये साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध कराने से समिति को इंकार कर दिया गया है। पत्रावलियों का परीक्षण करने पर **श्री नरसिंह यादव की संलिप्तता प्रतीत होती है।**
	5	पूर्व वर्षो में भी मेडिकल कालेज परीक्षा हाल के ए0सी0 अनुरक्षण कार्यो में भी अनियमितता बरती गयी थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर कार्यदायी संस्था से लगभग रू0 18.00 लाख की कटौती अनुरक्षण मद से करते हुए प्रतिपूर्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी।	श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) उक्त प्रकरण में मांगे गये साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध कराने से समिति को इंकार कर दिया गया है। पत्रावलियों का परीक्षण करने पर **श्री नरसिंह यादव का उक्त कृत्य सिद्ध होता है।** प्रकरण संज्ञान में आने पर अनुरक्षण विभाग द्वारा उक्त धनराशि की कटौती कार्यदायी संस्था से करायी गयी।
	6	शिफ्टिंग परियोजना के अन्तर्गत भी शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यो को नहीं कराया गया। उक्त परियोजना के हस्तगन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये। आप द्वारा उक्त परियोजना से निकले Scrap यथा केबिल, पैनल विद्युत सम्बन्धी सामग्री इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध करायें।	श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) उक्त प्रकरण में मांगे गये साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध कराने से समिति को इंकार कर दिया गया है। श्री नरसिंह यादव परियोजना से निकले यथा केबिल, पैनल विद्युत सम्बन्धी सामग्री इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध कराने में विफल रहे है। **अतः उक्त प्रकरण में श्री नरसिंह यादव की संलिप्तता प्रतीत होती है।**
	7	दिनांक 12.06.2025 को वाट्सअप ग्रुप पर कार्यालय की पत्रावलियों की नोटशीट को प्रसारित करते हुए कार्यालय की गोपनीयता को भंग करने एवं अपने से उच्चाधिकारियों की टिप्पणी पर ग्रुप में कमेन्ट करना।	श्री नरसिंह यादव द्वारा दिनांक 12.06.2025 को वाट्सअप ग्रुप पर कार्यालय की पत्रावलियों की नोटशीट को प्रसारित करते हुए कार्यालय की गोपनीयता को भंग करने एवं अपने से उच्चाधिकारियों की टिप्पणी पर ग्रुप में कमेन्ट करने संबंधी कृत्य किया गया है। उक्त वाट्सग्रुप में विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी भी जुड़े हुए है जिसके दृष्टिगत उक्त कृत्य करके श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता द्वारा शासकीय कार्यो की गोपनीयता को भंग करने संबंधी घोर कृत्य किया गया है। श्री नरसिंह यादव का उक्त कृत्य उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का स्पष्ट उल्लंघन है। **अतः श्री**

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		नरसिंह यादव उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से दोषी हैं।
8	जाँच संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने तक अनुबन्ध एवं निविदा कार्यो से विरत् रहने के उपरान्त भी भुगतान की संस्तुति करना।	जाँच संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने तक अनुबन्ध एवं निविदा कार्यो से दिनांक 19.06.2025 को विरत् किये जाने के उपरान्त भी श्री नरसिंह यादव द्वारा दिनांक 27.06.2025 को भुगतान की संस्तुति की गयी जिससे यह **सिद्ध होता है कि श्री नरसिंह यादव द्वारा शासकीय नियमो को अनदेखा करते हुए कार्यो को किया जा रहा है।** श्री नरसिंह यादव का उक्त कृत्य उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का स्पष्ट उल्लंघन है।

श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के प्रकरण में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रकरण सं0 01,02,03,04 एवं 06 में संलिप्तता, प्रकरण सं0–05 एवं 08 में सिद्ध तथा प्रकरण सं0– 07 में दोषी उल्लेखित किया गया है।

सेवा विधि (Service Laws) के अध्याय–18 अनुशासनिक कार्यवाही के बिन्दु सं0 iii जांच करने का विनिश्चय में उल्लेख है कि:–

"सरकारी सेवक के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद या रिपोर्ट में अभिलिखित तथ्यात्मक विवरण एवं संदर्भित साक्ष्य सामग्री का अवलोकन करके अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच का विनिश्चय करना चाहिए। यदि इतनी सामग्री पर विनिश्चय न कर सके तो प्रारम्भिक जांच में एकत्रित तथ्यों एवं साक्ष्य सामग्री तथा जाँच रिपोर्ट पर विचारोपरान्त जाँच कराने का विनिश्चय कर सकते हैं।

जब अनुशासनिक प्राधिकारी किसी सेवक के विरूद्ध जाँच कराने का विनिश्चय करे तो स्वयं आरोप–पत्र तैयार कर सकता है अथवा जांच अधिकारी नियुक्त करके उन्हें आरोप–पत्र तैयार करने का निदेश दे सकता है।"

प्रस्ताव का आधारः समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्ष सं0–01,02,03,04 एवं 06 में श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) की संलिप्तता, निष्कर्ष सं0–05 एवं 08 में सिद्ध तथा निष्कर्ष सं0– 07 में दोषी पाये जाने का उल्लेख है। अतः प्रकरण में मा0 कुलपति महोदय से प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में श्री नरसिंह यादव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने अथवा न किये जाने का निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावः अतः उपर्युक्त से अवगत होते हुए मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें कि श्री नरसिंह यादव, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) वर्तमान में सहायक अभियन्ता (विद्युत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है अथवा नहीं।

यदि उक्त प्रकरण में जांच करने का निर्णय लिया जाता है तो प्रकरण की जांच किये जाने एवं आरोप पत्र जारी किये जाने हेतु निम्न में से किसी एक को जांच अधिकारी एवं प्रेजेंटिंग ऑफिसर

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>नामित किया जा सकता हैः–
जांच अधिकारीः
1. डॉ0 नित्यानंद श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग
अथवा
2. डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
अथवा
3. डॉ0 अनुज जैन, प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग
प्रेजेंटिंग ऑफिसरः
1. श्री मिथलेश कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी
अथवा
2. श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी
अथवा
3. श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के प्रकरण में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अन्तर्गत मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण की जांच करने का निर्णय लिया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 नित्यानंद श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री मिथलेश कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामित करने के निर्देश दिये गये।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 13–38</u>
विश्वविद्यालय से बिना किसी सूचना/अनुमति के श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 27.04.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति प्रदान करते हुए इनकी सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में।</td>
<td><u>प्रस्तावना</u>ः श्री विकास कुमार शर्मा विश्वविद्यालय से बिना किसी सूचना /अनुमति के दिनांक 27.04.2024 से अपनी ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत जॉच अधिकारी नामित किया गया, जॉच अधिकारी द्वारा श्री विकास कुमार शर्मा को मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत आरोप पत्र जारी किया गया है।
श्री विकास कुमार शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 12.06. 2017 को स्टाफ नर्स (वर्तमान पद नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर योगदान प्रस्तुत किया गया था। विश्वविद्यालय के कैडर पुनर्गठन के उपरान्त दिनांक 25.01.2024 से श्री विकास कुमार शर्मा को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।
<u>पृष्ठभूमि</u>ः श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 27.04.2024 से वर्तमान तिथि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र एवं जॉच अधिकारी नामित किये जाने के प्रकरण में मा0 कार्यपरिषद का कार्योत्तर अनुमोदन अपेक्षित है।
<u>कृत कार्यवाही</u>ः श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 27.04.2024 से लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें कई बार पत्र द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–
1. मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 40 दिनांक 17.05.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री विकास कुमार शर्मा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दिनांक 21.04.2024 से 26.04.2024 तक अवकाश लेकर घर गये थे व दिनांक 27.04.2024 से अनुपस्थित चल रहे हैं। श्री विकास कुमार शर्मा द्वारा फोन पर नहीं आने की सूचना बार–बार दी जा रही थी, लेकिन वह ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं।</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

2. उक्त के क्रम में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र सं0 552 दिनांक 06.06.2024 द्वारा श्री विकास कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इन्हें तत्काल विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. पुनः मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 58 दिनांक 08.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री विकास कुमार शर्मा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दिनांक 21.04.2024 से 26.04.2024 तक अवकाश लेकर घर गये थे व दिनांक 27.04.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं।
4. उक्त के क्रम में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित अनुस्मारक–1 पत्र सं0 969 दिनांक 12.07.2024 द्वारा श्री विकास कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि आप तत्काल विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करे, अन्यथा आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।
5. पुनः चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित अनुस्मारक–2 पत्र सं0 2036 दिनांक 10.09.2024 द्वारा श्री विकास कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि आप तत्काल विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करे, अन्यथा आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।
6. पुनः चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित अनुस्मारक–3 पत्र सं0 3396 दिनांक 07.12.2024 द्वारा श्री विकास कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इन्हें पुनः कड़ी चेतावनी देते हुए **अंतिम बार** निर्देशित किया गया कि आप तत्काल विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करे, अन्यथा आपके विरूद्व अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।
7. पुनः चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित अनुस्मारक–4 पत्र सं0 3965 दिनांक 21.01.2025 द्वारा श्री विकास कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इन्हें पुनः कड़ी चेतावनी देते हुए **अंतिम बार** निर्देशित किया गया कि आप तत्काल विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करे, अन्यथा आपके विरूद्व अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही प्रचलित करते हुए आपकी सेवायें समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी।
8. उक्त के क्रम में श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अनुपस्थिति सम्बन्धी प्रकरण में माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के क्रम में विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रारम्भिक जॉच समिति का गठन किया गया जो निम्नवत् है–
    1. मुख्य नर्सिंग अधिकारी,
    2. उप नर्सिंग अधीक्षक,
    3. प्रशासनिक अधिकारी,
9. समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि श्री विकास कुमार शर्मा द्वारा लगातार अनुपस्थित रहना, यह दर्शाता है कि

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

उन्हें अपने कार्य में रूचि नहीं है। अतः श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अनुपस्थित प्रकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

10. पत्रांक सं0–168 दिनांक 05.05.2025 द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में जॉच हेतु डा0 प्रवीण कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फॉमेसी संकाय को जॉच अधिकारी नामित किया गया।
11. जॉच अधिकारी द्वारा पत्रांक सं0–816 दिनांक 05 जून, 2025 द्वारा श्री विकास कुमार शर्मा को आरोप पत्र माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत जारी किया गया। जिसमें यह निर्देशित कियाा गया कि आरोप पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर आपका कोई उत्तर/लिखित कथन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा आपके विरूद्व एक पक्षीय जॉच की कार्यवाही करते हुए गुणदोष के आधार पर जॉच आख्या सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी जायेगी।
12. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान तिथि तक में जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित आरोप पत्र का कोई भी जबाव श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत/उपलब्ध नहीं किया गया है।

नियमः श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 27.04.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय से बिना किसी सूचना/अनुमति के श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 27.04.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें 15 दिनों का समय देते हुए इस आशय से अंतिम बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न उनकी लम्बी अनुपस्थित को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाये। उक्त कारण बताओ नोटिस को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दिया जाये। 15 दिवसों की अवधि में ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए इनकी सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि श्री विकास कुमार शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 27.04.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें 15 दिनों का समय देते हुए इस आशय से अंतिम बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न उनकी लम्बी अनुपस्थित को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाये और उक्त पत्र को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाये। उक्त कारण बताओ नोटिस को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दिया जाये। 15 दिवसों की अवधि में ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए इनकी सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<u>एजेण्डा बिन्दु 13–39</u>

विश्वविद्यालय से बिना किसी सूचना/अनुमति के श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शस्ति प्रदान करते हुए इनकी सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में।

<u>प्रस्तावना</u>: श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय से बिना किसी सूचना/अनुमति के दिनांक 05.05.2024 से अपनी ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत जॉच अधिकारी नामित किया गया, जॉच अधिकारी द्वारा श्री गोविन्द कुमार मिश्रा को मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत आरोप पत्र जारी किया गया है।

श्री गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 03.05.2017 को स्टाफ नर्स (वर्तमान पद नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर योगदान प्रस्तुत किया गया था। विश्वविद्यालय के कैडर पुनर्गठन के उपरान्त दिनांक 25.01.2024 से श्री गोविन्द कुमार मिश्रा को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

<u>पृष्ठभूमि</u>: श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से वर्तमान तिथि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा जॉच अधिकारी नामित करते हुए आरोप पत्र जारी किये जाने के प्रकरण में मा0 कार्यपरिषद का कार्योत्तर अनुमोदन अपेक्षित है।

<u>कृत कार्यवाही</u>: श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से लगातार बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें कई बार पत्र द्वारा कारण बताओ नोटिस एवं उससे सम्बन्धित कृत कार्यवाही किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 61 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दिनांक 01.05.2024 से 04.05.2024 तक अवकाश लेकर घर गये थे तथा वे दिनांक 05.05.2024 से अनुपस्थित चल रहे हैं, श्री गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा अवकाश को बढाने की सूचना दी जा रही है।
2. उक्त के क्रम में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र सं0 990 दिनांक 15.07.2024 द्वारा श्री गोविन्द कुमार मिश्रा को अवकाश उपरान्त ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने व अपने अवकाश को बढ़ाने की सूचना दिये जाने के कारण इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2024 में अपने अवकाश को बढ़ाते हुए दिनांक 04.06.2024 से 03.07.2024 तक कुल 30 दिनों का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

   पुनः इनके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2024 में अपने अवकाश को बढ़ाते हुए दिनांक 04.07.2024 से 02.08.2024 का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।
4. श्री राजेन्द्र कुमार अवस्थी, ए0एन0एस0 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.07.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा जो कि अर्जित अवकाश पर थे जिसके कम में इनके द्वारा 05.05.2024 से 02.08.2024 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत कराये जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।
5. उक्त के क्रम में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र सं0 990

(अनिन्द्य रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

दिनांक 15.07.2024 द्वारा श्री गोविन्द कुमार मिश्रा को अवकाश उपरान्त ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हुए अपने अवकाश को बढ़ाने की सूचना दिये जाने के कारण इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु उक्त पत्र डाक विभाग द्वारा लिफाफे पर **"पाने वाले का सही पता नहीं चला अतः पत्र को वापस"**अंकित करते हुए विश्वविद्यालय को वापस प्राप्त कराया गया।

6. श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2024 के साथ अवकाश आवेदन पत्र संलग्न करते हुए दिनांक 03.08.2024 से 02.09.2024 का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।
7. मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 104 दिनांक 04.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया गया है से अवगत कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
8. श्री राजेन्द्र कुमार अवस्थी, ए0एन0एस0 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा जो दिनांक 05.05.2025 से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में पुनः अवगत कराया गया।
9. उक्त के क्रम में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र सं0 3397 दिनांक 07.12.2024 द्वारा श्री गोविन्द कुमार मिश्रा को ड्यूटी से अनवरत अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में इन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए अन्तिम बार निर्देशित किया गया कि आप तत्काल विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थित का कारण स्पष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी। जबकि इनके द्वारा लगातार असाधारण अवकाश की मांग की जा रही है, एवं इनका अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया है।
10. मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 158 दिनांक 07.01.2025 द्वारा नर्सिंग कार्मिकों की अनुपस्थिति विषयक प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दिनांक 05.05.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं।
11. उक्त के क्रम में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र सं0 4022 दिनांक 24.01.2025 द्वारा श्री गोविन्द कुमार मिश्रा को अपनी ड्यूटी से अनवरत अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में इन्हें पुनः कड़ी चेतावनी देते हुए अन्तिम बार निर्देशित किया गया कि आप तत्काल विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थित का कारण स्पष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही प्रचलित करते हुए आपकी सेवायें सामाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित कर दी जायेगी।
12. श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2025 में इनके द्वारा अपनी बीमारी का उल्लेख करते हुए छः माह का असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया परन्तु पत्र के साथ बीमारी से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण इनके द्वारा पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	13. मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 185 दिनांक 14.02. 2025 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से अब तक अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं। 14. उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश सं0–1323 दिनांक 03.03.2025 द्वारा श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, दिनांक 05.05.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी प्रकरण में मा0 कुलपति महोदय के निर्देश के क्रम मेंविभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रारम्भिक जॉच समिति का गठन किया गया जो निम्नवत् है– 1. श्रीमती लवली जेम्स, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, 2. श्री इन्द्रपाल, उप नर्सिंग अधीक्षक, 3. श्री मिथलेश दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी, 15. जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा लगातार अनुपस्थित रहना यह दर्शाता है कि उन्हें अपने कार्य में रूचि नहीं है। अतः श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अनुपस्थिति प्रकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। 16. कार्यालय आदेश सं0–169 दिनांक 05.05.2025 द्वारा सम्बन्धित प्रकरण में जॉच हेतु डा0 प्रवीण कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फॉमेसी संकाय को जॉच अधिकारी नामित किया गया। 17. जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0–815 दिनांक 05 जून, 2025 द्वारा माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत श्री गोविन्द कुमार मिश्रा को आरोप पत्र जारी किया गया। जिसमें यह निर्देशित किया गया कि आरोप पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर आपका कोई उत्तर/लिखित कथन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा आपके विरूद्व एक पक्षीय जॉच की कार्यवाही करते हुए गुणदोष के आधार पर जॉच आख्या सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी जायेगी। 18. उक्त के क्रम में श्री गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा प्रेषित ई–मेल पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2025 के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया कि इनके द्वारा अपनी ड्यूटी विश्वविद्यालय में दिनांक 08 जुलाई 2025 को ज्वाइन कर ली गई है। 19. श्री गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया अथवा नहीं कि पुष्टि के सम्बन्ध में मुख्य नर्सिंग अधिकारी से आख्या प्राप्त किये जाने हेतु पत्र सं0 803 दिनांक 22. 07.2025 प्रेषित किया गया। 20. उक्त के कम में मुख्य नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 69 दिनांक 26.07.2025 के साथ संलग्न पत्र के अनुसार अवगत कराया गया है कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा विभाग में दिनांक 08.07.2025 को योगदान प्रस्तुत नहीं किया गया है। 21. जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के कम में श्री गोविन्द कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक रहित प्रेषित पत्र जो कार्यालय में दिनांक

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>11.08.2025 को प्राप्त हुआ है में अवगत कराया गया है कि मई 2024 से पारिवारिक समस्याओं व माता जी और स्वयं की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से असाधारण अवकाश पर हूँ।

इनके द्वारा उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि मेरे द्वारा लगातार मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय कार्यवाही की जायेगी, वह सभी आरोप निराधार है। मेरे द्वारा समय–समय पर अवकाश स्वीकृति से सम्बन्धित अनुरोध किया गया है तथा पारिवारिक समस्याओं के कारण असाधारण अवकाश को विस्तारित किये जाने का पुनः अनुरोध किया गया है।

नियमः श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनता करने तथा जॉच में सहयोग नहीं करने के कारण उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है।

प्रस्तावः विश्वविद्यालय से बिना किसी सूचना/अनुमति के श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें 15 दिनों का समय देते हुए इस आशय से अंतिम बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न उनकी लम्बी अनुपस्थित को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाये। उक्त कारण बताओ नोटिस को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दिया जाये। 15 दिवसों की अवधि में ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए इनकी सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि श्री गोविन्द कुमार मिश्रा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दिनांक 05.05.2024 से लगातार अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें 15 दिनों का समय देते हुए इस आशय से अंतिम बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न उनकी लम्बी अनुपस्थित को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाये और उक्त पत्र को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाये। उक्त कारण बताओ नोटिस को दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दिया जाये। 15 दिवसों की अवधि में ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीर्घ शास्ति प्रदान करते हुए इनकी सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 13–40</u>
डॉ0 अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को कोविड–19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु समय–समय पर स्वीकृत अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने एवं क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पालन न करने के कारण प्रकरण की जाँच</td>
<td><u>प्रस्तावनाः</u> विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 4088/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2024–25, दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से गठित जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या का संज्ञान लेने तथा उक्त जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या एवं आरोप पत्र के आधार पर प्रकरण की जॉच किये जाने हेतु जॉच अधिकारी नामित करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र सं0 5420/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2022–23, दिनांक 27.03.2023 पर कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

<u>पृष्ठभूमिः</u> विश्वविद्यालय के आरोप पत्र सं0 5420/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2022–23, दिनांक 27.03.2023 द्वारा निम्नवत् आरोप पाये गये हैः–</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

किये जाने हेतु जाँच अधिकारी नामित करने के संबंध में।	कोविड–19 के दौरान विभिन्न सामग्रियों/औषधियों के क्रय हेतु डॉ० अनिल कुमार ईरी, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग एवं तत्कालीन अपर चिकित्सा अधीक्षक को समय–समय पर अग्रिम स्वीकृत किया गया था। प्राप्त अग्रिम से सामग्रियों/औषधियों के क्रय में किये गये व्यय का समायोजन प्रस्तुत न करने एवं क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पालन न करने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप तय किये गये हैं:– (1) नियमों का उल्लंघन करना। (2) सत्यनिष्ठा से कर्तव्यों का पालन न करना। (3) वित्तीय अनियमितता। 1. डॉ० अनिल कुमार ईरी द्वारा प्राप्त कुल अग्रिम धनराशि रू० 19,57,000.00 में से धनराशि रू0 12,97,000.00 का समायोजन वित्त एवं लेखा विभाग में उपलब्ध कराया गया, जबकि धनराशि रू0 6,60,000/– का समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अग्रिम धनराशि रू0 6,60,000/– का समायोजन प्रस्तुत करने हेतु डॉ0 अनिल कुमार ईरी को वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा पत्र सं० 236 दिनांक 14.10.2020, पत्र सं0 267 दिनांक 06.11.2020, पत्र सं० 346 दिनांक 12.01.2021, पत्र सं0 435 दिनांक 10.03.2021, पत्र सं० 84 दिनांक 08.06.2021. पत्र सं0 258 दिनांक 07.10.2021, पत्र सं० 403 दिनांक 04.01.2022, पत्र सं० 503 दिनांक 09.03.2022 एवं पत्र सं० 138 दिनांक 02.07.2022 जारी किये गये, किन्तु इनके द्वारा प्राप्त अग्रिम धनराशि रू0 6,60,000/– के सापेक्ष समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमतः एक वित्तीय वर्ष में प्रदान किये गये अग्रिम के सापेक्ष किये गये व्यय का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए, परन्तु अनेक पत्र जारी किये जाने के पश्चात भी डॉ0 अनिल कुमार ईरी द्वारा समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया। 2. राजनिर्वाण बटी के क्रय हेतु डॉ0 अनिल कुमार ईरी को चेक सं० 139888 दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से धनराशि 1,00,000/– व चेक सं० 141677 दिनांक 11.11.2020 के माध्यम से धनराशि 4,47,000/– एवं चेक सं0 146921 दिनाक 29.12.2020 के माध्यम से धनराशि 1,50.000/– (कुल धनराशि 6,97,000/–) का अग्रिम स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत अग्रिम के सापेक्ष डॉ0 अनिल कुमार ईरी द्वारा रू० 6,97,000.00 का समायोजन प्रस्तुत किया गया। उक्त समायोजन/बिलों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि राजनिर्वाण बटी के क्रय हेतु फर्म को कोई आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि प्रस्तुत किये गये बिल धनराशि रू0 1,00,000/– की सीमा से अधिक हैं तथा संबंधित बिल में सम्मिलित जी०एस०टी० 12 प्रतिशत की दर से चार्ज की गयी है, अतएव डॉ0 अनिल कुमार ईरी द्वारा भुगतान के समय स्रोत पर जी०एस०टी० की कटौती किये बिना, फर्म को सकल धनराशि रू० 6,97,000/– का भुगतान किया गया। फर्म को किस माध्यम से धनराशि रू0 6,97,000/– का भुगतान किया गया है, उक्त के संबंध में डॉ0 अनिल कुमार ईरी द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। 3. राजनिर्वाण बटी के क्रय से संबंधित फर्म के दो बिल दिनांक 09.11.2020 तथा 12.01.2021 पर सी०एम०एस०डी० विभाग

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

द्वारा स्टाक अंकन नहीं किया गया है। संबंधित पत्रावली पर सी०एम०एस०डी० विभाग द्वारा औषधि की मात्रा, मूल्य, वैच नं०, मैन्युफैक्चरिंग तथा एक्सपायरी तिथि इत्यादि के संबंध में डॉ0 अनिल कुमार ईरी से आख्या मांगी गई, जो अभी तक अप्राप्त है। क्रय की गई सामग्री से संबंधित इंस्पेक्टीओं रिपोर्ट भी संबंधित पत्रावली में रक्षित नहीं है।

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश 4088/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2024–25, दिनांक 05.03.2025 द्वारा पाँच सदस्यीय जॉच समिति गठित की गई थी, जिसके क्रम में जॉच समिति ने निम्नवत् निष्कर्ष पर पहुंचती है कि डॉ0 अनिल कुमार ईरी को वित्तीय नियमों का पालन न करने के आरोपों से तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता है कि जब तकः–

1. इस बात की पुष्टि वित्त अधिकारी न कर दें कि डॉ0 अनिल कुमार ईरी द्वारा किये गए नगद भुगतान एवं उनके द्वारा दिये गये अन्य वित्तीय समायोजन वित्तीय नियमों के अन्तर्गत है एवं उनमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है।
2. भुगतान की गई नकद धनराशि संबंधित व्यक्ति/फर्म को वास्तविक रूप में प्राप्त हो चुकी है, इस बात की पुष्टि वित्त अधिकारी द्वारा जब तक न कर दी जाये।
3. डॉ0 अनिल कुमार ईरी द्वारा किये गए समस्त नकद भुगतान हेतु बैंक से आहरित की गई नकद धनराशि का साक्ष्य उपलब्ध करा दिया जाता है।
4. प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष जी0एस0टी0 भुगतान की पुष्टि वित्त एवं लेखा विभाग से नहीं हो जाती।
5. फर्म द्वारा भी यह पुष्टि नहीं कर दी जाती कि उसे पूर्ण एवं वास्तविक भुगतान प्राप्त हो चुका है।

नियमः उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश 4088/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2024–25, दिनांक 05. 03.2025 के माध्यम से गठित जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या का संज्ञान लेने तथा उक्त जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या एवं आरोप पत्र के आधार पर प्रकरण की जॉच किये जाने हेतु जॉच अधिकारी नामित करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र सं0 5420/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2022–23, दिनांक 27. 03.2023 पर आगामी मा0 कार्यपरिषद की बैठक में कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

प्रस्ताव का आधारः विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश 4088/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2024–25, दिनांक 05. 03.2025 के माध्यम से गठित जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या का संज्ञान लेने तथा उक्त जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या एवं आरोप पत्र के आधार पर प्रकरण की जॉच किये जाने हेतु जॉच अधिकारी नामित करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र सं0 5420/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2022–23, दिनांक 27. 03.2023 पर कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मा0 कार्य परिषद से निर्णय लेने का प्रस्ताव है।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	प्रस्तावः विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश 4088/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2024–25, दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से गठित जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या का संज्ञान लेने तथा उक्त जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या एवं आरोप पत्र के आधार पर प्रकरण की जॉच किये जाने हेतु जॉच अधिकारी नामित करने तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र सं0 5420/यूपीयूएमएस/एएमएस कोविड (08)/2022–23, दिनांक 27.03.2023 पर कार्येत्तर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। उक्त प्रकरण की जांच किये जाने हेतु निम्न में से किसी एक को जांच अधिकारी एवं प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामित किया जा सकता हैः– **जांच अधिकारीः** 1. डॉ0 ऊषा शुक्ला, विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग अथवा 2. डॉ0 पुष्पेंद्र सिंह, विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग अथवा 3. डॉ0 आलोक दीक्षित, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी **प्रेजेंटिंग ऑफिसरः** 1. श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी अथवा 2. श्री अनिल कुमार पाल, प्रशासनिक अधिकारी अथवा 3. श्री संदीप कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित जॉच समिति द्वारा प्रेषित जॉच आख्या का संज्ञान लिया गया तथा जॉच आख्या एवं आरोप पत्र के आधार पर प्रकरण की जॉच किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण की जाँच हेतु डॉ0 ऊषा शुक्ला, विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नामित किये जाने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिन्दु 13–41 **एम0बी0बी0एस0 छात्र संकेत उछाना, बैच–2013, अनुक्रमांक 1927001 की परीक्षा केन्द्र छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के स्थान पर उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा किया जाये अथवा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से नामांकन संख्या को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा स्थानान्तरित किया जाने के सम्बन्ध में।**	एम0बी0बी0एस0 छात्र संकेत उछाना, बैच–2013, अनुक्रमांक 1927001 के प्रार्थनापत्र दिनांक 09.09.2025, (इस कार्यालय में दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त) के माध्यम से छात्र ने अनुरोध किया है कि उनका परीक्षा केन्द्र छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर के स्थान पर उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा किया जाये अथवा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर से नामांकन संख्या को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा स्थानान्तरित किया जाए। **प्रस्तावनाः–** एम0बी0बी0एस0 छात्र संकेत उछाना, बैच–2013, अनुक्रमांक 1927001 अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 09.09.2025 के माध्यम से अनुरोध किया है कि उनका परीक्षा केन्द्र छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर के स्थान पर उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा किया जाये अथवा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर से नामांकन संख्या को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा स्थानान्तरित किया जाए। वर्तमान में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित निम्नलिखित 08 छात्रों हेतु अलग–अलग वर्ष की

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

परीक्षाएं सम्पन्न करायी जानी हैं–

SL	Cata.	NAME	F_NAME	M/F	Roll No.
MBBS First Professional Exam					
1	**Supple**	SANKET UCHHANA	NARENDRA UCHHANA	**M**	1927001
MBBS 2nd Professional Exam					
1	Supple	VIVEK DEEP	TEJ PAL SINGH	M	5081391
2	Supple	NARENDRA RAWAT	INDAL KUMAR RAWAT	M	4071390
3	**Supple**	GEETAM SINGH	SURESH CHANDRA	**M**	0082252
4	**Supple**	VIKASH VERMA	RAM NATH VERMA	**M**	3082338
5	Supple	AJAY KUMAR MALHOTRA	RAMPYARE LAL	M	4082347
MBBS Final Prof. Part-1 Exam (for those who will pass in 2nd Professional Exam)					
MBBS Final Prof. Part-2 Exam					
1	Main	AJAY BHARTI	RADHESHYAM BHARTI	**M**	0082251
2	Supple	YOGESH KUMAR	ASHOK KUMAR	M	5083342

<u>पृष्ठभूमि</u> उक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि संस्थान के विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के पश्चात् चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 214/71–2–17 दिनांक 14 फरवरी, 2017 द्वारा वर्ष 2015–16 तक के समस्त पाठ्यक्रम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर से तथा वर्ष 2016–17 से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई होने के निर्देश दिये गये थे। वर्ष 2015–16 तक प्रवेशित छात्रों का नामांकन एवं पाठ्यक्रम की सम्बद्धता छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर से होने के कारण उनकी परीक्षाएं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर द्वारा सम्पन्न करायी जा रही है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर द्वारा उक्त हेतु जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर एवं स्वयं विश्वविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है। जिसके कारण छात्रों को परीक्षा में भाग लेने हेतु कानपुर जाना पड़ता है, जिससे छात्रों को बहुत ही कठिनाई होती है।

<u>कृत कार्यवाही</u>:– प्रश्नगत प्रकरण के विषय में पूर्व में भी छात्रों द्वारा अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र संख्या 2269/ई0/यूपीयूएमएस/परीक्षा वि0 (621)/2022–23, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 एवं कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर, उ0प्र0 को पत्र संख्या 5029/ई0/यूपीयूमएस/परीक्षा वि0 (621–सी0डी0) /2023–24, दिनांक 28 फरवरी, 2024 प्रेषित किया गया, परन्तु अब तक कोई भी सफलता नहीं मिल सकी है।

<u>प्रस्ताव</u>:–एम0बी0बी0एस0 छात्र संकेत उछाना के अनुरोध के क्रम में छात्रहित में निम्नानुसार कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान करना चाहें, जिससे अन्य समस्त छात्रों की कठिनाईयों का भी निराकरण हो सके–

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है कि शासन के पत्र संख्या 214/71–2–17 दिनांक 14 फरवरी, 2017 के क्रम में छात्रहित में यह निर्देश जारी किये जा सकते हैं कि वर्ष 2015 तक के शेष छात्रों के नामांकन छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा को स्थानान्तरित

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	किये जाये, जिससे छात्रों की अवशेष परीक्षाएं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा सम्पन्न कराई जा सके तथा उन्हें विश्वविद्यालय की डिग्री निर्गत की जा सके। • कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर, उ0प्र0 से अनुरोध किया जा सकता है कि उक्त छात्रों का परीक्षा केन्द्र जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कॉलेज, कानपुर के स्थान पर उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा को निर्धारित किया जाये। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि सभी अन्य छात्रों हेतु भी उक्त प्रक्रिया का पालन किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु 13–42

विश्वविद्यालय में जे0आर0 (नॉन पी0जी0)/ट्यूटर/डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पर कार्यरत जूनियर रेजीडेन्टों को एन0एम0सी0 मानक के अनुसार विभागवार तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ कार्यालय द्वारा अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0–2019 बैच के अभ्यर्थियों को जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0)/ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पर आवंटित किये गये कुल 70 में से कुल 69 जूनियर रेजीडेन्टो (नॉन पी0जी0) द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है जिनको एन0एम0सी0 के मानक (एम0एस0आर0 2023) के अनुसार निम्नलिखित विभागों में ट्यूटर/डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में पदस्थ किया जाना हैः–

S. No.	Department	For 200 MBBS Seats (As per NMC)
1	Anatomy	6
2	Physiology	5
3	Biochemistry	4
4	Pharmacology	6
5	Pathology	6
6	Microbiology	5
7	Forensic Medicine & Toxicology	4
8	Community Medicine	4
	Total	**40**

पृष्ठभूमिः एम0बी0बी0एस0–2018 बैच के अभ्यर्थी जिनको महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ कार्यालय द्वारा जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) पद पर आवंटित किया गया था, जिनको कार्यालय आदेश संख्या 1661/UPUMS/Estt-3/1956-CD/2025-26 दिनांक 26.07.2025 के द्वारा एन0एम0सी0 मानक के अनुसार एम0एस0आर0 2023 के अनुसार विभाग में रिक्त ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर के पद के सापेक्ष सम्बद्ध किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में एम0बी0बी0एस0–2019 बैच के अभ्यर्थियों को भी एन0एम0सी0 मानक के अनुसार ट्यूटर/डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पर विभागों में सम्बद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकरण में उच्च स्तर पर तीन बिन्दुओं पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी थी जिस पर उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है कि प्रकरण को मा0 कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये :–

1. Deficient विभागों में excess विभागों से जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर पद हेतु शिफ्ट किया जा सकता है।
2. उक्त के अतिरिक्त excess विभाग से जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को अन्य विभागों में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर पद पर

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

buffer maintain करने हेतु भी सम्बद्ध किया जा सकता है क्योंकि जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) अधिकतर अनुपस्थित हो जाते हैं। (वर्तमान में 23 जूनियर रेजीडेन्ट विभागों से अनुपस्थित चल रहे हैं।)

3. अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाते समय सम्बद्ध जूनियर रेजीडेन्ट्स को उनके अनुभव प्रमाण पत्र में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर पद का भी उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

नियम/ कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः

एन0एम0सी0 के मानक (एम0एस0आर0 2023) के अनुसार विभागों में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में पदस्थ किया जाने की आवश्यकता है जिससे की एन0एम0सी0 के मानक (एम0एस0आर0 2023) की पूर्ति हो सकें।

प्रस्तावः

1. कार्यालय आदेश 1661/UPUMS/Estt-3/1956-CD/2025-26 दिनांक 26.07.2025 के द्वारा सम्बद्ध किये गए रेजीडेन्ट्स को यथावत रखते हुए जिन विभागों में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर की Deficiency है, वहाँ पर अन्य जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को सम्बद्ध कर दिया जाये।
2. उक्त के अतिरिक्त विभागों में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर पद पर buffer maintain करने हेतु भी आवश्यकता से 03–03 तीन जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को सम्बद्ध किया जाएगा क्योंकि जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) अधिकतर अनुपस्थित हो जाते हैं।
3. भविष्य में सम्बद्ध किये गए जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) का बाण्ड पूर्ण होने पर रिक्त सीटों पर अन्य जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को सम्बद्ध किया जाएगा।
4. अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाते समय बाण्डेड रेजीडेन्ट्स को क्लिनिकल विभाग में जूनियर रेजीडेन्ट के पद के साथ सम्बद्ध विभाग में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर के पद का भी अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये (i.e., working department + attached department as per NMC).

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उपरोक्त बिन्दुओं 01 से 04 पर मा0 कार्यपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. **कार्यालय आदेश 1661/UPUMS/Estt-3/1956-CD/2025-26 दिनांक 26.07.2025 के द्वारा सम्बद्ध किये गए रेजीडेन्ट्स को यथावत रखते हुए जिन विभागों में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर की Deficiency है, वहाँ पर अन्य जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को सम्बद्ध कर दिया जाये।**
2. **विभागों में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर पद पर buffer maintain करने हेतु आवश्यकतानुसार 03–03 तीन जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को सम्बद्ध किया जाये।**
3. **भविष्य में सम्बद्ध किये गए जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) का बाण्ड पूर्ण होने पर रिक्त सीटों पर अन्य जूनियर रेजीडेन्ट (नॉन पी0जी0) को सम्बद्ध किया जाये।**
4. **अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाते समय बाण्डेड रेजीडेन्ट्स को क्लिनिकल विभाग में जूनियर रेजीडेन्ट के पद के साथ सम्बद्ध विभाग में ट्यूटर/ डिमॉन्स्ट्रेटर के पद का भी अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये (i.e., working department + attached department as per NMC).**

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 13–43 **कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–38, 11–39 व 11–40 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री रंजीत कुमार, श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (पूर्ववर्ती पदनाम–लैब टेक्नीशियन) से प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रकरण में लिये गये निर्णय एवं कृत कार्यवाही पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः–** डा0 अभय सिंह (तत्कालीन निलम्बित), असि0 प्रोफेसर, ब्लड बैंक की जाँच हेतु नामित जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2023 को प्रस्तुत जाँच आख्या जाँच–1 की फाइंडिंग्स में श्री रंजीत कुमार, श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (पूर्ववर्ती पदनाम–लैब टेक्नीशियन) को दोषी पाया गया एवं जाँच–2 की फाइंडिंग्स में ब्लड बैंक में रिकार्ड से सम्बन्धित अनेक अनियमिततायें पायी गयीं। उक्त जाँच आख्या को स्वीकार करते हुए मा0 कुलपति महोदय द्वारा जाँच समिति–1 एवं जाँच समिति–2 की जाँच आख्या पर अपना पक्ष रखने के लिये श्री रंजीत कुमार, श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन को अवसर दिये जाने तथा दोषी से प्राप्त उत्तर एवं जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर प्रस्तावित कार्यवाही कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था। **पृष्ठभूमिः–** कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिन्दु 11–38, 11–39 व 11–40 "जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा डा0 अभय सिंह (तत्कालीन निलम्बित), असि0 प्रोफेसर, ब्लड बैंक की जाँचोपरान्त दोषी पाये गये श्री रंजीत कुमार, श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन से प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रस्तावित कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में" के अन्तर्गत प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था। उक्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः– **"मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री रंजीत कुमार, श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन पर लगाये गये आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी की जाँच आख्या पर उनसे 15 दिवसों में अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए मा0 कुलपति द्वारा विश्लेषण करते हुए आरोप सिद्ध होने अथवा न होने के संबंध में अपनी आख्या दी जाये। प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"** **कृत कार्यवाही/नियम/निष्कर्ष/निर्णयः–** मा0 कार्य परिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुपालन में पत्र दिनांक 28.10.2023 द्वारा श्री रंजीत कुमार, श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन को जाँच आख्या की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए 15 दिवसों में उक्त जाँच आख्या के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन साक्ष्य सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में श्री रंजीत कुमार, श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन द्वारा क्रमशः पत्र दिनांक रहित, दिनांक 14.11.2023 व दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्मिकों द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में प्रकरण को कार्य परिषद की बारहवीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कतिपय कमियां होने के कारण मा0 कुलपति महोदय द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	निर्देश प्राप्त हुए थे।
	तत्क्रम में श्री रंजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा विभागीय जाँच को पूर्ण कराते हुए अंतिम व उचित निर्णय लिये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 08.02.2025 पर प्राप्त विधिक परामर्श पर सम्यक् विचारोपरान्त् जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2023 को प्रस्तुत जाँच आख्या जाँच–1 की फाइंडिंग्स में दोषी पाये जाने एवं जाँच–2 की फाइंडिंग्स में ब्लड बैंक में रिकार्ड से सम्बन्धित अनेक अनियमिततायें पाये जाने के क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुमोदन दिनांक 07.03.2025 को श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को लघुदण्ड के रूप में परिनिंदा दिये जाने का अनुमादन प्रदान किया गया। दिनांक 02.04.2025 को तत्कालीन कुलपति महोदय एवं चिकित्सा अधीक्षक के मध्य हुई वार्ता के फलस्वरूप चिकित्सा अधीक्षक के प्रस्ताव दिनांक 25.04.2025 पर तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 28.04.2025 को प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को का0आ0सं0 634 व 635 दिनांक 14.05.2025 द्वारा चेतावनी पत्र निर्गत किया गया है तथा श्री रंजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को का0आ0सं0 584 दिनांक 09.05.2025 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 नियम–3 में विहित प्राविधान के अन्तर्गत लघु शास्ति के अन्तर्गत "परिनिन्दा" (Censure) का दण्ड अधिरोपित किया गया।
	प्रस्तावः कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में एजेण्डा बिन्दु 11–38, 11–39 व 11–40 में लिये गये निर्णय के क्रम में जाँच अधिकारी डा0 मणि कृष्णा, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, पैथोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2023 को प्रस्तुत जाँच आख्या जाँच–1 की फाइंडिंग्स में दोषी पाये जाने एवं जाँच–2 की फाइंडिंग्स में ब्लड बैंक में रिकार्ड से सम्बन्धित अनेक अनियमिततायें पाये जाने के क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुमोदन दिनांक 07.03.2025 को श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को लघुदण्ड के रूप में परिनिंदा दिये जाने का अनुमादन प्रदान किया गया। दिनांक 02.04.2025 को तत्कालीन कुलपति महोदय एवं चिकित्सा अधीक्षक के मध्य हुई वार्ता के फलस्वरूप चिकित्सा अधीक्षक के प्रस्ताव दिनांक 25.04.2025 पर तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 28.04.2025 को प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को का0आ0सं0 634 व 635 दिनांक 14.05.2025 द्वारा चेतावनी पत्र निर्गत करने तथा श्री रंजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को का0आ0सं0 584 दिनांक 09.05.2025 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 नियम–3 में विहित प्राविधान के अन्तर्गत लघु शास्ति के अन्तर्गत "परिनिन्दा" (Censure) का दण्ड अधिरोपित किया गया है।
	चूंकि श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को चेतावनी निर्गत की गई है जो उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 नियम–3 में

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	विहित प्राविधान के अन्तर्गत लघु/दीर्घ शास्ति नहीं है। अतः उक्त दोनों कार्मिकों को "परिनिन्दा" (Censure) का दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रकरण में श्रीमती भावना गौतम तथा श्री अजीत कुमार, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को भी उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 नियम–3 में विहित प्राविधान के अन्तर्गत "परिनिन्दा" (Censure) का दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।

<u>एजेण्डा बिन्दु 13–44</u> **आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) (पूर्ववर्ती पदनाम–ई0सी0जी0 टेक्नीशियन) को "कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण किये जाने का दोषी पाये जाने" के क्रम में प्रस्तावित कार्यवाही पर लघु/दीर्घ दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** पैरामेडिकल संकाय के डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन बैच 2021 की छात्राओं द्वारा मो0 कलीम फारूकी, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन, डिपार्टमेन्ट ऑफ मेडिसिन के विरूद्ध की गयी शिकायत के क्रम में अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा द्वारा अपनी जाँच आख्या मा0 कुलपति महोदय को पत्र दिनांक 14.12.2023 द्वारा प्रेषित की गयी। **<u>पृष्ठभूमिः</u>** अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा प्रेषित जाँच आख्या का निष्कर्ष निम्नवत् हैः– 1. "डा0 मनीष कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना कक्षा में प्रवेश करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, यद्यपि डा0 मनीष कुमार सेक्सुअल हरेस्मेन्ट की श्रेणी में आने वाले अपराध के दोषी नहीं है। 2. डा0 रश्मि लायल द्वारा छात्रों को शिकायत वापस लेने पर प्रथम दृष्टतया दोषी पाया जाता है। चूंकि उनके द्वारा प्रस्तुत गवाह ने भी उनका समर्थन नहीं किया, यद्यपि लैंगिक शोषण के सम्बन्ध में उनका हस्तक्षेप नहीं है किन्तु शिकायत वापस लेने हेतु धमकी देने के लिए दोषी हैं। 3. समिति द्वारा छात्राओं से शिकायत करने का कारण पूछा तो उनके द्वारा भय के कारण शिकायत दर्ज नहीं करायी। जब कई छात्राओं के साथ उक्त घटना घटित हुई तब सामूहिक रूप से शिकायत करने का हौसला आया। मो0 कलीम फारूकी द्वारा किया गया कृत्य कार्य स्थल पर लैंगिक शोषण अधिनियम की धारा 02(n) में वर्णित परिधि के अन्तर्गत आता है। यद्यपि कुछ छात्राओं की शिकायत अधिनियम में वर्णित समय सीमा 03 माह के पूर्व की है जबकि छात्रा भावना माहेश्वरी तथा ज्योति यादव की शिकायत निर्धारित समयावधि में आती है। मो0 कलीम फारूकी द्वारा बिना किसी लिखित अनुमति के पैरामेडिकल संकाय की कक्षा में प्रवेश करके बच्चों को डाँटना, बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अनाधिकृत रूप से डायरी में अटेन्डेन्स (उपस्थिति) दर्ज करना भी असम्यक असर (undue influence) से प्रभावी पद पर तैनात होने के कारण प्रभावित करना है। इस उपरोक्त वर्णित विस्तृत तथ्यों, कथनों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मो0 कलीम फारूकी का कृत्य कार्य स्थल पर लैंगिक शोषण की श्रेणी में आता है। **अतः मो0 कलीम फारूकी, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन को**

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण किये जाने के दोषी है।" उक्त के क्रम में प्रस्तुत जाँच आख्या में उल्लिखित आरोपों पर अपना पक्ष रखने हेतु मो0 कलीम फारूकी को उक्त जाँच आख्या की प्रति दिनांक 06.01.2024 को प्रेषित की गयी। मो0 कलीम फारूकी द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2024 द्वारा उक्त जाँच आख्या व निष्कर्ष से पूर्णतः असहमत होते हुए अपने ऊपर लगे सारे आरोप निराधार, तथ्यहीन, साक्ष्यहीन व दुर्भावना से ग्रसित तथा मिथ्या आरोप होने का उल्लेख करते हुए उक्त जाँच आख्या के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा जाँच समिति के निष्कर्ष को न मानते हुए प्रकरण की पुनः किसी अन्य समिति या मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0 स्तर से विस्तृत जाँच कराये जाने का अनुरोध किया गया। मो0 कलीम फारूकी द्वारा की गयी समस्त आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत जाँच समिति को पत्र दिनांक 24.01.2024 प्रेषित किया गया। आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा पत्र दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से मो0 कलीम फारूकी, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन की आपत्तियों का बिन्दुवार आख्या/मन्तव्य प्रेषित किया गया, जिसमें समिति द्वारा मो0 कलीम फारूकी, ई0सी0जी0 टेक्नीशियन द्वारा की गयी समस्त आपत्तियों को असत्य, खण्डनीय व निराधार पाया गया। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अध्यक्ष, आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा पत्र दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से अपनी जाँच आख्या मा0 कुलपति महोदय को प्रेषित की गयी। उससे पूर्व दिनांक 13.02.2024 को मो0 कलीम फारूकी की पदोन्नति की जा चुकी थी। **<u>कृत कार्यवाही</u>:** आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) (पूर्ववर्ती पदनाम–ई0सी0जी0 टेक्नीशियन) को दोषी पाये जाने तथा उनके द्वारा की गयी समस्त आपत्तियों को समिति द्वारा असत्य, खण्डनीय व निराधार पाये जाने के क्रम में प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु कार्य परिषद की बारहवीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कतिपय कमियां होने के कारण मा0 कुलपति महोदय द्वारा आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। **नियमः** उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किये जाने का प्राविधान हैः– <u>लघु शास्तियाँ</u>– 1. परिनिन्दा 2. किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकना 3. दक्षतारोध को रोकना 4. आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अँशतः वेतन से वसूल किया जाना 5. समूह 'घ' के पदों को धारण करने वाले कर्मचारियों के मामले में जुर्माना, परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस माह के वेतन के 25 प्रतिशत से, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, से अधिक नहीं होगी।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	दीर्घ शास्तियाँ— 1. संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि को रोकना 2. किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान में निम्न प्रक्रम पर अवनति करना 3. सेवा से हटाना, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो 4. सेवा से पदच्युति, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो। **प्रस्ताव का आधारः–** आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या में मो0 कलीम फारूकी को "कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण किये जाने का दोषी पाये जाने" पर उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु प्रेषित जाँच आख्या के क्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के क्रम में समिति द्वारा मो0 कलीम फारूकी की समस्त आपत्तियों को असत्य, खण्डनीय व निराधार पाया गया है। अतः आंतरिक शिकायत जाँच समिति की संस्तुति के क्रम में मो0 कलीम फारूकी को लघु/दीर्घ दण्ड दिये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण को मा0 कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। **प्रस्तावः** उपरोक्तानुसार आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) (पूर्ववर्ती पदनाम–ई0सी0जी0 टेक्नीशियन) को "कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण किये जाने का दोषी पाये जाने" की संस्तुति के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा उन्हें लघु/दीर्घ दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु प्रकरण को मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– आंतरिक शिकायत जाँच समिति द्वारा मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) (पूर्ववर्ती पदनाम–ई0सी0जी0 टेक्नीशियन) को कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण किये जाने का दोषी पाये जाने के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 के अन्तर्गत संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि (वर्ष–2026) को रोकने की दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिन्दु 13–45 **मा0 कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–45 में लिये गये निर्णय के क्रम में कृत कार्यवाही/स्थिति से मा0 कार्य परिषद् को अवलोकित कराये जाने तथा शासन स्तर से इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय न होने के कारण अधिवर्षता के संबंध में विद्यमान शासकीय नियमों के आलोक में डॉ0 कमला पाठक, प्रोफेसर (फार्मेसी संकाय) को सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में प्रकरण में निर्णय लिये जाने के संबंध में।**	**पृष्ठभूमिः** मा0 कार्य परिषद् की पंचम बैठक दिनांक 13.04.2018 के एजेण्डा बिन्दु–13 पर विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज के नियमित/स्थायी संकाय सदस्यों हेतु सेवानिवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष किये जाने हेतु कार्य परिषद का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखा गया था। कार्य परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण में शासन को प्रस्ताव भेजकर शासन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। कार्य परिषद् के निर्णय के कम में शासन को कई पत्र प्रेषित किये गये। शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुये। मा0 कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–45 में विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में कार्यरत कमला पाठक, प्रोफेसर की दिनांक 31.07.2023 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त 65 वर्ष की आयु के संबंध में शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उन्हें अग्रिम आदेशों तक विश्वविद्यालय में बनाये रखने के संबंध में कृत कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद् को अवगत कराये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	मा0 कार्य परिषद् का निर्णय–**"मा0 कार्य परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि डा0 कमला पाठक, प्रोफेसर, फार्मेसी संकाय को प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज के फार्मेसी संकाय के संकाय सदस्यों की भॉति 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सेवा में बनाये रखा जाये जब तक कि शासन द्वारा कोई अन्यथा निर्देश न दिये जायें।"** मा0 कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–45 पर लिये गये निर्णय एवं तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0–2810 दिनांकित–01.11.2025 द्वारा डॉ0 कमला पाठक, प्रोफेसर (फार्मेसी संकाय) को 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सेवा में बनाये रखने का आदेश निर्गत किया गया, जब तक कि शासन द्वारा कोई अन्य निर्देश न दिये जायें। **प्रस्ताव का आधारः–** मा0 कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–45 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय की व्यवस्था की भॉति पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय सदस्यों की अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किये जाने का शासनादेश निर्गत किये जाने व मॉगी गयी आख्या के कम में पत्रांक–1785/E दिनांक–31.07.2023, 4274/E दिनांक–27.12.2023, 4558/E दिनांक–18.01.2024, 5396/E दिनांक–18.03.2024, 253/E दिनांक–30.04.2024, 2972/E दिनांक–09.11.2024, 3585/E दिनांक–21.12.2024 एवं पत्रांक–1475/E दिनांक–26.07.2025 शासन को प्रेषित किये गये। शासन स्तर से अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किये जाने के संबंध में कोई दिशा–निर्देश/शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। शासन द्वारा प्रेषित पत्रांक I/828626/2024-71-4099/1044/2022 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 19.12.2024 के क्रम में शासन को प्रेषित पत्रांक 3585 दिनांक 21, दिसम्बर, 2024 द्वारा निम्नवत आख्या प्रेषित की गयीः– उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम 2015 की धारा 25(1) में यह व्यवस्था के क्रम में विश्वविद्यालय में पॉच संकाय अर्थात् चिकित्सा और दन्त, पैरामेडिकल संकाय विज्ञान, नर्सिंग और फार्मेसी संकाय संचालित हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा 48 में उल्लिखित है कि "विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कमचारिवृंद) की सेवा शर्ते, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कमचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होंगी।" उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल विज्ञान कॉलेज एवं वर्ष 2015 में फार्मेसी कॉलेज संचालित हुआ। नर्सिंग, पैरामेडिकल विज्ञान, एवं फार्मेसी संकाय सदस्यों हेतु सेवानिवृत्ति अधिवर्षता आयु निर्धारित नहीं है। • एस0जी0पी0आई0एम0एस0, लखनऊ द्वारा जारी कार्यालय

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	आदेश सं0 PGI/ER/ACAD/458/2024 Dated 08-02-2024 एवं PGI/ER/ACAD/940/2024 Dated 20-03-2024 के क्रम में AIIMS, New Delhi में लागू व्यवस्था के अनुरूप नर्सिंग कॉलेज के टीचिंग स्टाफ की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष लागू किया गया है। • के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा जारी पत्रांक 14383 / मीटिंग सेल दिनांक 26.03.2022 द्वारा कार्य परिषद् की नियमित बैठक दिनांक 28.01.2022 के एजेण्डा आईटम संख्या 16 के बिन्दु संख्या 03 पर किये गये विनिश्चय के अनुपालन में गठित समिति की बैठक दिनांक 21.02.2022 के क्रम में कार्य–परिषद् के समक्ष नर्सिंग संकाय हेतु प्रेषित प्रस्ताव एजेण्डा बिन्दु–04 के Amendment with addition in statue – 11.01: (2) – A Nursing Faculty shall retire on attaining the age of superannuation. This shall mean that unless otherwise any specified order is given to engage the teacher, he shall retire at the age of Sixty-five years. पर मा0 कार्य परिषद् द्वारा सहमति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में Endorsement No. 14529/Meeting Cell Dt. 28-03-2022 कार्यवाही हेतु जारी किया गया। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्रांक–I / 1011707 / 2025 / 71–4099 / 1044 / 2022 दिनांकित–02-07-2025 द्वारा उ0 प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग कालेज एवं फार्मेसी कॉलेज के नियमित / स्थायी संकाय सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष किये जाने के प्रकरण की एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से समानता के संबंध में आख्या माँगी गयी, जिसके क्रम में पत्रांक–1475 दिनांकित– 26-07-2025 द्वारा निम्नवत आख्या प्रेषित की गयी:– विश्वविद्यालय में नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फार्मेसी संकाय संचालित है जबकि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में केवल नर्सिंग कॉलेज संचालित है, वहाँ फार्मेसी एवं पैरामेडिकल विज्ञान संकाय संचालित नहीं हैं, इसलिए इस स्तर पर समानता नहीं है। **प्रस्तावः–** मा0 कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–45 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में निर्गत कार्यालय आदेश सं0–2810 दिनांकित–01.11.2025 द्वारा डॉ0 कमला पाठक, प्रोफेसर (फार्मेसी संकाय) को 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सेवा में बनाये रखने का आदेश निर्गत किया गया, जब तक कि शासन द्वारा कोई अन्य निर्देश न दिये जायें। विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय की व्यवस्था की भॉति पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय सदस्यों की अधिवर्षता / सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किये जाने का शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार शासन को प्रेषित किये गये पत्रों के सापेक्ष वर्तमान में शासन स्तर से अधिवर्षता / सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किये जाने के संबंध में कोई दिशा–निर्देश / शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शासन स्तर से इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय न होने के कारण अधिवर्षता के संबंध में विद्यमान शासकीय नियमों के आलोक

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	में डॉ0 कमला पाठक, प्रोफेसर (फार्मेसी संकाय) को सेवानिवृत्त किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद निर्णय लेना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– चूंकि उक्त एजेण्डा डॉ0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय) से संबंधित था अतः एजेण्डा प्रस्तुत होने पर डॉ0 कमला पाठक बैठक में सम्मिलित नहीं किया गया। तदोपरान्त उक्त एजेण्डा पर शेष सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया गया कि कार्य परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 के एजेण्डा बिन्दु 11–45 में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय की व्यवस्था की भॉति पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय सदस्यों की अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किये जाने का शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार शासन को प्रेषित किये गये अनेक पत्रों के सापेक्ष वर्तमान तक शासन स्तर से अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किये जाने के संबंध में कोई दिशा–निर्देश/शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः शासन स्तर से इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय न होने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अधिवर्षता के संबंध में विद्यमान शासकीय नियमों के आलोक में डॉ0 कमला पाठक, प्रोफेसर (फार्मेसी संकाय) को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कर दिया जाये। मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि सम्पूर्ण प्रकरण के संबंध में शासन को पुनः अवगत करा दिया जाये, यदि शासन द्वारा डॉ0 कमला पाठक को सेवा में बनाये रखने संबंधी कोई निर्देश/आदेश प्राप्त होता है तो शासन के आदेशानुसार इनके Re-employment पर तद्नुसार विचार किया जा सकता है।

एजेण्डा बिन्दु 13–46 **ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग (ब्लड बैंक) से कुल 11 उपकरणों की गायब (Missing) होने के संबंध में डॉ0 अभय सिंह, असि0 प्रोफेसर, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग (ब्लड बैंक) को जारी आरोप पत्र, जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित जॉच आख्या तथा डॉ0 अभय सिंह द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के क्रम में प्रकरण में डॉ0 अभय सिंह के विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः**– विश्वविद्यालय के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) विभाग में डॉ0 अभय सिंह द्वारा नियुक्ति पत्र 530/E/UPUMS/2016-17 दिनांक 22.07.2016 के क्रम में दिनांक 18.08.2016 को असि0 प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) विभाग में कार्यरत डॉ0 आदित्य शिवहरे, असि0 प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग से कुल 11 उपकरणों की गायब (Missing) होने की सूचना पत्रावली सं0 19/बीबी/यूपीयूएमएस/2023 के माध्यम से तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय को दिनांक 20.10.2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसके सम्बन्ध में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या प्रेषित की गई है। उक्त जॉच आख्या के सम्बन्ध में डॉ0 अभय सिंह ने अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। समस्त प्रकरण को आगामी कार्य परिषद की बैठक में रखे जाने पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। **पृष्ठभूमिः**– डॉ0 अभय सिंह, असि0 प्रोफेसर, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) विभाग को उक्त उपकरणों के सम्बन्ध में तत्कालीन कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के पत्र सं0 5240/118 सीडी/वीसीओ/ यूपीयूएमएस/2023–24, दिनांक 20.02.2024 के माध्यम से गायब (Missing) उपकरणों के सम्बन्ध में 07 दिवसों के अन्दर वॉछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में डॉ0 अभय सिंह ने अपना प्रतिउत्तर दिनांक 07.03.2024 को तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय को प्रेषित किया गया। जिस पर डॉ0 अभय सिंह से तत्कालीन कुलपति महोदन ने अपने पत्र सं0 48, दिनांक 04.04.2024 द्वारा 11 उपकरणों के रखरखाव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण 03 दिवसों में उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसका प्रतिउत्तर डॉ0 अभय सिंह ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2024 द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत सन्दर्भित प्रकरण की जॉच किये जाने हेतु डॉ0 प्रशान्त कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को जॉच अधिकारी नामित करते हुए डॉ0 अभय सिंह को विश्वविद्यालय

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

के पत्रांक 1303, दिनांक 24.07.2024 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। निर्गत आरोप पत्र के सन्दर्भ में डॉ0 अभय सिंह ने दिनांक 12.09.2024 को जॉच अधिकारी को अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। जॉच अधिकारी ने प्रकरण की जॉच कर अपनी रिपोर्ट कुलसचिव महोदय को दिनांक 12.11.2024 को प्रेषित किया गया। उक्त रिपोर्ट को विश्वविद्यालय के पत्र सं0 867, दिनांक 05.06.2025 के साथ संलग्नकर पत्र प्राप्ति के 03 दिवसों के अन्दर आख्या उपलब्ध कराने हेतु डॉ0 अभय सिंह को प्रेषित किया गया था।

डॉ0 अभय सिंह ने अपने पत्र दिनांक 24.06.2025 के माध्यम से आख्या उपलब्ध कराया है। जिसके सम्बन्ध में डॉ0 अभय सिंह को प्रेषित आरोप पत्र एवं जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जॉच आख्या तथा डॉ0 अभय सिंह द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर का विवरण निम्नवत् है:—

क्रम सं0	आरोप / प्रश्न	जांच अधिकारी द्वारा दी गई आख्या	प्रार्थी (डॉ0 अभय सिंह, असि0 प्रोफेसर) का उत्तर
आरोप सं0 1a	आपके द्वारा ट्रांसफ्यूजन मेडिसीन (ब्लड) विभाग के 8 उपकरण बिना किसी प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के विश्वविद्यालय के बाहर मेसर्स लैब केयर इन्स्ट्रूमेंट्स, लालबाग लखनऊ को रेपयर हेतु भेजे गए,	यह आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होता है	उल्लेखनीय है की प्रार्थी के विभाग में नियुक्त होने से पहले से ही उक्त उपकरण डॉ0 श्वेता चौधरी (मेडिकल ऑफिसर ब्लड बैंक) की देखरेख में रहते थे किन्तु प्रार्थी ने वर्ष 2016 में विभाग में प्रभारी पद का कार्यभार ग्रहण के पश्चात् यह पाया की ब्लड बैंक में स्थापित ज्यादा तर उपकरण खराब थी व ठीक से काम नही कर रही थीं एवं उन खराब पड़े उपकरणों का इस्तेमाल कर रक्त अव्यय बनाया जा रहा था जिसकी गुडवत्ता खराब थी, इस विषय प्रार्थी ने जब डॉ श्वेता चौधरी से विभाग में स्थापित उपकरणों की सर्विस रिकार्ड उपलब्ध करने को कहा तो डॉ0 श्वेता चौधरी ने सर्विस रिकार्ड विभाग मे ना होने की बात कही।
1b	किन्तु विकेता फर्म से संपर्क नहीं किया गया।	यह आरोप प्रथम दृष्टया **अर्धसत्य** प्रतीत होता है	प्रार्थी द्वारा अपने कार्यकाल में कई बार ब्लड बैंक के खराब उपकरणों को मरम्मत करवाले हेतु लिखित अनुरोध JDMM एवं NHM (National Health Mission) आफिस में किया गया था परंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। विक्रेता फर्म से उद्धरण (quotation) प्राप्त कर JDMM कार्यालय मे प्रेषित भी किया गया लेकिन किसी प्रकार का कोई भी रेपयर कार्य नहीं करवाया गया। मरीजों के हित को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थी ने उस समय के तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक को सूचित करते हुए उक्त उपकरणों को रेपयर करवाने का प्रयास किया। प्रार्थी को किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त नहीं करवाया गया जिससे प्रार्थी अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित कर सके। **महोदय आपसे निवेदन है की उक्त उपकरणों की सर्विस रिकार्ड प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करें जिससे प्रार्थी अपना उत्तर स्पष्टता से प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु प्राथी जे जन सूचना का अधिकार के माध्यम से पत्र भी प्रेषित किया है किन्तु छ माह बीतने के बाद भी अभी तक प्रार्थी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया जा रहा है।** • जन सूचना अधिकार के माध्यम से

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

				प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि। (संलग्नक 1) • JDMM कार्यालय में प्रेषित उपकरणों की रेपयर हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। (संलग्नक 2) • विक्रेता फर्म से संपर्क कर प्रार्थी द्वारा प्राप्त कोटेशन प्रस्तुत है। (संलग्नक 3) • चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रार्थना पत्र एवं प्राप्त अनुमोदन को प्रतिलिपि प्रस्तुत है। (संलग्नक 4) प्रार्थी द्वारा चिकित्सा अधीक्षक से पत्र अग्रसारित करवाने के बाद ही प्रार्थी द्वारा उपकरणों को रेपयर करवाया गया उसके बाद भी प्रार्थी पर आरोप लगाना की प्रार्थी द्वारा बिना सूचना दिए उपकरणों को रेपयर करवाया गया गलत हे एवं स्वीकार नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रार्थी पर किसी साजिश हेतु जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उचित माध्यम से विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए उपकरणों की रिपेयरिंग का फैसला लिया गया उसके बावजूद भी प्रार्थी पर जबरन गलत आरोप लगाया जा रहा है, अतः उक्त आरोप मान्य नहीं है एवं स्वीकार करने योग्य नहीं है। माननीय जांच अधिकारी ने भी उक्त आरोप को असत्य पाया है।
	आरोप सं0 02	ट्रांसफ्यूजन (ब्लड) उपकरण मेडिसीन विभाग के रेपयर हेतु मेसर्स लैब केयर इन्स्ट्रमेंट्स, लालबाग लखनऊ को रेपयर हेतु भेजने से पूर्व आपके द्वारा न तो उपकरणों को रेपयर करने पर आने वाले वित्तीय व्यय भार का आगणन प्राप्त किया गया, न उपकरणों को रेपयर हेतु किसी भी स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन लिया गया। आपका उक्त कृत्य विश्वविद्यालय मे प्रचलित व्यवस्था के विरूद्ध था	यह आरोप प्रथम दृष्टता सत्य प्रतीत होता है।	उल्लेखनीय है की प्रार्थी के ब्लड बैंक में नियुक्त होने से पहले से ही उक्त उपकरण खराब व बंद पड़ी थी डॉ श्वेता चौधरी जो की 10 साल से ब्लड बैंक में तैनात थी, द्वारा लापरवाही की गई एवं उपकरणों की देखरेख सही तरीके नहीं की गई। विक्रेता फर्म से संपर्क करने के बाद एवं जेडीएमएम कार्यालय को सूचित करने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही थी, तो संस्थान और मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी द्वारा अन्य फर्म से संपर्क कर स्वयं के व्यय पर उपकरणों का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के पश्चात उक्त फर्म द्वारा उपकरणों के कई सालों से बंद रहने और पुराने होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध ना होने के उपकरणों का रेपयर होना असंभव बताया गया। क्योंकि उक्त उपकरणों का रेपयर होना संभव नहीं था जिस कारण फर्म द्वारा रेपयर करने मे आने वाले वित्तीय व्यय का किसी भी प्रकार का विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया, तदोपरान्त प्रार्थी द्वारा वित्तीय अनुमोदन भी नहीं लिया गया। • JDMM कार्यालय में प्रेषित उपकरणों की रेपयर हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विक्रेता फर्म से संपर्क कर प्रार्थी द्वारा प्राप्त कोटेशन प्रस्तुत है। महोदय आपसे निवेदन है कि JDMM कार्यालय के लापरवाही को अनदेखा करते हुए प्रार्थी को जबरन दोषी बनाया जा रहा है, एवं प्रार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्यों को नजर अंदाज किया जा रहा है, अतः उक्त आरोप भी स्वीकार नहीं है।
	आरोप सं 03	आपके द्वारा ट्रांसफ्यूजन मेडिसीन (ब्लड) विभाग के 8	यह आरोप प्रथम दृष्टता सत्य प्रतीत होता है।	उल्लेखनीय है की जब अथक प्रयासों के बाद भी जेडीएमएम कार्यालय द्वारा सालों से बंद व खराब पड़े उपकरणों के लिए

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		उपकरण मेसर्स लैब केयर इन्स्ट्रूमेंटस, लालबाग लखनऊ को रेपयर हेतु भेजने के लिए कोई गेट पास वां प्रशासनिक अनुमति पत्र नहीं बनवाया गया।		कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तदोपरान्त प्रार्थी द्वारा मरीजों व संस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सूचना देते हुए खराब पड़े उपकरणों को स्वयं बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उक्त उपकरण आकार में बड़े हैं जिसे छुपा कर विभाग से बाहर नहीं ले जाया सकता एवं 12 फरवरी 2021 को उपकरणों को रेपयर हेतु फर्म को दिए जाते समय समस्त स्टाफ व डॉ श्वेता चौधरी विभाग में मौजूद थे एवं उक्त कृत्य सभी की जानकारी में था। चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि को गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी व गार्ड को जमा करवा व रजिस्टर मे प्रविष्टि कर फर्म को उपकरण रेपयर हेतु ले जाने दिया गया, सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी भी अन्य तरह का पास नहीं मांगा गया । प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अग्रसारित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि ही उपकरणों को रेपयर कराने के लिए सक्षम था । **महोदय आपसे निवेदन है की 12 फरवरी 2021 को तैनात गार्ड व गार्ड रूम मे रजिस्टर मे दर्ज गतिविधि उल्लेख उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे गेट पास की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सके।** • चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सूचनार्थ प्रार्थना पत्र एवं प्राप्त अनुमोदन की प्रतिलिपि प्रस्तुत है। (अनुलग्नक 3) प्रार्थी द्वारा चिकित्सा अधीक्षक से पत्र अग्रसारित करवाने के बाद ही प्रार्थी द्वारा उपकरणों को रेपयर करवाया गया उसके बाद भी प्रार्थी पर आरोप लगाना की प्रार्थी द्वारा बिना सूचना दिए उपकरणों को रेपयर करवाया गया गलत है एवं स्वीकार नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रार्थी पर किसी साजिश हेतु जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है जो की गलत है। प्रार्थी द्वारा गेट पर एंट्री करवाने के पश्चात् ही उक्त उपकरणों को रीपेयर करवाने के लिए भेजा गया, गेट पे तैनात सुरक्षा कर्मी द्वारा एंट्री करवाले के बाद ही उपकरणों को ले जाने की अनुमति दी गई। प्रार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है एवं प्रार्थी को जबरन दोषी बताया जा रहा है।
	आरोप सं0 04	ट्रांसफ्यूजन मेडिसीन (ब्लड) विभाग के 08 उपकरण मेसर्स लैब केयर इन्स्ट्रूमेंटस, लालबाग लखनऊ को रेपयर हेतु भेजने के पश्चात् आपके द्वारा उक्त उपकरणों को रेपयरिंग के पश्चात् प्राप्त करने हेतु अपने निलंबन से पूर्व एवं निलंबन अवधि में जब आप विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष कार्यालय में ही संबंध थे कोई	अतः प्रथम दृष्टता यह आरोप पूर्ण रूप से सत्स नहीं कहा जा सकता है।	उल्लेखनीय है की प्रार्थी को वर्ष 2021 में निलंबित कर दिया गया था और वर्ष 2023 (दो साल) तक निलंबित रखा गया, निलंबन के दौरान प्रार्थी ब्लड बैंक से संबंधित भी नहीं था एवं ब्लड बैंक में कभी गया भी नहीं था, इस दौरान डॉ श्वेता चौधरी ने प्रार्थी से कभी भी किसी भी संदर्भ में संपर्क नहीं साधा गया और न ही कोई उपकरण के बारे मे जानकारी मांगी गई। क्योंकि खराब उपकरणों के रिपेयर की जानकारी विभाग मे डॉ श्वेता चौधरी की संज्ञान मे था एवं फर्म द्वारा डॉ श्वेता चौधरी से संपर्क भी किया गया किन्तु किन्ही अज्ञात कारणों से डॉ श्वेता चौधरी ने फर्म से संपर्क नहीं किया ताकि प्रार्थी

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		कार्यवाही नहीं की गई।		को आरोपित बनाया जा सके। प्रार्थी के दो साल के अवधि तक विभाग से संबंधित न रहने का फायदा उठाते हुए डॉ श्वेता चौधरी ने प्रार्थी को फसाने की कोशिश की। क्योंकि प्रार्थी ने डॉ श्वेता चौधरी को अपना काम ठीक से नहीं करने पर सवाल उठाए थे जिस कारण डॉ श्वेता चौधरी द्वारा उच्च अधिकारियों से संबंध (चिकित्सा अधिक्षक की पत्नी) का फायदा उठाते हुए प्रार्थी को फसाय जा रहा है। दो साल से विभाग के संपर्क मे नहीं होने एवं डॉ श्वेता चौधरी द्वारा प्रार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना न देने के कारण प्रार्थी उक्त उपकरणों के विभाग से अनुपस्थिति के बारे में अनभिज्ञ था। वर्ष 2023 के सितंबर माह मे माननीय कुलपति महोदय द्वारा आयोजित बैठक मे प्रार्थी को प्रथम बार जब उपकरणों की उनुपास्थिति के बारे मे ज्ञात हुआ, तब अगले तीन महीनों मे प्रार्थी द्वारा उपकरणों की जानकारी जुटा कर दिसंबर माह 2023 मे उपकरणों को संस्थान मे वापसी हेतु प्रक्रिया को पूरा किया गया। विभाग द्वारा प्रार्थी को कुछ अहम जानकारियों से वंचित रखा गया व कुलपति कार्यालय मे विभाग द्वारा शिकायत करा कर प्रार्थी को जानबूझ कर आरोपी बनाया जा रहा है। **महोदय आपसे निवेदन है की वर्ष 2021 में जब विभाग को उपकरणों के बारे में ज्ञात हुआ तो ब्लड बैंक विभाग द्वारा प्रार्थी से उक्त उपकरणों के बारे में मांगी गई सूचना व जानकारी का अभिलेख उपलब्ध करवाने की कृपा करें जिससे यह स्पष्ट हो सके की प्रार्थी को विभाग द्वारा उपकरणों की अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया गया था अथवा नहीं।** दो साल तक प्रार्थी से उक्त उपकरणों के बारे नहीं कभी भी कुछ नहीं पूछा गया और जबरन आरोप लगाया जा रहा है। अतः यह आरोप भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। जांच अधिकारी महोदय ने भी उक्त आरोप को निराधार एवं असत्य बताया है।
	आरोप सं0 05	ट्रांसफ्यूजन मेडिसीन (ब्लड) विभाग के उपकरणों के संबंध मे । विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात आपके संज्ञान में आया की उक्त उपकरण आपके द्वारा रेपयर हेतु मेसर्स लैब केयर इन्स्ट्मेंट्स लालबाग लखनऊ को भेजे थे एवं तत्पश्चात आपके द्वारा उक्त उपकरणों को वापस ला कर विश्वविद्यालय मे नार्सेस हॉस्टल के बेसमेंट मे रखवा दिया गया। आपके द्वारा ट्रांसफ्यूजन मेडिसीन (ब्लड) विभाग से गायब उपकरणों को	उक्त आरोप की सत्यता पर संदेह है।	उल्लेखनीय है की प्रार्थी को वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक (दो साल तक निलंबित रखा गया। उक्त दो सालों तक प्रार्थी ब्लड बैंक से संबंधित भी नहीं था एवं ब्लड बैंक मे कभी गया भी नहीं था, इस दौरान डॉ श्वेता चौधरी व विभाग द्वारा प्रार्थी से कभी भी किसी भी संदर्भ में संपर्क नहीं साधा गया और न ही किसी उपकरण के बारे मे जानकारी मांगी गई। वर्ष 2023 के सितंबर माह में माननीय कुलपति महोदय द्वारा आयोजित बैठक मे प्रार्थी को प्रथम बार जब उपकरणों की उनुपस्थिति के बारे में ज्ञात हुआ तो प्रार्थी ने फर्म से संपर्क कर पता लगाया की उक्त फर्म ने कई बार डॉ श्वेता चौधरी से संपर्क साधने की कोशिश की किन्तु विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया फर्म को नहीं मिली। इस बीच उक्त फर्म का किसी कारणवष स्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण उपकरणों को फर्म द्वारा एक निजी

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		विश्वविद्यालय मे वापस लाने हेतु प्रस्तुत चालान पत्र प्रथम दृष्ट्या फर्जी है, क्योंकि उक्त चालान मे कन्साइनी एवं कन्साइनर दोनों आप ही हैं।		स्टोर में रखवा दिया गया। फर्म का स्थायी तौर पर बंद हो जाने के कारण प्रार्थी द्वारा लखनऊ जा कर अपने जिम्मेदारी पर उक्त उपकरणों को संस्थान मे लाना पड़ा जिस कारण प्रस्तुत चालान मे कन्साइनी एवं कन्साइनर दोनों में प्रार्थी का ही नाम है। उपकरण संस्थान मे वापस लाए जाने के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा विभागाध्यक्ष महोदय से उपकरणों को विभाग मे रखवाने की अनुमति मांगी गई लेकिन प्रार्थी को विभागाध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान करने से इनकार कर दिया तब जा कर प्रार्थी द्वारा **JDMM** महोदय से मौखिक रूप मे उपकरणों को सेंट्रल स्टोर में रखवाने की अनुमति मांगी गई किन्तु यहाँ भी प्रार्थी को अनुमति नही दी गई जिससे की उपकरणों के नुकसान हो जाने की दशा में पूरी तरह से प्रार्थी को जिम्मेदार बनाया जा सके। प्रार्थी द्वारा अंततः चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो डॉ श्वेता चौधरी (मेडिकल ऑफिसर ब्लड बैंक विभाग) के पतिदेव भी हैं से अनुमति मांगी गई लेकिन उन्होंने भी लिखित रूप में अनुमति मांगी गई लेकिन उन्होंने भी लिखित रू० में अनुमकित दने से मना कर दिया। उपकरण आकार में बड़े होने के कारण प्रार्थी को उक्त उपकरणों को गार्ड की निगरानी में एवं उनके पास मौजूद रजिस्टर में उपकरणों की संख्या व अन्य जानकारी दर्ज करा कर नर्सेस हॉस्टल में रखवाना पड़ा ताकि उपकरणों को जानबूझ कर कोई नुकसान न पहुंचा सके। • विभागाध्यक्ष महोदय को प्रार्थी द्वारा उपकरणों को जमा करवाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत है। (संलग्नक 5) डॉ० श्वेता चौधरी द्वारा पूरी कोषिष की गई की उक्त उपकरण संस्थान में वापस ही न रखे जायें जिससे प्रार्थी को आरोपित बनाया जा सके। माननीय जांच अधिकारी ने भी उक्त आरोप की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया है। जिससे यह स्पष्ट की उक्त आरोप भी निराधार है एवं प्रार्थी को जबरन आरोपित बनाने की कोषिष की जा रही है, अतः उक्त आरोप भी निरस्त करने योग्य है।
	आरोप सं0 06	आपके द्वारा जो उपकरण फर्म से प्राप्त कर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन(ब्लड) विभाग में दिनांक 26 अप्रैल 2024 में दिए गए उक्त फर्म को कोई भी कार्यालय एवं ई–मेल आपके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों में अंकित विवरण के अनुसार वर्तमान में एवं पिछले कई माह सर्विस में नहीं है। अतः स्पष्ट है की ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन (ब्लड) विभाग से गायब उपकरणों को आपके द्वारा फर्म मेसर्स लैब केयर	उक्त आरोप असत्य है।	उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को वर्ष 2021 से 2023 तक दो साल के लिए निलंबित था एवं ब्लड बैंक से संबंधित भी नहीं था। निलंबन की अवधि में प्रार्थी का मोबाईल फोन कोर्ट में जमा होने के कारण मेसर्स लैब केयर इस्स्ट्रूमेंटस, लालबाग, लखनऊ के प्रतिनिधि प्रार्थी से संपर्क नही कर पा रहे थे जिस कारण उक्त फर्म द्वारा डॉ० श्वेता चौधरी से संपर्क करने की कोषिष की गई ताकि विभाग को यह जानकारी दी जा सके की उपकरणों का रेपयर नहीं हो पाया है एवं उक्त उपकरणों को संस्थान से लौटा दिया जाय किन्तु किन्ही अज्ञात कारणों की वजह से डॉ0 श्वेता चौधरी ने उक्त फर्म से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया एवं उपकरणों को गायब दिखाने की पूरी कोषिष की। उक्त फर्म ने ई–मेल के बजाय मोबाईल फोन से संपर्क करने की कोषिष की थी।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो० (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		इन्स्ट्रूमेंस, लालबाग़ लखनऊ के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया, न ही फर्म द्वारा उपकरणों को विष्वविद्यालय में भेजा गया एवं आपके द्वारा महत्वपूर्ण सत्य/तथ्य को छुपाया गया है।		माननीय जांच अधिकारी ने भी उक्त आरोप को असत्य पाया है अतः यह आरोप भी निराधार है अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं है।
	आरोप सं0 7	कुलपति महोदय द्वारा दिए गए निर्देषों के क्रम में विभागाध्यक्ष टांसफ्यूजन मेडिसिन (ब्लड) विभाग द्वारा विभाग में वापस प्राप्त कराए गए उपकरणों की वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रस्तुत आख्या के अनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम सं0 05 में आरोपित कमियां आप पर आरोपित की जाती है।	कोई भी साक्ष्य न उपलब्ध होने के कारण यह आरोप भी असत्य है।	उक्त उपकरणों पर जो भी कमिया बताई गई हैं वह पहले से ही मौजूद थीं क्योंकि उक्त उपकरण कई सालों से प्रयोग में नहीं थीं। बिना जांच किए प्रार्थी पर विभाग द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो उचित नहीं है। **<u>महोदय आपसे निवेदन है की प्रार्थी के विभाग मे नियुक्ति से पहले (वर्ष 2016 से पहले) के समस्त उपकरणों की नियमित छ मासिक सर्विस रिपोर्ट व मालिया स्थिति की जानकारी प्रार्थी को दिया जाय जिससे यह सिद्ध किया जा सके की उक्त कमियों उपकरणों में पहले से थी अथवा नहीं।</u>** उक्त उपकरणों को ब्लड बैंक विभाग मे प्रार्थी के नियुक्ति से पहले (वर्ष 2016 से पहले) ही स्थापित किया जा चुका था, जिसके क्रम मे प्रार्थी ने सभी उपकरणों की नियमित सर्विस रिपोर्ट अथवा मालिया अवस्था के बारे मे जन सूचना अधिकार के माध्यम 31 जनवरी 2024 को विभाग से जानकारी मांगी गई है लेकिन 6 माह बीतने के पश्चात भी प्रार्थी को अभी तक किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उक्त जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकेगा की उपकरणों मे जो भी कमिया विभागाध्यक्ष महोदय ने बताएं है वह पहले से मौजूद थी या नहीं। 26 अप्रैल 2024 को उपकरणों को विभाग में लौटने के पश्चात विभागाध्यक्ष महोदय ने उपकरणों को प्राप्त करते समय किसी भी प्रकार का निरीक्षण कर प्रार्थी को लिखित रूप से किसी प्रकार के कमियों के बारे में सूचित नहीं किया एवं 2 माह पश्चात (24 जुलाई 2024) आरोप पत्र के माध्यम से कुछ कमिया बता कर आरोपित बनाया जा रहा है जो की न्यायोचित नहीं है। संभव है की प्रार्थी के विरुद्ध षडयंत्र कर रहे एवं अहित चाहने वाले कुछ कार्मिकों ने जानबूझकर यह कृत्य किया हो। पहले तो उक्त उपकरणों को विभाग मे लेने से ही मना करने की कोशिश की गई लेकिन जब प्रार्थी के अथक प्रयासों से उपकरण विभाग मे रखवा दिए गए तो डॉ श्वेता चौधरी द्वारा विभागाध्यक्ष महोदय के माध्यम से उक्त उपकरणों मे कमी बता कर प्रार्थी को फसाने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थी द्वारा आपसे अनुरोध है की बिना साक्ष्यों के प्रार्थी पर आरोप लगाना उचित नहीं है एवं उक्त आरोप स्वीकार नहीं है • जन सूचना अधिकार के माध्यम से प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि । (संलग्नक 1) माननीय जांच अधिकारी ने भी उक्त आरोप को साक्ष्यों की अनुपस्थिति के कारण

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

				असत्य पाया है अतः उक्त आरोप प्रार्थी पर लगाना निराधार एवं गलत है ।

	उक्त जॉच आख्या को मा0 कुलपति महोदय द्वारा आगामी कार्य परिषद बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया है। **नियमः–** उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किये जाने का प्राविधान हैः– लघु शास्तियाँ– 1. परिनिन्दा 2. किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकना 3. दक्षतारोध को रोकना 4. आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अँशतः वेतन से वसूल किया जाना 5. समूह 'घ' के पदों को धारण करने वाले कर्मचारियों के मामले में जुर्माना, परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस माह के वेतन के 25 प्रतिशत से, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, से अधिक नहीं होगी। दीर्घ शास्तियाँ– 1. संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि को रोकना 2. किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान में निम्न प्रक्रम पर अवनति करना 3. सेवा से हटाना, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो 4. सेवा से पदच्युति, जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो। **प्रस्तावः** डॉ0 प्रशान्त कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग / जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित जॉच आख्या तथा डॉ0 अभय सिंह द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर से मा0 कार्यपरिषद अवलोकित होते हुए प्रकरण में डॉ0 अभय सिंह को दण्ड अधिरोपित करने हेतु मा0 कार्य परिषद उचित निर्णय लेना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा जॉच आख्या एवं डॉ0 अभय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन (ब्लड बैंक) विभाग द्वारा दिया गया प्रतिउत्तर अवलोकित किया गया। डॉ0 अभय सिंह के विरूद्ध आरोप सं0–1a, 2 एवं 3 सत्य पाये जाने के क्रम में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 नियम–3 के अन्तर्गत मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 अभय सिंह को संचयी प्रभाव के साथ एक वेतनवृद्धि (वर्ष–2026) को रोकने की दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश दिये गये।	
एजेण्डा बिन्दु 13–47 **विश्वविद्यालय में नव नियुक्त नर्सिंग ऑफिसर श्री मलय कुमार राय के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने के पश्चात् नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अस्थायी ज्वाइनिंग के स्थान पर स्थायी ज्वाइनिंग प्रदान किये जाने का निर्णय लिये जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावना–** विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु जारी विज्ञापन सं0 36 / यूपीयूएमएस / सीबीटी / 2023–24 दिनांक 30.01. 2024 के अन्तर्गत कुल 535 (500 Fresh + 35 Backlog) पदों पर मै0 टाटा कन्सलटेन्सी सर्विसेज, मुम्बई के माध्यम से (CBT) परीक्षा आयोजित की गयी। उक्त परीक्षा में सफल हुए कुल 535 अभ्यर्थियों में से कुल 403 अभ्यथी डाकूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित हुए। डाकूमेंट वेरिफिकेशन उपरान्त कुल 388 अभ्यर्थी अर्ह पाये गये। मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन से उक्त पदों के सापेक्ष चयनित कुल 388 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया गया। चयनित कुल 388 अभ्यर्थियों में से कुल 339 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत श्री मलय कुमार राय द्वारा उपश्रेणी EWS मेरिट के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर के पद दिनांक 14.09.2024 को कार्यभार ग्रहण किया गया। **पृष्ठभूमि–** अवगत कराना है कि श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के समय चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने पर सक्षम अधिकारी

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

के अनुमोदन से Provisional Joining करायी गयी।

कृत कार्यवाही– अवगत कराना है कि श्री मलय कुमार की ज्वाइनिंग प्रकिया के अन्तर्गत इनके चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने के कारण ज्वाइनिंग के सम्बन्ध में उक्त से सम्बन्धित दिशा निर्देश/गाइड लाइन प्राप्त किये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को पत्रांक सं0 992 दिनांक 04 नवम्बर, 2024 व पत्रांक सं0 3393 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को पत्रांक सं0 990 दिनांक 04 नवम्बर, 2024, पत्रांक सं0 3395 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 एवं पत्रांक सं0 04 दिनांक 01 अप्रैल, 2025, निदेशक एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को पत्रांक सं0 993 दिनांक 04 नवम्बर, 2024, पत्रांक सं0 3392 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 एवं पत्रांक सं0 05 दिनांक 01 अप्रैल, 2025, निदेशक, डा0 राजेन्द्र प्रसाद सेंटर फॉर आपथाल्मिक साइंसेस, नई दिल्ली को पत्रांक सं0 991 दिनांक 4 नवम्बर, 2024, व पत्रांक सं0 3394 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 प्रेषित किया गया था।

उक्त के कम में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र सं0 एम0ई0–1/2024 दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने विश्वद्यिालय में नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु सुसंगत सेवा नियमावली/शासनादेशों में घोषित नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि डा0 राजेन्द्र प्रसाद सेंटर फॉर आपथाल्मिक साइंसेस, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित पत्र सं0–फा0स05–60/2021 रा0प्र0के0 दिनांक 10 जनवरी, 2025 व पत्र दिनांक 02.01.2025 के साथ संलग्न एम्स दिल्ली के पत्र सं0–1–08/2019–अधि0–(आर0सी0टी0) दिनांक 19 अक्टूबर, 2024 में There are no guidelines related to Red Green colour deficiency with recruitment cell. Further medical of all the regularly selected candidates is conducted by designated Medical Boards in in the Institute itself अवगत कराया गया है।

प्रस्ताव– श्री मलय कुमार राय को मेडिकल कराये जाने के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness सम्बन्धित प्रकरण में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 में यह कथन उल्लेख किया गया है कि विश्वद्यिालय में नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु सुसंगत सेवा नियमावली/शासनादेशों में घोषित नियुक्ति प्राधिकारी स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि विश्वविद्यालय का नियुक्ति प्राधिकारी मा0 कार्य परिषद है। अतः श्री मलय कुमार राय को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अस्थायी ज्वाइनिंग को स्थायी ज्वाइनिंग जारी किये जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि नर्सिंग सेवाओं में Colour Blindness अभ्यर्थी की Joining के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत Disability Guidelines में क्या प्राविधान हैं, परीक्षण कर लिया जाये तदोपरान्त निर्णय हेतु प्रकरण कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। मा0 कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अंतिम निर्णय होने तक श्री मलय कुमार राय को परिवीक्षा अवधि में ही रखा जाये।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)	
टेबल एजेण्डा–1 **विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति के पुनर्गठन के संबंध में।**	**प्रस्तावना:** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 29.07.2022 में एजेण्डा बिन्दु (10–9) के अन्तर्गत कार्य परिषद की बैठक कतिपय कारणों से न होने पाने के कारण विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति से संबंधित सीलबंद लिफाफे को खोलने व परिणाम घोषित करने में विलम्ब होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर एक एच0आर0 समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया था। तदोपरान्त एच0आर0 समिति में नामित सदस्य डॉ0 जी0के0 सिंह, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ का विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में उनके स्थान पर डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर को सदस्य के रूप में नामित किया गया था। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 में एजेण्डा बिन्दु (12–22) पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 3077 / यूपीयूएमएस / प्रशासन(423) / 2024–25 दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 के द्वारा एच0आर0 समिति को निम्नवत् पुनर्गठित किया गया:– 1. प्रतिकुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा। 2. संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा। 3. डॉ0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ। 4. डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर। **पृष्ठभूमि:** अवगत कराना है कि डॉ0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ का विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप सं0 I / 1096451 / 2025 दिनांक 22.09.2025 के द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1)(छ) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत डॉ0 एन0सी0 प्रजापति के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अतः चूंकि डॉ0 एन0सी0 प्रजापति विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में सदस्य नहीं हैं, अत्एव, उनके स्थान पर कार्य परिषद में नामित किसी अन्य वाह्य सदस्य को विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति में नामित किये जाने की आवश्यकता है। **प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में डॉ0 एन0सी0 प्रजापति, प्रधानाचार्य, सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर नामित सदस्य डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा को विश्वविद्यालय की एच0आर0 समिति में सदस्य नामित किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद अवलोकित करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय:– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td><u>टेबल एजेण्डा–2</u>
Approval of Standard Operating Procedure (SOP) for Proposed Medical Genetics Clinic-Laboratory</td>
<td>The Department of Biochemistry, U.P. University of Medical Sciences, Saifai, proposes to establish a Medical Genetics Clinic-Laboratory (MGCL) to facilitate diagnostic, counseling, and research support in the field of human genetics. The proposed laboratory will serve as a specialized unit for cytogenetic, molecular, and biochemical testing to aid in the diagnosis and prevention of inherited and congenital disorders.
To ensure standardization, accuracy, biosafety, and compliance with national regulatory frameworks, the Department has prepared a comprehensive Standard Operating Procedure (SOP) for the proposed Medical Genetics Clinic-Laboratory.
The SOP document consists of seventeen main sections, along with a list of required instruments, which together define the structural, procedural, and operational framework of the laboratory. The key components of the SOP are as follows:
1. Purpose
2. Scope
3. Responsibilities
4. Definitions
5. Infrastructure and Equipment
6. Patient Workflow
7. Safety and Quality Control
8. Documentation
9. Rationale for the Department of Biochemistry Leading the Medical Genetics Clinic
10. Vision
11. Objectives
12. Translational Research & Innovation
13. Community Screening & Awareness
14. Education & Training
15. Collaboration & Integration
16. References
17. Expected Outcome
- List of required instruments
<u>Proposal:</u> The Standard Operating Procedure (SOP) for the proposed Medical Genetics Clinic-Laboratory has been prepared by the Department of Biochemistry to define uniform procedures, quality systems, and safety measures prior to the commencement of laboratory operations. The Standard Operating Procedure (SOP) is now being placed before the Executive Council for its kind consideration and approval, so that further necessary action for establishment and operationalization of the laboratory may be initiated.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णय</u>:– मा0 कार्य परिषद द्वारा Medical Genetics Clinic-Laboratory की स्थापना हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव एवं एस0ओ0पी0 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>टेबल एजेण्डा–3</u>
विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की एस0ओ0पी0 में पुर्नमूल्यांकन के सम्बन्ध में।</td>
<td><u>प्रस्तावना</u>: परीक्षा विभाग की एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure of Examination Process) के पृष्ठ संख्या 61 एवं 62 के अनुसार एवं पूर्व से भी विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में स्क्रूटनी के उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करने की स्थिति में पुर्नमूल्यांकन करने की प्रक्रिया चल रही है। छात्र–छात्राओं के आवेदन के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
<u>कृत कार्यवाही</u>: उक्त प्रकरण में के0जी0एम0यू0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त विश्वविद्यालय/संस्थान में उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td>प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। के0जी0एम0यू0, लखनऊ का पुर्नमूल्यांकन एवं स्क्रूटनी अभिलेख संलग्नक हैं।

<u>प्रस्ताव का आधार</u>: के0जी0एम0यू0, लखनऊ में पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया प्रचलित में नहीं है इसलिए विश्वविद्यलाय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के स्नातक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परीक्षा के उपरान्त पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में मा0 कार्य परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव</u>: के0जी0एम0यू0, लखनऊ में पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया प्रचलित में नहीं है इसलिए विश्वविद्यलाय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के स्नातक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परीक्षा के उपरान्त पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में मा0 कार्य परिषद के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>— मा0 कार्य परिषद द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों में पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया प्रचलित न होने के कारण विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परीक्षा के उपरान्त पुर्नमूल्यांकन प्रक्रिया को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td><u>टेबल एजेण्डा—4</u>

विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कंट्रोल रूम के साथ स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।</td><td><u>पृष्ठभूमि</u>: विश्वविद्यालय में गत वर्ष 205 नग कैमरे Centralized Monitoring के साथ यू0पी0डेस्को के माध्यम से लगवाये गये थे तथा इससे पूर्व भी आवश्यकता अनुरूप अलग—अलग भवनों में कुछ कैमरे स्थापित किये गये थे। विश्वविद्यालय परिसर की भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्र के अनुसार और अधिक कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता है। मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांकः 19 अगस्त, 2025 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय परिसर का भौतिक सर्वेक्षण करते हुए लगाये जाने वाले कैमरों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाये। तद्क्रम में विश्वविद्यालय के डा0 सुनील कुमार, प्रोफेसर आर्थोपेडिक (फ़ैकल्टी इंचार्ज—सुरक्षा), डा0 अमिता सिंह, असि0 प्रोफेसर फिजियोलॉजी (फैकल्टी इंचार्ज सी0सी0टी0वी0), डा0 राफे अब्दुल रहमान (फैकल्टी इंचार्ज सी0सी0टी0वी0), श्री रमन कुमार, जे0ई0 (टेलीकॉम), श्री रूपेश कुमार, सहायक सुरक्षा अधिकारी, श्री रामब्रज सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी, श्री प्रेमपाल सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा भौतिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के चिकित्सालय परिसर, मेडिकल कालेज परिसर, पैरामेडिकल परिसर, एकेडमिक ब्लॉक (मेडिकल कालेज परिसर एवं पैरामेडिकल परिसर), प्रशासनिक भवन, ट्रामा भवन, ओल्ड ओ0पी0डी0, न्यू ओ0पी0डी0, छात्रावासों तथा आवसीय परिसरों एवं कनेक्टिंग सड़कों में कुल 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने का आंकलन किया गया।

<u>प्रस्ताव</u>: कैमरा लगाये जाने का आगणन पत्र संख्याः 2157 / ई / यूपीयूएमएस / सी0ए0सी0 (2130—सीडी) / 2025—26 दिनांकः 18—09—2025 प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में यू0पी0डेस्को लखनऊ द्वारा पत्र संख्याः डी0 25—26 / 2306 दिनांकः 26—09—2025 के माध्यम से धनराशि रू0 966.45 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया। परीक्षणोंपरान्त उक्त आगणन की धनराशि रू0 935.72 लाख आंकलित की गयी।

विश्वविद्यालय में सुरक्षा मजबूत किये जाने के उद्देश्य से 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरे कंट्रोल रूम सहित स्थापित किये जाने का कार्य यू0पी0डेस्को के माध्यम से कराये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा कार्य परिषद में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश</td></tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>दिये गये है। जिस पर कुल धनराशि रू0 935.72 लाख का व्यय विश्वविद्यालय की आय/बचतों से किये जाने का प्रस्ताव है। फर्म को भुगतान दो समान किश्तों में किया जायेगा।

<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन</u>: विश्वविद्यालय में सुरक्षा मजबूत किये जाने के उद्देश्य से 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरे कंट्रोल रूम सहित स्थापित किये जाने का कार्य यू0पी0डेस्को के माध्यम से कराये जाने हेतु, जिस पर कुल रू0 935.72 लाख व्यय विश्वविद्यालय की आय/बचत से किया जाना है, पर मा0 कार्य परिषद का अनुमोदन वांछित है।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> विश्वविद्यालय में सुरक्षा मजबूत किये जाने के उद्देश्य से 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरे कंट्रोल रूम सहित स्थापित किये जाने का कार्य यू0पी0डेस्को के माध्यम से कराये जाने हेतु, जिस पर कुल रू0 935.72 लाख व्यय विश्वविद्यालय की आय/बचत अथवा बजट से किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>टेबल एजेण्डा–5</u>
डॉ0 कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरा मेडिकल विज्ञान संकाय को चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा जारी अधिसूचना/नियुक्ति पत्र सं0 I/1039618/2025/71-4099/192/2021 दिनांक 28.07.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद् के अध्यक्ष पद पर पे मेट्रिक्स लेवल–14 (रू0 144200–218200) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के कम कार्यमुक्त किये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।</td>
<td><u>पृष्ठभूमि</u>: डॉ0 कमल पन्त विश्वविद्यालय के ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर दिनांक 07.12.2012 से दिनांक 12.03.2025 (पूर्वान्ह) तक कार्यरत थे। तदोपरान्त सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालय में दिनांक 12.03. 2025 (अपरान्ह) से कार्यरत थे।

प्रमुख संचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा जारी अधिसूचना/नियुक्ति पत्र सं0 I/1039618/2025/71-4099/192/2021 दिनांक 28.07.2025 द्वारा डॉ0 कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरा मेडिकल विज्ञान संकाय, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा को उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद् के अध्यक्ष पद पर पै मेट्रिक्स लेवल–14 (रू0 144200–218200) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना/नियुक्ति पत्र के अनुपालन में डॉ0 कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरा मेडिकल विज्ञान संकाय को उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद् के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय आदेश सं0 2214/E/UPUMS/Estt.-04(1598-CD)/2025-26 दिनांक 23.09.2025 द्वारा कार्यमुक्त किया गया। डॉ0 कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय द्वारा कार्यभार हस्तातंरण विभाग में कार्यरत डॉ0 रागिनी कुमारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को कार्यवाहक के रूप में कार्य दायित्व व उत्तरदायित्व का हस्तांतरण दिनांक 24.09.2025 को कर दिया गया है।

<u>प्रस्ताव</u>: चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा जारी अधिसूचना/नियुक्ति पत्र सं0 I/1039618/2025/71-4099/ 192/2021 दिनांक 28.07.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद् के अध्यक्ष पद पर पै मेट्रिक्स लेवल–14 (रू0 144200–218200) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ0 कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को विश्वविद्यालय के कार्यदायित्व/कार्यभार संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के माध्यम से हस्तगत करने की तिथि से 02 वर्ष का धारणाधिकार के साथ कार्यालय आदेश सं0 2214/E/UPUMS/Estt.-04(1598-CD)/2025-26 दिनांक 23.09.2025 को</td>
</tr>
</table>

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	कार्यमुक्त किया गया। डॉ० कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय द्वारा कार्यभार हस्तातंरण विभाग में कार्यरत डॉ० रागिनी कुमारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय को कार्यवाहक के रूप में कार्य दायित्व व उत्तरदायित्व का हस्तांतरण दिनांक 24.09.2025 को कर दिया गया है।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा जारी अधिसूचना/नियुक्ति पत्र सं0 I/1039618/2025/71-4099/ 192/2021 दिनांक 28.07.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख–रेख परिषद् के अध्यक्ष पद पर डॉ0 कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय की नियुक्ति के क्रम में उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए धारणाधिकार के साथ डॉ0 कमल पन्त, प्रोफेसर, ऑप्टोमेट्री विभाग को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>टेबल एजेण्डा–6</u> **सेवा प्रदाता फर्म उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 को 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज दिये जाने एवं सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि किये जाने के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** सेवा प्रदाता फर्म उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा अपने पत्र सं0 135/SKN/UPUMS दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से सर्विस चार्ज 4.5 प्रतिशत सुरक्षा सेवाओं हेतु एवं 8.25 प्रतिशत आउटसोर्स सेवाओं हेतु के स्थान पर 12 प्रतिशत किये जाने हेतु अनुरेाध किया गया है। **<u>पृष्ठभूमिः</u>** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता फर्म उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से वर्तमान में सुरक्षा सेवायें एवं पैरामेडिकल आउटसोर्स कार्मिकों की सेवायें ली जा रही है। शासनादेश सं0 18/1423/18–2099/219/2024 दिनांक 09.07.2025 के कम मे उपरोक्त फर्म से अनुबन्ध किया जा सकता है। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख है कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में अनुबन्ध के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उक्त फर्म को सुरक्षा सेवाओं हेतु 4.5 प्रतिशत एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की सेवाओं हेतु 8.25 प्रतिशत सर्विस चार्ज फर्म को दिया जा रहा है। फर्म द्वारा अपने पत्र सं0 135/SKN/UPUMS दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से सर्विस चार्ज 4.5 प्रतिशत सुरक्षा सेवाओं हेतु एवं 8.25 प्रतिशत आउटसोर्स सेवाओं हेतु के स्थान पर 12 प्रतिशत किये जाने हेतु अनुरेाध किया गया है। अवगत कराना है कि मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को फर्म के साथ आयोजित बैठक में निम्नांकित निर्णय लिया गया हैः – "वर्तमान में विश्वविद्यालय में निगम के माध्यम से 212 सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं तथा नये अनुबंध में 300 सुरक्षा कार्मिकों एवं 12 सुपरवाइजर की आवश्यकता की मांग उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा बतायी गयी। साथ ही सुरक्षा संबंधी अनुबंध में एच0आर0ए0, लीव रिलीफ एलाउंस एवं 12 प्रतिशत सर्विस चार्ज की मांग की गयी है जबकि शासनादेश सं0 18/1423/18–2099/219 /2024 दिनांक 09.07.2025 में सर्विसेज हेतु 05 प्रतिशत सर्विस चार्ज उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 को दिये जाने के आदेश है। इस संबंध में विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 उपरोक्त संख्या तथा एलाउंस के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव औचित्य सहित उपलब्ध कराये जिससे कि कार्य परिषद से उक्त के संबंध में अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये तथा तदोपरान्त अनुबंध उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से किया जा सके।"

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 द्वारा नये अनुबंध में 300 सुरक्षा कार्मिकों एवं 12 सुपरवाइजर की आवश्यकता की मांग की गयी है। विश्वविद्यालय के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि किया जाना अपरिहार्य है। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 18.09.2025 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **नियमः** अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 18 / 1423 / 18–2099 / 219 / 2024 दिनांक 09.07.2025 में सुरक्षा सेवाओं एवं पैरामेडिकल आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाओं हेतु सर्विस चार्ज 5 प्रतिशत दिये जाने का प्राविधान किया गया है। **प्रस्ताव का आधारः** मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2025 को फर्म के साथ आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सर्विस चार्ज 5 प्रतिशत दिये जाने एवं विश्वविद्यालय के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रस्ताव एजेन्डा बिन्दु के रूप में मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्तावः** उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत निम्न प्रस्तावों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें:– (1) शासनादेश सं0 18 / 1423 / 18–2099 / 219 / 2024 दिनांक 09. 07.2025 में इंगित व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा सेवाओं एवं पैरामेडिकल आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाओं हेतु सर्विस चार्ज 5 प्रतिशत देते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित किया जाना। (2) विश्वविद्यालय के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 300 सुरक्षा कर्मी एवं 12 सुपरवाइजर हेतु अनुबन्ध किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना। (3) फर्म के अनुरोध के क्रम में सर्विस चार्ज 12 प्रतिशत किये जाने के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया जाना। (4) पूर्व में वर्ष 2006–07 में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से 192 पैरामेडिकल आउटसोर्स कार्मिकों का भी अनुबंध लगातार अब तक प्रचलन में है। वर्तमान में 189 कार्मिक कार्यरत हैं। अपरिहार्य स्थिति में कार्य चलाने के दृष्टिगत अवशेष 03 कार्मिकों को नियुक्त करने का अधिकार कुलपति महोदय को दिया जाना प्रस्तावित हैं।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव के बिंदु–1 से 4 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा / अध्यक्ष, कार्य परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

(प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उ0प्र0 आयुर्वि ज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा

कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 (उपस्थिति)

क्र०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं० / ई-मेल	हस्ताक्षर
1.	Prof. (Dr.) Ajai Singh.	Vice Chancellor	vc-upums@upums.ac.in	[signature]
2.	Dr. Ramakant Yadav	Pro Vice Chancellor.	pvc-upums@upums.ac.in.	[signature]
3.	Sri Abhinav Ranjan Srivastava	Registrar	upums.registrar@gmail.com	[signature]
4.	Dr. Adesh Kumar	Dean (Faculty of Medicine)	deanaimsnr@gmail.com	[signature]
5.	Prof. Biji Biju	Dean (Faculty of Nursing)	nursingaims@rediffmail.com	[signature]
6.	Dr. Jitendra Prasad Mathuria	Dean (Faculty of Paramedical sciences)	deanparamedicalfaculty@gmail.com	[signature]
7.	Dr. Kamla Pathak.	Dean (Faculty of Pharmacy)	deanpharmacy2015@gmail.com	[signature]

कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक दिनांक 11.10.2025 (उपस्थिति)

क्र०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं० / ई-मेल	हस्ताक्षर
8.	Dr. Atul Kr. Singh.	Dean (Faculty of Dental sciences)	9452074514 / dr.atul148@gmail.com	[signature]
9.	Dr. Rajesh Kumar Verma	Prof. & Head, Microbiology, UPUMS, Saifai,	8477973359 / rkhverma@gmail.com	[signature]
10.	Dr. Shailendra Pal Singh.	Prof. & Head, Gen. Surgery, UPUMS, Saifa	9457879726 / drspsinghsaifai@gmail.com	[signature]
11.	Sri Jagropan Ram	Finance Officer, UPUMS, Saifai	—	[signature]
12.	Dr. Rajesh Kashyap	Prof. & Head, Hematology, SGPGIMS, Lucknow	rajkashyapmd@gmail.com.	Online
13.	Dr. Prashant Gupta	Principal, SNMC, Agra	drpgupta28@gmail.com	Online
14.	Dr. C.P. Pal.	Principal Kannoj Medical College (Representative - DGME, UP)	—	[signature]